खण्ड–495, अंक–3
मंगलवार, 20 माघ, शक संवत् 1937
(09 फरवरी, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2016)

(खण्ड 495 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रदेश में बिगड़ती कानून–व्यवस्था पर नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	7–11
प्रश्नोत्तर	11–118
संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	118
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	118–120
विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद की ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में 100 शैय्या वाला अस्पताल खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	120
शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के अन्तर्गत ग्राम बारापुर में कृषि भूमि पर दो साल पहले हुए पट्टे पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	120–121
वाराणसी कैण्ट विधान सभा के क्षेत्र अनेक वार्डों रानीपुर, तुलसीपुर, विनायका, विरदोपुर (कमच्छा), जंगमबाड़ी में पाइप लाइन की जांच कराकर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद सिद्धार्थनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दूषित जल पीने के कारण 10 व्यक्तियों की कैंसर रोग से मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	121–122
जनपद इलाहाबाद के मेजा तहसील मुख्यालय पर जमुना पार में किसानों का परीक्षण केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	122
जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दनकाशा तथा अन्य ग्रामों को पक्के सड़क मार्गों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	122
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधवगढ़ के अन्तर्गत ग्राम अण्डा, विकास खण्ड कोंच में उर्वरक एवं बीज भण्डारण हेतु गोदाम एवं कार्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	122–123
वाराणसी नगर में विधान सभा क्षेत्र औसानगंज तिराहे पर कम व्यास की सीवर लाइन होने के कारण गन्दा जल एकत्रित होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	123

विधान सभा क्षेत्र सैदपुर गाजीपुर के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज में टूटी हुई बिल्डिंग एवं खिड़की ठीक कराने एवं छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 123–124

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जनपद मथुरा वृन्दावन स्थित गोकुल बैराज पर स्थापित जल शोधन संयंत्र के समुचित संचालन हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 124–125

जनपद प्रतापगढ़ विकास खण्ड मान्धाता बाजार कटरा गुलाब सिंह में पाइप पेयजल परियोजना के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 125

कांठ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुरादाबाद से चकफेरी कुम्हरिया होकर गढ़ी तक लोहिया बस के चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 125

जनपद रामपुर की टाउन एरिया में सी0एच0सी0 खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 125–126

सदन की बैठक 90 दिन चलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... 126–132

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन 2010–2011 (सदन के पटल पर रखा गया) 132

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि02–1291 / ग्यारह–9(150)–15–उ0प्र0अधि0–5–2008(139)–2015, दिनांक 11 सितम्बर, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ... 132

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि02–1423 / ग्यारह–9(1) / 2008–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश(142)–2015, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... 132

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि02–1421 / ग्यारह–9(1) / 2008–उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश(143)–2015, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... 132

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि02–1498 / 133

ग्यारह–9(1) / 2008–उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश(144)–2015, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि02–1708 / ग्यारह–9(115) / 14–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश(146)–2015, दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी) 133

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि02–1709 / ग्यारह–9(111) / 15–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश(147)–2015, दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी) 133

विषय **पृष्ठ–संख्या**

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि02–1821 / ग्यारह–9(104) / 15–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश(148)–2015, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी) 133

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि02–1979 / ग्यारह–9(235) / 12–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश(150)–2015, दिनांक 01 जनवरी, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... 133

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–32 / 2015 / सी0पी0221 / 84–2–2015–सी0पी0 29 / 96, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी) 134

उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–11–2014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित (सदन के पटल पर रखा गया) ... 134

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना) 134

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सड़वा चन्दिका की ग्राम सभा कोठा नेवड़िया में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने 134

विषयक श्री पारसनाथ वर्मा आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी) ...

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर की ग्राम सभा पहाड़पुर में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र कुमार यादव आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी) ... 135

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता की ग्राम सभा अहिना में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री कृष्ण कुमार पटेल आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी) 135

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें (स्वीकृ 135–136

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)... 136

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 136

विषय **पृष्ठ–संख्या**

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 137

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... 137

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ एवं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो–दो सदस्यों के निर्वाचन कराने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को नाम–निर्देशित करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 137–138

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... 138–143

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सदस्य एवं पंचायती राज मंत्री श्री कैलाश यादव के निधन की सूचना 143

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सदस्य एवं पंचायती राज मंत्री श्री कैलाश यादव के निधन पर शोकोद्गार ... ... 143—147

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सदस्य एवं पंचायती राज मंत्री श्री कैलाश यादव के कल अन्तिम संस्कार के कारण कल सदन की बैठक स्थगित करने एवं शेष मदें यथावत् लिये जाने का अनुरोध... 147—148

नत्थियां ... ... 149—162

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 09 फरवरी, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–306

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद़
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
10. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
11. अनीसुर्रहमान, श्री मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
13. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
14. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
15. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
16. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
17. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
18. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
19. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
20. अमित गौरव यादव, श्री एटा
21. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
22. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
23. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
24. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
25. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
26. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
27. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
29. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
30. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
31. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
32. आलमबदी, श्री आजमगढ़
33. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
34. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
35. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
36. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
37. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
38. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
39. इकबाल, श्री बिजनौर
40. इकबाल महमूद, श्री संभल
41. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
42. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
43. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
44. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
45. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
46. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
47. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
48. उदयराज, श्री उन्नाव
49. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
50. उमाशंकर, श्री बलिया
51. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ

52. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
53. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
54. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
55. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
56. काली चरन सुमन, श्री आगरा
57. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
58. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
59. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
60. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
61. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
62. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
63. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
64. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
65. गजराज सिंह, श्री हापुड़
66. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
67. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
68. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
69. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
70. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
71. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
72. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
73. गोमती यादव, श्री लखनऊ
74. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
75. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
76. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
77. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
78. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
79. जगपाल, श्री सहारनपुर
80. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
81. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
82. जफर आलम, श्री अलीगढ़
83. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
84. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
85. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
86. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
87. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
88. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
89. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
90. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
91. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
92. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
93. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
94. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
95. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
96. त्रिलोकी राम, श्री अलीगढ़
97. दलजीत सिंह, श्री बांदा
98. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
99. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
100. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
101. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
102. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
103. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
104. धर्मराज, श्री बाराबंकी
105. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
106. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
107. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
108. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
109. नरेन्द्र सिंह यादव, फर्रुखाबाद
110. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
111. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
112. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़

113. नारद राय, श्री बलिया
114. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
115. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
116. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
117. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
118. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
119. पीतमराम, श्री पीलीभीत
120. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
121. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
122. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
123. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
124. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
125. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
126. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
127. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
128. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
129. ''फसीहा मंजर''
''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
130. फेरन लाल, श्री ललितपुर
131. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
132. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
133. बदलू खां, श्री उन्नाव
134. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
135. बाबू खां, श्री हरदोई
136. बाबूलाल, श्री गोण्डा
137. बावन सिंह, श्री गोण्डा
138. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
139. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
140. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
141. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
142. बैजनाथ, श्री मऊ
143. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
144. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
145. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
146. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
147. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
148. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
149. मनबोध, श्री देवरिया
150. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
151. मनीष रावत, श्री सीतापुर
152. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
153. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
154. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
155. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
156. महबूब अली, श्री अमरोहा
157. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
158. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
159. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
160. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
161. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
162. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
163. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ
ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराच
164. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
165. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
166. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
167. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
168. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
169. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीरनगर
170. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
171. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
172. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
173. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
174. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
175. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद

176. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
177. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
178. यासर शाह, श्री बहराइच
179. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
180. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
181. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
182. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
183. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
184. रणजीत सुमन, श्री एटा
185. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
186. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
187. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
188. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
189. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
190. रवि शर्मा, श्री झांसी
191. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
192. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
193. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
194. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
195. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
196. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
197. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
198. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
199. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
200. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
201. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
202. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
203. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
204. राधे श्याम, श्री अमेठी
205. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
206. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
207. राम करन आर्य, श्री बस्ती
208. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
209. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
210. राम गोविन्द, श्री बलिया
211. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
212. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
213. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
214. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
215. राम मगन, श्री बाराबंकी
216. राममूर्ति सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
217. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
218. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
219. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
220. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
221. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
222. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
223. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
224. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
225. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
226. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
227. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
228. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
229. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
230. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
231. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
232. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
233. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
234. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
235. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
236. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
237. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
238. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
239. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
240. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज

241. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
242. विजय सिंह, श्री रामपुर
243. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्रीफर्रुखाबाद
244. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
245. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
246. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
247. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
248. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
249. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
250. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
251. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
252. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्धनगर
253. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
254. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
255. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
256. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
257. शाकिर अली, श्री देवरिया
258. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
259. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
260. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
261. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
262. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
263. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
264. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
265. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
266. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
267. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
268. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
269. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
270. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
271. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
272. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
273. संजय कपूर, श्री रामपुर
274. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
275. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
276. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्धनगर
277. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
278. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
279. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
280. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
281. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
282. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
283. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
284. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
285. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
286. सियाराम सागर, डा0 बरेली
287. सीमा, श्रीमती जौनपुर
288. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
289. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
290. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
291. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
292. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
293. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
294. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
295. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
296. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
297. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
298. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद

299.	सुल्तान बेग, श्री बरेली		रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
300.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	304.	हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
301.	सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी	305.	हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
302.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर	306.	हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत
303.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ		

नोट :– मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन), माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी), खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री राम सकल गुर्जर) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम किये जाने की मांग

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर चोर चोर मौसेरे भाई, सपा, बसपा, कांग्रेस आई के नारे लगाने लगे तथा पोस्टर दिखने लगे), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य भी सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने लगे, इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य भी सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, यही हैं ख ग ग ग , मान्यवर, यही हैं, ख ग ग ग , यही है असल।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपने आसन पर जाकर अपनी अपनी बात कहें। अपने अपने स्थानों पर चलें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, ख ग ग ग , और वहां का फोटो और वीडियो रिलीज नहीं करते हैं वहां का फोटो रिलीज करें उस कमरे का वीडियो रिलीज करें। ख ग ग ग ,

(घोर व्यवधान)

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी, आपने नियम–56 में इसे दिया है तो जब नियम–56 लिया जायेगा तो उसमें बोलें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते। पहले दाउद से रिश्ते बतायें। पहले भारतीय जनता पार्टी दाउद से अपने रिश्ते बतायें। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल आपने इन सारी बातों को नियम–56 में रखा है, जब नियम–56 पर चर्चा होगी तब आप अपनी पूरी बात कहियेगा। आपने नियम–56 की सूचना दी है जब नियम–56 की चर्चा होगी 5.00 बजे तब आप अपनी बात कहियेगा उसमें। आप चलें आपका भी नियम–56 में दिया है सारे लोगो ने, कानून–व्यवस्था और पंचायत चुनाव के बारे में आप लोगों ने लिखकर दिया है और 5.00 बजे के बाद उस पर चर्चा होगी तब उस पर बोलियेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह गौ प्रेमी देखिये मान्यवर, गोश्त के कारखाने चलाने वाले देशभक्ति का नारा लगा रहे हैं। देखिये, मान्यवर।

श्री सतीश महाना–

इन्होंने दाउद से पैसा लिया है।

श्री अध्यक्ष–

अरे, बहोश हो जाओगे, बैठो इतना नहीं हल्ला करते हैं।

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, ये देशभक्ति का नारा लगा रहे हैं यह खड़े हैं बीफ के कारोबारी, यह मान्यवर, भाजपा का असल चेहरा सामने खड़ा है यह बीफ के व्यापारी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी, इनसे कहिये अपने आसन पर चलें। आप लोग चले अपने आसन पर चले।

(घोर व्यवधान)

नेता विरोधी (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। (घोर व्यवधान)

मान्यवर, मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री मोहम्मद आज खां–

निकल गयी, खूब निकल गयी बस इतने में फुस्स है मामला, जनता में बस इतनी देर के लिए हैं मान्यवर।

(सदन की वेल में आये हुए माननीय सदस्य एक साथ अपनी अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सतीश महाना (वेल से)–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी नोटिस 311 की है।

श्री अध्यक्ष–

311 कभी लिया नहीं जाता इन्हीं सूचनाओं को माननीय मौर्य जी ने माननीय नेता कांग्रेस ने माननीय भाजपा ने नियम–56 में भी दिया है और नियम–56 हमने स्वीकार कर लिया है अब निर्धारित समय के अनुसार 5.00 बजे के बाद अपनी बात कहियेगा।

श्री सतीश महाना (वेल से)–

मान्यवर, जब 311 नियमावली में है तो उसमें लेने का आपको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष–

311 में नही लिया जायेगा। आपने दोनो ने दिया है 311 में उसी प्रश्न को दिया है और उसी बात को आपने नियम–56 में दिया है नियम–56 हमने ले लिया है तो नियम–311 का क्या मतलब है। मौर्य जी ने भी वही दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी वही दिया है, कांग्रेस ने भी वही दिया है सब लोगों ने मिलकर दिया है तो नियम–56 जब आयेगा तो आप बात करियेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, प्रश्न रखवाइये।

श्री अध्यक्ष–

311 में नहीं, आप नियम–56 में आइयेगा, प्रश्न प्रहर चलने दीजिए। महाना जी, अब आप लोग अपने–अपने स्थान पर चलिये। यह नियम–311 के अन्तर्गत नहीं लिया जायेगा। आप लोग इसे नियम–56 के अन्तर्गत उठाइयेगा। अब आप प्रश्न प्रहर चलने दीजिये। श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हेतु निर्धारित समय में से आप इस तरह से एक दिन खराब कर देंगे। देखिये, मौर्या जी अपने दल के साथ बहिर्गमन कर गये, उन्होंने अपनी बात रखी और आपका विरोध भी सरकार के सामने आ गया है।

(भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य वेल से सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान)

श्री सतीश महाना (वेल से)–

मान्यवर, हमें अपनी बात नियम–311 के अन्तर्गत कह लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग भी यहां पर सरकार में रहे हैं, आपकी सरकारें भी अन्य प्रदेशों में हैं। कहीं पर नियम–311 के अन्तर्गत इसे लिया जाता हो, तो आप बताइये। आपने कभी यहां पर नियम–311 के अन्तर्गत लिया हो तो बताइये। जब आपने नहीं लिया है, तो फिर आप जिद क्यों कर रहे हैं, आप लोग जाकर अपने–अपने स्थान पर बैठिये।

श्री सतीश महाना (वेल से)–

मान्यवर, हमें दूसरे राज्यों से कोई लेना–देना नहीं है। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और हमको अपनी बात यहीं पर कहनी है। हमने जो नियम–311 के अन्तर्गत नोटिस दी है, वह नियमावली के अनुरूप है। आप हमें अपनी बात कहने का अवसर दीजिये। यह लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम–56 के अन्तर्गत भी नोटिस दी है और आप इसे नियम–311 के अन्तर्गत भी इसे उठाना चाहते हैं। एक ही विषय आप दो नियमों के अन्तर्गत कैसे उठा सकते हैं। क्या आप इसे नियम–56 के अन्तर्गत नहीं बोलेंगे।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया (वेल से)–

मान्यवर, नियम–311 की नोटिस अलग है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर आप सबके दस्तखत हैं। इसे नियम–311 के अन्तर्गत नहीं लिया जायेगा। इतनी देर में आपका संदेश जनता तक पहुंच गया है। अब आप लोग अपने–अपने स्थान पर जाकर बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सतीश महाना जी का ही पहला प्रश्न है और वहीं प्रश्नोत्तर नहीं होने दे रहे हैं। आपका प्रश्न कानून–व्यवस्था पर ही तो है, इसमें आप बोल लीजियेगा।

श्री सतीश महाना (वेल से)–

मान्यवर, मैं कानून–व्यवस्था पर ही तो बोल रहा हूं और अब तो संसदीय कार्य मंत्री जी भी कानून–व्यवस्था पर चर्चा कराने को तैयार हैं, तो आप हमें अनुमति दे दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप कहां कानून–व्यवस्था पर बोल रहे हैं। आप तो 20 लोगों के साथ खड़े होकर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। आप प्रश्नकाल होने दीजिये और उसमें बोलियेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नेता, भारतीय जनता पार्टी, कृपया आप महाना जी और अपने दल के सदस्यों को वापस बुला लें तथा कार्रवाई व्यवस्थित रूप से चलने दें। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपका प्रश्न हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पूरे देश में बहुत खराब सन्देश गया है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लोकतंत्र समाप्त हो गया है। लोकतंत्र की हत्या की गई है। ख ग ग ग , पर कराये गये चुनाव को निरस्त किया जाये। मान्यवर, सीधे–सीधे लोकतंत्र की हत्या हुई है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं, तो फिर कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाये। आप लोग अन्य माननीय विधायकों को उनके बोलने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चार दिन की चर्चा निर्धारित है, यदि आज का दिन निकल जायेगा, तो फिर तीन दिन ही बचेंगे। जो विधायकगण नहीं बोल पायेंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप लोग अपने–अपने स्थान पर चले जाईये। आपको पूरा मौका दिया जायेगा, आप वहां से अपनी बात कह लीजियेगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री नदीम जावेद के वेल से नारेबाजी करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहाड़िया जी, आप अपने स्थान पर चलिये। आपने भी हल्ला मचाना शुरू कर दिया। महाना जी, यह नियम–311 में नहीं लिया जायेगा, बल्कि नियम–56 में आगे आयेगा, तब बोल लीजियेगा। प्रश्न हो जाने दीजिये, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुये हैं, आप ही का तो प्रश्न है।

श्री सतीश महाना (वेल से)–

मान्यवर, जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, लोकतंत्र बन्धक हो जायेगा, अपहरण कर लिया जायेगा, गला घोट दिया जायेगा, एक बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी जायेगी, तो फिर हमें यहां पर बोलना ही पड़ेगा। हमें अपनी बात नियम–311 के अन्तर्गत रखने का मौका दे दीजिये, हम लोग अपने–अपने स्थान पर चले जायेंगे। हमारा इतना अनुरोध आप स्वीकर कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप जिन बातों को बोलना चाह रहे हैं, वह सारी बातें तो आगे प्रश्नों में आ रही हैं। इसलिये कृपया आप लोग अपने–अपने स्थान पर चलिये।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया (वेल से)–

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

मान्यवर, आज प्रदेश में बहुत ही खराब स्थिति है। कानून–व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। 12 साल के बच्चे की हत्या की गई है। हमें यहां पर बोलने का मौका नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

भदौरिया जी, आप बीमार हो जाओगे, इतनी जोर से मत बोलिये, धीरे–धीरे बोलिये। आप लोग अपने–अपने स्थान पर जाइये।

(सदन के वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी करते रहने के कारण–घोर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है, जुडीशियरी के अधिकारी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, आज वह यहां विधान सभा की कार्रवाई देखने आये हैं। वह क्या भाव लेकर यहां से जायेंगे, किन भावनाओं को लेकर वह यहां से जायेंगे, बताइये। यही देखकर जायेंगे, इसीलिये जब कहीं आलोचना होती है तो आप लोग कहते हो कि हमारी आलोचना हो रही है। आप लोग बैठिये और अपनी सीटों पर चलिये।

(सदन के वेल में उपस्थित सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी करते रहने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.30 बजे तक स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 14 मिनट पर सदन की कार्रवाई 12 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में मार्च, 2012 से दिसम्बर, 2015 तक महिला उत्पीड़न की घटनाओं का विवरण तथा उन पर अंकुश लगाने की मांग

''01–श्री सतीश महाना, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2012 से दिसम्बर, 2015 तक महिला उत्पीड़न की कुल कितनी घटनायें प्रकाश में आयी हैं ? सरकार द्वारा प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु क्या कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

प्रदेश में मार्च, 2012 में दिसम्बर, 2015 तक महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों का विवरण :––

अपराध	दिनांक 01–03–12 से 31–12–12 तक	2013	2014	2015

हत्या	844	1114	1158	1129
बलात्कार	1476	2710	3050	2747
शीलभंग	2731	7109	8222	7667
अपहरण	6361	8941	9776	9535
छेड़खानी	1277	1505	866	582
चैन स्नैचिंग	643	608	610	460
दहेज मृत्यु	1840	2239	2376	2282
महिलाओं से प्रताड़ना/गाली गलौज इत्यादि	6761	9622	11023	10263

इससे स्पष्ट है कि वर्ष–2014 के सापेक्ष वर्ष–2015 में महिला के विरुद्ध घटित अपराधों में कमी आयी है।

नोटः– उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर गश्त एवं पिकेट लगाया जा रहा है। महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं रोकथाम हेतु 1090 वूमेन पावर लाइन विकसित किया गया है, इस अभिनव प्रयास से इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगा है। महिलाओं के साथ घटित गम्भीर अपराधों के संवेदनशीलता के दृष्टिगत अपराधों की विवेचना महिला उप निरीक्षक के द्वारा की जाती है।

महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों को रोकने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को 'ट्रैफिकिंग' एवं महिला प्रकरणों के सम्बन्ध में जागरूक बनाने की दृष्टि से प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इन सर्विस फोर्सेज में 'ट्रैफिकिंग' एवं लैंगिक संवेदनशीलता जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। बलात्कार सम्बन्धी अपराधों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना हेतु अधिकाधिक वैज्ञानिक साक्ष्यों का समावेश किये जाने पर बल दिया जा रहा है एवं बलात्कार में संलिप्त अपराधी को कठोर सजा दिये जाने का प्राविधान भारतीय दण्ड संहिता में पूर्व से मौजूद है, इसके अतिरिक्त क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट–2013, दिनांक 03 फरवरी, 2013 को लागू किया गया है, जिसके द्वारा भा0दं0वि0, दं0प्र0सं0 व साक्ष्य अधिनियम में कुछ संशोधन करते हुये बलात्कार की सजा को और अधिक कठोर किया गया है।

महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में रोकथाम के समुचित उपाय किये जाने के उपरान्त कमी हुई है। उक्त अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय में महिला सहायता प्रकोष्ठ मुख्यालय स्थापित किया गया। प्रदेश के जनपदों में 05 जोन में विभक्त कर इनका पर्यवेक्षण पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के थानों पर गठित स्पेशल यूनिट के नामित

जुवेनाइल आफिसर जो उप निरीक्षक स्तर के हैं, की नियुक्ति की गयी जिनके द्वारा बाल यौन हिंसा की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। फिर भी इन अपराधों में पूर्णतः नियंत्रण के उद्देश्य से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रदेश के 35 जनपदों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है।

वर्तमान में महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के अधीन 'महिला सम्मान प्रकोष्ठ' का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दिनांक 26–12–2015 से 29–12–2015 के मध्य ठण्ड से प्रभावित गरीब लोगों के लिए योजनाओं का विवरण

''02–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 26–12–2015 से 29–12–2015 के मध्य ठण्ड से करीब दो दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने गरीब लोग ठण्ड से न मरें इसके लिये कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोटः––उ0प्र0 विधान संशोधनों कार्य–संचालन नियमावली, 1938 के नियम–41 अन्तर्गत सभी प्रश्न अंकित माने गये।

लोक निर्माण, सिंचाई एवं राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

जी नहीं।

अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत दिये जाने के लिये सरकार द्वारा योजना बनायी गयी है।

इस सम्बन्ध में की गया कार्रवाई का विवरण निम्नवत् है :––

1–दिनांक 04–11–2015 को अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु रु0 5.00 प्रति तहसील की दर से कम्बल एवं रु0 50.00 हजार प्रति तहसील की दर से अलाव जलाये जाने हेतु प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी को कुल रु0 18.70 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने के साथ ही कम्बलों की गुणवत्ता, पात्रों का चयन, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था तथा शीतलहरी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव में न होने की व्यवस्था करने, स्थानीय नगर निकायों का सहयोग प्राप्त किये जाने तथा व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने आदि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

2–अत्यधिक ठण्ड के दृष्टिगत जनपदों द्वारा की गयी मार्ग के सापेक्ष कम्बल/अलाव के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गयी है।

3–दिनांक 24–11–2015 तथा 14–12–2015 को शासन द्वारा जिलाधिकारीगण को इस सम्बन्ध में निर्देशित भी किया गया है।

4–राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूप द्वारा शीतलहरी के फलस्वरूप कम्बल वितरण एवं अलाव जलाये जाने का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में भू–गर्भ जल के गिरते स्तर को रोकने हेतु योजनाओं के रिक्त विवरण की मांग

'1–श्री सतीश महाना, श्री सुरेश राणा, श्री दलवीर सिंह, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री अजय कपूर–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू–गर्भ जल के गिरते स्तर को रोकने हेतु सरकार की कोई दीर्घकालिक योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई तथा पशुपालन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

जी हां।

प्रदेश में भू–गर्भ जल की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में 'भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भू–जल रिचार्ज हेतु समग्र नीति, लागू की गयी है।

प्रदेश में 'भू–जल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भू–जल रिचार्ज हेतु समग्र नीति' कार्यालय–ज्ञाप संख्या–280/62–1–2013–7डब्लूपी–2004टीसी–ण्ण्, दिनांक 18 फरवरी, 2013 द्वारा लागू की गयी है। समग्र नीति के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :––

भू–जल संसाधनों का विनियमित दोहन तथा अनुकूलतम एव विवेकयुक्त उपयोग किया जाना।

भू–जल उपयोग/दोहन में कमी लाने के लिए जल उपयोग की कुशल सिंचाई पद्धतियों (ड्रिप स्प्रिंक्लर, पाइप सिंचाई) को लागू करना।

अतिदोहित/क्रिटिकल क्षेत्रों में कम जल खपत वाली फसलों को प्रोत्साहित करना।

अतिदोहित एवं क्रिटिकल क्षेत्रों में नहर जल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना।

अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन एवं भू–जल रिचार्ज की योजनओं का क्रियान्वयन किया जाना।

शहरी क्षेत्रों में भू–जल संरक्षण/सम्वर्धन को लागू किया जाना।

वृहद् स्तर पर भू–जल जन जागरूकता अभियान चलाया जाना।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राइमरी विद्यालयों में मिड–डे–मील में दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक युक्त पैक्ड दूध की आपूर्ति विषयक

'02–श्री मनीष असीजा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में मिड–डे मील में दूध दिये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि प्रदेश में अनेक स्थानों में मिलावटी दूध के मामले संज्ञान में आये हैं ? यदि हां, तो क्या बच्चों को दिये जाने वाले दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पराग/अमूल अथवा उच्च मानकयुक्त पैक्ड दूध की आपूर्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन)–

जी हां।

जनपद आगरा के विकास खण्ड खैरागढ़ के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय ऊंटगिरी में दिनांक 30–09–2015 को घटना संज्ञान में आयी।

सप्ताह के एक दिन (बुधवार) को छात्रों को गरम दूध उपलब्ध कराये जाने हेतु परिवर्तन लागत मद से धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इस हेतु विद्यालयों से सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/ग्राम प्रधान द्वारा स्थानीय स्तर पर दूध क्रय कर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। अतः उक्त धनराशि से मुख्यालय से सुदूर स्थित विद्यालयों के सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/ग्राम प्रधान द्वारा पराग/अमूल अथवा पैक्ड दूध की आपूर्ति की जानी सम्भव नहीं है।

उक्तवत्।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग

'01–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अशुद्ध पेयजल पीने से नागरिक बड़ी संख्या में वाटर बोर्न डिजीज (अशुद्ध पेयजल से होने वाली बीमारियों) से पीड़ित होकर गम्भीर रोगों से ग्रसित होते हैं एवं अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शुद्ध पेयजल नीति बनाकर प्रदेश की जनता को अनिवार्य रूप से शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

प्रदेश में पेयजल की समस्या के निवारण के लिये विभिन्न श्रोतों से पेयजल परियोजनओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश की जनता को पेयजल आपूर्ति हेतु नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार/राज्य सरकार के मानकों के अनुसार उ0प्र0 जल निगम द्वारा योजनाओं का विरचन एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है। योजनाओं के निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त योजनओं को रख–रखाव एवं संचालन हेतु सम्बन्धित स्थानीय निकाय को सौंप दिया जाता है। जलापूर्ति की गुणवत्ता सम्बन्धित स्थानीय निकाय (जलकल विभाग) द्वारा नियन्त्रित की जाती है। इस प्रकार शुद्ध पेयजलापूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है।

प्रदेश में वर्ष 2014–15 से पूर्व कुल 630 स्थानीय निकायें थीं, जिनमें से 628 नागर निकायों में पाइप पेयजलापूर्ति की व्यवस्था थी। दो नगर पंचायतें यथा–डुमरियागंज व उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर में पाइप पेयजलापूर्ति नहीं है। उसका बाजार नगर एवं डुमरियागंज पंचायत हेतु पाइप पेयजल योजना राज्य सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में उसका बाजार एवं डुमरियागंज में हैण्डपम्प अधिष्ठापित है जिनसे पेयजल आपूर्ति हो रही है। प्रदेश में अद्यतन कुल 635 स्थानीय नागर निकाय हैं। वर्तमान में नयी गठित निकायों में पेयजल की आपूर्ति विभिन्न स्रोतों से की जा रही है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जलापूर्ति की स्थिति को सुदृढ़ किये जाने हेतु राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान 64 पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से 3 जल शोधन संयंत्र, 253 नये नलकूप, 50 रि–बोर नलकूप, 89 ओवर हेड टैंक, 39 सी0डब्ल्यू0आर0 1821.09 कि0मी0 वि0प्र0 एवं 86107 मी0 राइजिंगमेन के कार्य किये जा रहे है, जिसके सापेक्ष 111 नये नलकूपों, 40 रि–बोर नलकूप, 20 ओवर हेड टैंक, 02 सी0डब्ल्यू0आर0 398.27 कि0मी0 वि0प्र0 एवं 33071 मी0 राइजिंगमेन के कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 05 परियोजनाओं के क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजनओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से 79 नये नलकूप, 10 रिबोर नलकूप, 24 ओवर हेड टैंक, 05 सी0डब्ल्यू0आर0, 401. 05 कि0मी0 वि0प्र0 एवं 40440 मी0 राइजिंगमेन के कार्य प्रस्तावित है, प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 43 नये नलकूप, 07 रि–बोर नलकूप, 17 ओवर हेड टैंक, 398.27 कि0मी0 वि0प्र0 एवं 15300 मी0 राइजिंगमेन के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

जिला योजना (सामान्य/एस0सी0पी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराकर भी स्वच्छ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 2328 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं 2637 हैण्डपम्पों के रि–बोर कार्य कराये गये। वर्ष 2015–16 हेतु सामान्य एवं एस0सी0पी0 कार्यक्रम हेतु क्रमशः रु0 30.00 करोड़ एवं रु0 50.00 करोड़ धनराशि स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष समस्त जनपदों में नलकूप रि–बोर, नये हैण्डपम्पों तथा हैण्डपम्प रि–बोर के कार्य सम्बन्धित जिलाधिकारी से कार्य योजना स्वीकृत कराकर कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में पेयजलापूर्ति की स्थिति को सुदृढ़ किये जाने हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श में 11 पेयजलापूर्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से कुल 808. 50 एमएलडी क्षमता के 7 वाटर वर्क्स, 245 नये ट्यूबवेल्स, 102 रि–बोर ट्यूबवेल्स, 446 कि0मी0 राइजिंगमेन, 176 भूमिगत जलाशय, 189 शिरोपरि जलाशय 5121 कि0मी0 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कार्य सम्मिलित हैं। इसी प्रकार जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श में 37 पेयजलापूर्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से कुल 1 इण्टेक

वेल, 1 वाटर ट्रीटमेण्ट प्लान्ट, 428 नये ट्यूबवेल्स, 25 रिबोर टयूबवेल्स, 232 कि0मी0 राइजिंग मेन, 44 भूमिगत जलाशय, 176 शिरोपरि जलाशय 3535 कि0मी0 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 476 पम्पिंग प्लान्ट के कार्य सम्मिलित हैं।

प्रदेश में ए0ई0एस0/जे0ई0 की समस्या से प्रभावित/चिन्हित निकायों में से 2 निकायों में जलापूर्ति की व्यवस्था जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 के अन्तर्गत की जा चुकी है। उक्त के साथ ही जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित जनपदों की पेयजल योजनाओं हेतु जनपद आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीर नगर एवं सिद्धार्थनगर के प्रस्ताव कुल लागत रु0 4141.64 लाख को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भी भेजा गया है।

भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 61 नगर चयनित किये गये है जिनके मानकों के अनुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव विरचित किये जा रहे है। स्पष्टतः प्रदेश सरकार विभिन्न माध्यमों से शुद्ध पेयजलापूर्ति की व्यवस्था हेतु कटिबद्ध है। विभिन्न स्रोतों से पेयजलापूर्ति की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर प्रदेश सरकार ने पेयजलापूर्ति की व्यवस्था को सशक्त किया है। नवघोषित योजनाओं/कार्यक्रमों में विशेषकर अमृत योजना में पेयजल परिजनाओं के स्वीकृति होने पर प्रदेश की पेयजल व्यवस्था में और भी सुधार होगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भू–जल उपलब्धता के नवीनतम आंकलन एवं विकास खण्डों को सुरक्षित श्रेणी में लाये जाने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कार्रवाई के सम्बन्ध में

'02–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू–जल उपलब्धता के नवीनतम आंकलन के अनुसार अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों की संख्या तेजी से बढ़ रही है ? यदि हां, तो उक्त विकास खण्डों को सुरक्षित श्रेणी में लाये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जी हां, 31 मार्च, 2011 के आंकड़ों पर आधारित भू–जल संसाधन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 820 विकास खण्डों में 111 विकास खण्ड अतिदोहित एवं 68 विकास खण्ड क्रिटिकल श्रेणी तथा 82 विकास खण्ड सेमी क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत हैं।

प्रदेश में भू–जल संसाधनों के समेकित प्रबन्धन के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 18 फरवरी, 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश में भू–जल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भू–जल रिचार्ज हेतु ''समय नीति'' निर्गत की गई है, जिसके अन्तर्गत अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में भू–जल की स्थिति में सुधार लाये जाने के उद्देश्य से विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी–अपनी विभागीय योजनाओं में वर्षा जल संचयन

एवं भू–जल रिचार्ज के कार्य कराये जाते हैं। उक्त के अन्तर्गत विभिन्न अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में लघु सिंचाई विभाग द्वारा चेकडैम निर्माण, मनरेगा अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/नये तालाबों का निर्माण, कृषि विभाग द्वारा आन फार्म हार्वेस्टिंग आदि के कार्य सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट कूड़े के निस्तारण एवं इससे बिजली बनाने की नीति विषयक

'03–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट कूड़े के निस्तारण की क्या नीति है ? सरकार की इससे बिजली बनाने की कोई योजना प्रगति पर है ? यदि हां, तो क्या आगामी वर्ष में कूड़े से बिजली बनाने की योजना कार्य रूप ले सकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश के समस्त नागर निकायों में वैज्ञानिक रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा वर्ष 2019–20 तक चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

नगर निकायों में प्रतिदिन उत्पादित कूड़े का ''कम्पोस्टिंग'' आधार पर निस्तारित किये जाने की योजनाएं प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त कूड़े की मात्रा/गुणता के आधार पर कूड़े से बिजली बनाने की योजना उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में उन्हें स्थापित किये जाने की योजनाएं भी विचाराधीन है। इस क्रम में रामपुर में कूड़े से बिजली बनाने की परियोजना पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ की जा रही है। इसके अतिरिक्त नगर निगम, आगरा में कूड़े से बिजली बनाने हेतु फर्म का चयन कर लिया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये शस्त्रों की खरीद पर निर्धारित कारतूस विक्रेता द्वारा दिये जाने के प्राविधान की मांग

'04–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस पर कारतूस खरीदने पर खाली खोखे दुकानों में जमा करना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि नया शस्त्र क्रय करने पर विक्रेता दुकानदार शस्त्र के साथ कारतूस का विक्रय नहीं करता, जिससे शस्त्र बिना कारतूस के रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार नये शस्त्रों की खरीद पर निर्धारित कारतूस विक्रेता द्वारा दिये जाने का प्राविधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

रिट याचिका संख्या–3268(एम0बी0)/2012 जितेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा समय–समय पर पारित

आदेश दिनांक 07–10–2013/25–11–2013/06–09–2014/13–11–2014 के अनुक्रम में लोकहित में शस्त्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिये शासनादेश संख्या–7/रिट–914/छः–पु–5–2014–रिट–401/2012, दिनांक 29–12–2014 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह व्यवस्था की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक जिले में विशेष साइबर अपराध थाना स्थापित करने की मांग

'05–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते आधुनिक/साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में विशेष साइबर अपराध थाना स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

साइबर क्राइम की विवेचना/कार्रवाई हेतु साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना जनपद आगरा एवं लखनऊ में की जा चुकी है तथा साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रथम चरण में नोएडा एवं लखनऊ में 02 साइबर थानों की स्थापना का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति विवरण विषयक

'06–श्री नदीम जावेद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की बेहद कमी है ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों को प्रोन्नति से भरे जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पद पदोन्नति के पद हैं तथा पदोन्नति निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

उक्तवत्।

जनपदों में रिक्त पद के सापेक्ष जिन शिक्षकों की प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक पद पर 5 वर्ष तथा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा उच्च प्राथमिक

विद्यालय के सहायक अध्यापक के पद पर 03 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण हो चुकी हो, को ज्येष्ठता क्रम में पदोन्नति किये जाने की व्यवस्था उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 में है। यदि सेवा अवधि में कमी है तो बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुभव में छूट देकर रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2012 से अक्टूबर, 2015 के तक हुए दंगों एवं दंगे रोकने की प्रभावी योजना की जानकारी

'07—श्री सुरेश राणा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2012 से अक्टूबर, 2015 तक कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं तथा उन दंगों में संलिप्त लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? क्या सरकार दंगों की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

प्रदेश में वर्ष 2012 से अक्टूबर, 2015 तक की अवधि में वर्ष 2012 में 03 जनपद बरेली, फैजाबाद एवं मथुरा, वर्ष 2013 में 01 जनपद मुजफ्फरनगर एवं 2014 में 01 जनपद सहारनपुर में कुल मात्र 05 साम्प्रदायिक दंगों की घटनायें घटित हुई थी। घटना में संलिप्त पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गयी है।

प्रदेश में दंगों की रोकथाम हेतु प्रभावी योजनाएं बनायी गयी है, जो कार्यशील है।

प्रदेश सरकार द्वारा दंगों को रोकने के लिए निम्नांकित उपाय किये गये है :——

1—जनपदों में बनायी गयी दंगा नियंत्रण योजना में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्रवाई की जाती है।

2—पुलिस का आम जनता के प्रति मित्र छवि उपस्थित करना ताकि जनमानस में आत्मविश्वास की भावना जागृत हो और लोग खुले मन से पुलिस का सहयोग करें।

3—कम्यूनिटी पुलिसिंग के जरिये जनता की कठिनाइयों को दूर किया जाना। दंगा/साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए समय—समय पर शान्ति सुरक्षा समितियों की गोष्ठी कर साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हेतु सफल प्रयास किये जाते है।

4—संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में समुचित पुलिस गश्त एवं पिकेट की व्यवस्था की गयी है ताकि छोटी—छोटी घटनायें विकराल रूप धारण न कर सकें।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 16—05—2012 एवं 16—03—2013 का सभी जनपदीय पुलिस अधिकारियों से कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र दिनांक

20–03–2013 एवं 26–06–2013 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई करते हुये कानून का शासन स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कानून–व्यवस्था सुधारने हेतु सरकार की कार्य योजना की जानकारी

'08–श्री अजय कुमार 'लल्लू' तथा डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बिगड़ती कानून–व्यवस्था को सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्तमान में उ0प्र0 की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है फिर भी प्रदेश सरकार द्वारा कानून–व्यवस्था की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रभावी कार्य योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :––

1–आपसी विवाद एवं रंजिश के मामले को समय से निपटाया जा रहा है, जिससे उन्हें बड़ी घटना में बदलने से रोका जाय।

2–साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां की जा रही है :––

(1) पुलिस का आम जनता के प्रति मित्र छवि उपस्थित करना।

(2) कम्यूनिटी पुलिसिंग के जरिये जनता की कठिनाइयों को दूर किया जाना।

(3) महिला उत्पीड़न/छात्राओं के साथ छेड़–छाड़ की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश हेतु **महिला हेल्पलाइन–1090** चालू किया जाना।

(4) प्रदेश में महिलाओं व बच्चियों के साथ होने वाल अपराधों व उत्पीड़न के मामलों की संवेदनशीलता एवं उनकी रोकथाम के लिए ''महिला सम्मान प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया है। महिलाओं व बच्चियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा एवं भेदभाव पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है।

(5) **समाधान दिवस** पर जनता की शिकायतों को गुण–दोष के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाना।

(6) समय–समय पर विभिन्न कार्यशालायें आयोजित कर पुलिस जनों को सद्व्यहार प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाना।

(7) भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिये जनपदों में बनी हुई दंगा नियंत्रण योजना का पूर्वाभ्यास करते रहना।

3–साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

4–जातिगत एवं धार्मिक तनाव उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निष्पक्षता से कार्रवाई की जा रही है।

5–माफिया, गुण्डों, अपराधियों के विरुद्ध कड़ी और प्रभावी कार्रवाई तत्परता से की जा रही है।

6–महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

7–सार्वजनिक स्थलों पर शस्त्रों के खुले प्रदर्शन व हर्ष फायरिंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

8–थानों पर सभी अभियोगों का पंजीकरण कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा **सीसीटीएनएस** के माध्यम से इस कार्य को और अधिक प्रभावी कर दिया गया है।

9–जनता की शिकायतों पर तत्काल सुनवायी कर उसके निस्तारण के लिए व्यवस्था की जा रही है।

10–आधुनिक कन्ट्रोल रूम स्थापित कर घटना पर त्वरित कार्रवाई के प्रथम चरण मे क्रमशः जनपद लखनऊ/गाजियाबाद/कानपुर/इलाहाबाद में प्रारम्भ कर दिया गया है शेष प्रदेश के महत्वपूर्ण जनपदों में भी स्थापित किये जाने की कार्रवाई प्रचलित है।

11–कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों में एक साथ विशेष अभियान चलाकर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है।

12–सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता से कानून का शासन स्थापित किया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 16–05–2012 एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र दिनांक 26–06–2013 में उल्लिखित निर्देशों का सभी जनपदीय पुलिस अधिकारियों से कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गोवंश जाति के अवैध कटान को रोके जाने हेतु कड़ा कानून बनाये जाने की मांग

'09–श्री सतीश महाना तथा श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गोवंश जाति के पशुओं का अवैध कटान होने के कारण उनकी संख्या लगातार कम हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ठोस नीति बनाकर गोवंश का अवैध कटान रोकने हेतु कड़ा कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जी नहीं।

उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (यथासंशोधित, 2002) द्वारा गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। वर्ष 2007 की पशुगणना के अनुसार प्रदेश में 190.97 लाख गोवंशीय पशु थे एवं वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार 205.66 लाख गोवंशीय पशु है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में पूर्व से ही उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (यथासंशोधित, 2002) लागू है, जिसके अन्तर्गत गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

प्रदेश में प्राथमिक अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण में वरिष्ठता निर्धारण एवं पदोन्नति हेतु सरकार की नीति विषयक

'10–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण कराने वाले प्राथमिक अध्यापकों के वरिष्ठता निर्धारण एवं पदोन्नति हेतु सरकार ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन)–

जी हां।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 (अद्यतन संशोधित) के नियम–22(1) की टिप्पणी (2) में प्राविधान है कि किसी अध्यापक की जिसके नियम–21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानान्तरण का आदेश जारी किये गये दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रखा जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक जाम निवारण हेतु सरकार की कार्य योजना की जानकारी

'11–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में मुख्य मार्गों पर प्रायः ट्रैफिक जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो इसके निवारण के लिए क्या सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्तमान में लखनऊ शहर में किसी भी मुख्य मार्ग पर स्थायी जाम की समस्या नहीं है, अपितु बीबीआईपी/बीआईपी भ्रमण, धरना, प्रदर्शन होने व जुलूस आदि निकलने तथा मार्गों पर निर्माण कार्य, मैट्रो का कार्य, रोड खुदाई होने आदि के समय अल्प अवधि के लिए अस्थायी जाम की समस्या उत्पन्न होती है अथवा यातायात रुक–रुक कर या धीमी गति से संचालित होता है।

यातायात व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित किये जाने हेतु जनपद लखनऊ के अतिरिक्त प्रदेश के 11 जनपदों में ''एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली'' को लागू किये जाने की कार्रवाई प्रचलित है। इस हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के माध्यम से कन्सलटेन्ट का चयन कर लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत इन सभी जनपदों में यातायात के आधुनिक संकेतों की स्थापना के साथ–साथ चौराहों की अभियांत्रिकी में सुधार, सड़कों पर लगाये जाने वाले चिन्हों में सुधार तथा सूचनात्मक संकेतों में वृहद् सुधार किया जायेगा।

जनपद लखनऊ में स्मार्ट सिटी सर्विलान्स योजना के अन्तर्गत 280 स्थानों पर कैमरों की व्यवस्था की गयी है जिन्हें केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष से जोड़ा गया है। इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से यातायात नियमों का प्रवर्तन प्रभावी रूप से किया जा सकेगा।

यातायात पुलिस द्वारा सोशल मीडिया (ट्विटर, व्हाटसएप, फेसबुक) के माध्यम से प्रभावी जनसंवाद स्थापित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यातायात संचालन योजना (ट्रैफिक रेग्युलेशन), यातायात परामर्श (ट्रैफिक एडवाजरी) तथा यातायात चेतावनी (ट्रैफिक एलर्ट) तत्काल विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य तक पहुंचाये जा रहे हैं। साथ ही जन सामान्य से यातायात सम्बन्धी समस्याओं, सुझाव तथा शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने पर त्वरित गति से उनका निस्तारण किया जा रहा है।

यातायात व्यवस्था को सुनियोजित रूप से संचालित करने हेतु सभी जनपदों को पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा–31 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत यातायात संचालन के लिए विस्तृत आदेश जारी किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित हुए शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाते हुए वर्तमान स्थिति की जानकारी

'12–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित पूर्ण पीठ ने शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर हुए समायोजन को असंवैधानिक मानते हुए उसे रद्द कर दिया है जिससे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी आ गयी है ? यदि हां, तो क्या शिक्षक पद से हटाये गये शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि करके उन्हें पुनः/समायोजित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12–7–2015 के विरुद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–21708–21709–2015 योजित की गयी है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया गया है।

शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधायकों की क्षेत्रीय विकास निधि क्षेत्रफल के अनुसार निधि बढ़ाने विषयक

'13–श्री वीरपाल राठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधायकों को दी जाने वाली क्षेत्रीय विकास निधि क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति, संतुलित विकास, संतृप्तीकरण एवं जनता के मूलभूत सुविधाओं के प्राविधान हेतु सांसद निधि की तरह विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को भी 'विधायक निधि' के रूप में धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है। क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रीय विकास निधि की धनराशि बढ़ाया जाना उचित नहीं है।

प्रदेश में पुलिस की गाड़ियों में चिकित्सा कर्मियों को नियुक्त करने की योजना की जानकारी

'14–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मुख्य मार्गों पर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को सहायता देने वाली पुलिस की गाड़ियों में क्या सरकार एक उपचार सहायक भी नियुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

पुलिस की गाड़ियों में चिकित्सा कर्मियों को नियुक्त करने की कोई योजना नहीं है। चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित 108 आकस्मिक चिकित्सीय परिवहन सेवा की एम्बुलेन्सों द्वारा आकस्मिक स्थितियों में प्रभावित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है। इन एम्बुलेन्सों में 01 इमरजेन्सी मेडिसिन टेक्नीशियन (ईएमटी) की तैनाती की व्यवस्था है।

प्रदेश की नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने विषयक

'15–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में निकायों और पंचायतों की भांति राज्य की नौकरियों में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 26–02–1999 के माध्यम से राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है, जो सम्प्रति पर्याप्त है।

प्रदेश में तहसील मुख्यालयों पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालयों की स्थापना विषयक

'16–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दरवाजे पर न्याय (जस्टिस ऐट दी डोर) को सफल बनाने हेतु तहसील स्तर पर ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट (मुन्सिफ) अदालतों की स्थापना सरकार ने की है ? यदि हां, तो कितनी तहसीलों में तथा शेष में कब तक स्थापित किये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक तहसील मुख्यालयों पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालयों की स्थापना नहीं की जा सकी है।

मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 80 तहसीलों में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा 113 ऐसे तहसील मुख्यालयों पर जहां वाह्य न्यायालय नहीं है, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के ग्राम न्यायालय की

स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसके सापेक्ष 104 ग्राम न्यायालयों का सृजन कर दिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय से शेष 09 तहसीलों की सूची प्राप्त होने पर उक्त 09 तहसील मुख्यालयों पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) 2011 में हुए फर्जीवाड़े के दोषियों पर की कार्रवाई की जानकारी

'17—श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) 2011 में किये गये फर्जीवाड़े की जांच में पाये गये दोषियों को समुचित दण्ड और निर्दोष परीक्षार्थियों को न्याय दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

जी हां।

प्रदेश की पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0—2011) में किये गये फर्जीवाड़े में श्री संजय मोहन, तत्कालीन शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को जनपद रमाबाईनगर (कानपुर देहात) की पुलिस द्वारा टी0ई0टी0 परीक्षा में हुई अनियमितताओं के प्रकरण में हिरासत में लिया गया तथा शासन के कार्यालय—ज्ञाप दिनांक 08—02—2012 द्वारा श्री संजय मोहन, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को निलम्बित किया गया। श्री संजय मोहन के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण इनके विरुद्ध कार्यालय—ज्ञाप दिनांक 30—10—2012 द्वारा सी0एम0आर0 के अनुच्छेद 351—ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित की गई तथा श्री शिवनन्दन प्रसाद, विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन, उ0प्र0 शासन को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त श्री संजय मोहन के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने की दशा में उन्हें बचाव का अवसर देते हुए अभ्यावेदन मांगा गया है। मु0अ0सं0 675/2011 धारा—420/120 बी भा0द0वि0 व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत श्री संजय मोहन के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजित किये जाने की स्वीकृति आदेश दिनांक 03—08—2012 द्वारा प्रदान की गई है।

श्रीमती प्रभा त्रिपाठी, तत्कालीन सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विरुद्ध कार्यालय—ज्ञाप दिनांक 10—04—2013 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम—7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित की गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्या का नियमानुसार परीक्षण करते हुए श्रीमती प्रभा त्रिपाठी को दोषमुक्त पाते हुए अनुशासनिक कार्रवाई को कार्यालय—ज्ञाप दिनांक 10—09—2013 द्वारा समाप्त किया जा चुका है। सम्प्रति श्रीमती प्रभा त्रिपाठी की मृत्यु हो चुकी है।

टी0ई0टी0—2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या—1874—1904/2014 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश

दिनांक 25–03–2014 के अनुपालन में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों के पद पर चयन/नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गत तीन वर्षों में पुलिस चौकी एवं थानों के अन्दर पुलिस की पिटाई एवं अपराधियों को जबरन छुड़ाने की घटनायें एवं इन घटनाओं को रोकने की कार्य योजना विषयक

'18–डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत तीन वर्षों में पुलिस चौकी एवं थानों के अन्दर पुलिस की पिटाई एवं अपराधियों को जबरन छुड़ाने की कितनी घटनायें सरकार के संज्ञान में आई हैं ? क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने की कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में गत तीन वर्षों में पुलिस चौकी एवं थानों के अन्दर पुलिस की पिटाई एवं अपराधियों को छुड़ाने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों का विवरण निम्वत् है :––

वर्ष	पुलिस चौकी एवं थानों के अन्दर पुलिस की पिटाई की कितनी घटनाएं घटित हुई हैं, की संख्या	पुलिस चौकी एवं थानों के अन्दर पुलिस की पिटाई के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों की संख्या	चौकी/थानों के अन्दर से अपराधियों को छुड़ाने की कितनी घटनायें घटित हुई हैं, की संख्या	पुलिस चौकी एवं थानों के अन्दर से अपराधियों को छुड़ाने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों की संख्या
2013	8	8	2	2
2014	14	14	0	0
2015	16	16	4	4

पुलिस थाना/चौकियों/पुलिस जनों पर हमलों के प्रकरणों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 पंजीकृत कर प्रभावी विधिसम्मत कार्रवाई की गयी है तथा आवश्यकतानुसार संलिप्त ऐसे अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट एवं अन्य निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाती है, जिसके कारण इस प्रकार के क ृत्य करने वाले अपराधियों का मनोबल टूटा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जू0 हा0 स्कूलों को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत करने की योजना विषयक

'19–श्री संजय कपूर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बच्चों को शिक्षित करने की नीति क्या है ? क्या यह सही है कि जू0 हा0 स्कूल के बाद माध्यमिक इण्टर कालेज के अभाव में ग्रामीण गरीब बच्चे आगे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी सरकारी जू0 हा0 स्कूलों को इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा के लिये उच्चीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रदेश में सभी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है।

जी नहीं।

जी नहीं।

वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2012 तक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1021 जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल को एक विषय के रूप में शामिल करने एवं उक्त विद्यालयों के विद्युतीकरण की योजना विषयक

'20–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में प्रदेश के विद्यालयों में क्या व्यवस्थायें की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के उक्त विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था किये जाने की भी सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

उक्त के सम्बन्ध में विद्यालयों में निम्न व्यवस्थायें की गई है :––

(1) खेल विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर 'खेल एवं स्वास्थ्य' नामक पाठ्यपुस्तक लागू की गयी है।

(3) ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिनमें छात्र संख्या 100 से अधिक हैं, एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक नियुक्त किया गया है।

(4) खेलकूद प्रतियोगितायें आयोजित कराने की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

(1) प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में योजना प्रारम्भ की गई।

(2) बजट की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2007–08 से वर्ष 2012–13 तक लगभग 93354 विद्यालयों को चिन्हित कर ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबन्ध समिति के माध्यम से विद्युतीकरण का कार्य कराया गया। विद्युत कनेक्शन का कार्य उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन द्वारा किया गया है।

(3) वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण बजट प्राविधान नहीं हो सका।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रिक्त पदों को भरने की सरकार की नीति विषयक

01–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोअर ज्यूडीशियल में मुंसिफ तथा दीवानी न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश के लोअर जुडिशियल में उच्चतर न्यायिक सेवा के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 42 पद रिक्त हैं। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के 06 पद रिक्त हैं। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 242 पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों के सापेक्ष 197 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

02–श्री ममतेश शाक्य–

ख्1ले गुरुवार के अता0प्र0सं0–97 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के खण्ड शिक्षा अधिकारियों के कर्तव्य/दायित्व की जानकारी विषयक

03–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग के खण्ड शिक्षा अधिकारी जो जनपद मुख्यालयों पर तैनात हैं, के कर्तव्य/दायित्व परिभाषित हैं ? यदि नहीं, तो क्या इनके कर्तव्य/दायित्वों को परिभाषित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

वाराणसी नगर में नई बिछायी जा रही सीवर लाइनों को गंगा या वरुणा नदी में ना गिराये जाने की सरकार की नीति की जानकारी

04–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में जो नई सीवर लाइनें बिछायी जा रही हैं, वह गंगा या वरुणा में न गिरे, इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

वाराणासी शहर में जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0/जायका सहायतित गंगा एक्शन प्लान फेज–2 के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछायी जा रही है। उक्त सीवर लाइनों से घरेलू अवजल (सीवेज) गंगा या वरुणा नदी में नहीं गिरेंगे, अपितु ट्रंक सीवर के माध्यम से घरेलू अवजल को शोधन हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में भेजा जायेगा।

निर्माणाधीन परियोजनाएं निम्नवत् है :––

1–जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की ट्रांस वरुणा सीवरेज योजना स्वीकृत लागत रु0 407.31 करोड़।

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षित लागत रु0 407.31 करोड़ की योजना का निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसके अन्तर्गत कुल 142.58 कि0मी0 सीवर लाइन, 2 नग पम्पिंग स्टेशन एवं 1 नग 120 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

2–जायका सहायतित योजना स्वीकृत लागत रु0 496.90 करोड़।

इस योजना में सीवरेज कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत 17.84 कि0मी0 सीवर लाइन 03 नग पम्पिंग स्टेशन, 10.24 कि0मी0 राइजिंग मेन एवं 01 नग 140 एम0एल0डी0 का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण कार्य स्वीकृत है। इस योजना के सीवरेज कार्यों को कार्यान्यवित करने हेतु 05 पैकेजों में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त नॉन–सीवरेज कार्य नगर निगम, वाराणसी द्वारा किये जा रहे है।

3–गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत रमना में 50 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 निर्माण की परियोजना पर भारत सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है। स्वीकृति के पश्चात् कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर में नालों के गन्दे पानी को गंगा नदी में गिरने से रोकने के कारगर उपाय की जानकारी

05–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में नालों के गन्दे पानी को गंगा नदी में गिरने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कारगर उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त नालों के गन्दे पानी का गंगा में गिरना कब तक पूर्ण रूपेण बन्द हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। वर्तमान में वाराणसी नगर में लगभग 300 एम0एल0डी0 घरेलू अवजल उत्सर्जित होता है। जिसके सापेक्ष 03 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के माध्यम से 19 नालों का 101.8 एम0एल0डी0 घरेलू अवजल का शोधन किया जा रहा है। शेष 198.2 एम0एल0डी0 घरेलू अवजल बिना शोधन के 04 नालों के माध्यम से गंगा नदी में तथा 14 नालों के माध्यम से वरुणा नदी में गिर रहा है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के

अन्तर्गत ट्रान्स वरुणा सीवरेज योजना स्वीकृत लागत रुपये 407.31 करोड़ तथा जायका सहायतित सिस–वरूणा क्षेत्र की सीवरेज योजना स्वीकृत लागत रुपये 496.90 करोड़ का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके पूर्ण होने पर है, जिसके पूर्ण होने पर 14 नालों का घरेलू अवजल वरुणा नदी में एवं 01 नाले का घरेलू अवजल गंगा में गिरने से रोका जा सकेगा। अवशेष 03 नालों हेतु रमना में 50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 की सीवरेज योजना की स्वीकृत भारत सरकार से अपेक्षित है, जिसके पूर्ण होने पर गंगा नदी में गिरने वाले घरेलू अवजल को रोका जा सकेगा।

उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के पूर्ण होने पर वाराणसी नगर में गंगा तथा वरुणा नदी में गिरने वाले नालों को पूर्णतया रोका जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

06–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

ख्ाले गुरुवार के अता0प्र0सं0–136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

सहारनपुर नगर निगम परिक्षेत्र में सर्वेक्षण कराकर मानकानुसार नयी सीवर लाइन डालवाने पर विचार की मांग

07–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर निगम परिक्षेत्र में सीवर लाइन आधी अधूरी एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण गंदगी एवं जलभराव की समस्या बनी रहती है, जिससे सहारनपुर की जनता कभी भी संक्रमित रोगों का शिकार हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर निगम परिक्षेत्र सहारनपुर में एक व्यापक सर्वेक्षण कर निर्दिष्ट मानकानुसार नयी सीवर लाइन डलवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं। यमुना एक्शन प्लान (फेज–1) के अन्तर्गत 38 एम0एल0डी0 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, 51 नालो के प्–क्ूवतो, 66 कि0मी0 सीवर लाइन, पम्पिंग स्टेशन, 19 नग एलसीएसयू एवं 3 नग ब्लमउंजवतपं के निर्माण कार्य कराये गये थे। सीवरेज योजना के समस्त कार्यों को वर्ष 2008 में नगर निगम को हस्तगत किया गया था। नगर निगम द्वारा वर्ष 2008 से योजना का संचालन एवं रख–रखाव किया जा रहा है। यमुना एक्शन प्लान (फेज–1) के अन्तर्गत नगर के नालों को टैप करने हेतु सीवर लाइन बिछाई गयी थी, जिसके पानी को शोधन के उपरान्त ड्रेन किया जाता है।

सहारनपुर नगर की भौगोलिक स्थिति के आधार पर 03 जोन यथा–प्रद्युम्न नगर, नजीरापुरा और बादशाहपुर में विभाजित किया गया है। नगर के शेष क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित अमृत योजना के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर, बेहट रोड पर कुष्ठ आश्रम से हनुमान नगर तथा मुन्गागढ़ बाल्मीकि कालोनी से तोता चौक की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण विषयक

08–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर बेहट रोड पर कुष्ठ आश्रम से हनुमान नगर तक तथा बेहट रोड पर स्थित मुन्गागढ़ बाल्मीकि

कालोनी से तोता चौक (भूतेश्वर मंदिर) तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

भूतेश्वर मन्दिर रोड पर तोता चौक से राम विहार कालोनी मुन्नागढ़ होते हुए बेहट रोड तक तथा बेहट रोड पर कुष्ठ आश्रम से हनुमान नगर तक के सड़क सुधार कार्य का आगणन तैयार किया गया है। उपरोक्त कार्य धन उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के मोहल्ला माधोनगर, मुख्य मार्ग व इन्द्रानगर कालोनी पेपर मिल रोड पर जलभराव की समस्या निदान हेतु नालियों का चौड़ीकरण, सफाई एवं निर्माण विषयक

09–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर महानगर के मोहल्ला माधोनगर व मुख्य मार्ग पर तथा इन्द्रानगर कालोनी पेपर मिल रोड पर जलभराव की समस्या के निदान हेतु सरकार नालियों का चौड़ीकरण व नालों की सफाई तथा कुछ स्थानों पर नालों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

माधोनगर में नगर निगम सहारनपुर द्वारा नालों की सफाई करा दी गयी है। वर्तमान में नाले ठीक अवस्था में है। सहारनपुर महानगर में पेपर मिल के पास इन्दिरानगर कालोनी का समस्त क्षेत्र निचले क्षेत्र में बसा हुआ है। बस्ती का अधिकांश भाग नीचा होने के कारण मुख्य सड़क पर पानी भर जाता है। नगर निगम द्वारा समय–समय पर पम्पिंग सेट लगाकर पानी की निकासी की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र पर कार्यवाई की जानकारी

10–श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्र सं0–16 वी0आई0पी0/9–6–15, दिनांक 18 जून, 2015 के क्रम में नगर पालिका परिषद्, बेला, प्रतापगढ़ में की गयी अनियमितताओं की जांच आख्या जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र सं0–760/ एल0वी0सी0–2015, दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपों के सम्बन्ध में शासन के पत्र

संख्या–2091/नौ–6–15–34कैम्प/2015, दिनांक 31–12–2015 द्वारा अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, बेल्हा, प्रतापगढ़ का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद्, बेला, प्रतापगढ़ से सम्बन्धित शिकायती पत्र 'आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल' को प्राप्त, पर कार्रवाई की जानकारी सम्बन्धी

11–श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन का अर्धशासकीय पत्र सं0–512 सी0एम0–नौ–6/14–15 कम/07, नगर विकास अनुभाग–6, दिनांक 5 जनवरी, 2015 एवं पत्र सं0 480 नौ–6/14–15 कम/07, नगर विकास अनुभाग–6, दिनांक 30 मार्च, 2015 नगर पालिका परिषद्, बेला प्रतापगढ़ से सम्बन्धित शिकायतों के सम्बन्ध में आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के पत्र संख्या–3783/ 21–205–2010, दिनांक 11–09–2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त शासन के पत्र संख्या–2900(1)–9–6–2015–15कैम्प/2007, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 द्वारा आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद से जांच आख्या में सिद्ध पाये गये आरोपों के सम्बन्ध में आख्या/प्रस्ताव मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिव, नगर विकास को नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ से सम्बन्धित प्राप्त पत्र पर कार्यवाई की जानकारी

12–श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ का पत्र संख्या–635/एल0बी0सी0–2015, दिनांक 26–04–2015 नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता की जांच आख्या से सम्बन्धित सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपों के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–1298/नौ–6–2015–06कैम्प/2015, दिनांक 15–06–2015 द्वारा अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, बेल्हा, प्रतापगढ़ का स्पष्टीकरण मांगा गया। प्रश्नगत प्रकरण में अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, बेल्हा, प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर में उल्लिखित तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त अध्यक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए शासन स्तर पर दिनांक 29–01–2016 को सुनवाई की तिथि निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ के कार्यों की विशिष्ट सम्परीक्षा कराये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा की गयी कार्रवाई की जानकारी

13–श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ के कार्यों की विशिष्ट सम्परीक्षा कराये जाने हेतु श्री जमील अहमद, संयुक्त सचिव, नगर विकास का पत्र संख्या 141, दिनांक 22 जुलाई, 2008 निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद्, जिला प्रतापगढ़ अध्यक्ष द्वारा जुलाई, 2012 से अक्टूबर, 2012 के मध्य भुगतान चेकों पर किये गये हस्ताक्षर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में होने न होने सम्बन्धी

14–श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–3093/नौ–1–12–119 रिट/2011, दिनांक 01 नवम्बर, 2012 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित प्रदेश की समस्त नगर पालिका परिषदों में खाता संचालन हेतु निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो नगर पालिका परिषद्, जिला प्रतापगढ़ के अध्यक्ष द्वारा माह जुलाई, 2012 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 के मध्य किन–किन मदों में किये गये भुगतान के चेकों पर हस्ताक्षर किये गये हैं ? क्या शासनादेश के विपरीत उनके द्वारा भुगतान सम्बन्धी चेकों पर उक्त अवधि में किये गये हस्ताक्षर वित्तीय अनियमितताओं की श्रेणी में आयेंगे ? यदि हां, तो सरकार दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपों के सम्बन्ध में शासन संख्या–2091/नौ–6–2015–34 कम्प/2015, दिनांक 31–12–2015 द्वारा अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, बेल्हा, प्रतापगढ़ का स्पष्टीकरण मांगा गया है। अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, बेल्हा, प्रतापगढ़ का स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा बेसिक शिक्षा में सुधार हेतु सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में कराये जाने की योजना की जानकारी

15–श्री सुदेश शर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा बेसिक शिक्षा में सुधार हेतु सभी शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं राजनेताओं के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में ही कराने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त व्यवस्था लागू कराने हेतु कोई योजना तैयार की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–8–2015 के विरुद्ध न्याय विभाग के परामर्श के उपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित अलीगंज के सेक्टर–एम के आवास सं0–एल–4, एम–70 से एम–77 होते हुए एम–80 तक सड़क निर्माण सम्बन्धी

16–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित अलीगंज के सेक्टर एम के आवास सं0–एल–4, एम–70 से एम–77 होते हुए एम–80 तक सड़क निर्माण हेतु मा0 विधायक श्री अनुग्रह नारायण सिंह का पत्र दिनांक 26–08–2015 जो उक्त तिथि को ही मा0 मंत्री जी के कार्यालय के पत्रांक 1771 द्वारा नगर आयुक्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत सड़क सुचारु आवागमन के लिये ठीक दशा में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदानित मदरसों की सूची की जानकारी

17–श्री नदीम जावेद–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने मदरसों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान दिया गया तथा कितने नये मदरसों को अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश में अनुदानित मदरसों की संख्या–560 है जिसमें वित्तीय वर्ष 2015–16 में नये अनुदानित 100 मदरसे भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्राप्त पत्र पर कार्रवाई की जानकारी

18–श्री अली यूसूफ अली–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर को सम्बोधित, मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र दिनांक 22–9–2015, जो कि भवन सं0–130/619 बगाई भट्टा, टी0पी0 नगर कानपुर में फर्जी प्रपत्रों के आधार पर विद्युत कनेक्शन कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अशोक कुमार तिवारी पुत्र जगमोहन तिवारी निवासी–130/619 बगाही भट्टा थाना बाबूपुरवा, कानपुर नगर द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती अनीता तिवारी के नाम वर्ष 1993 में अपने आवासीय मकान की वसीयत की थी। वसीयत के बाद दिनांक 06–09–1995 को वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गयी। तदोपरान्त वसीयत के आधार पर मालिकाना हक श्रीमती अनीता तिवारी को प्राप्त हुआ। उक्त आवासीय भवन को श्रीमती अनीता तिवारी द्वारा क्रेती श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री माता सहाय दुबे निवासी 130/388 बगाई भट्टा थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर को 3.50 लाख रुपये में तय करते हुए जरिये इकरारनामा दिनांक 04–09–2013 को उप निबन्धक कार्यालय तृतीय में श्रीमती अनीता तिवारी ने 1.50 लाख रुपये नगद प्राप्त किया था एवं दिनांक 10–11–2013 को 2.00 लाख शेष धनराशि जरिये नोटरी शपथ–पत्र प्राप्त कर उक्त भवन की रजिस्ट्री के आधार पर श्रीमती ऊषा देवी ने दिनांक 15–11–2013 के अपने नाम विद्युत कनेक्शन करवा लिया था, किन्तु विक्रेती श्रीमती अनीता तिवारी के देवर राजेन्द्र तिवारी व उसके पुत्र अशोक तिवारी द्वारा सिविल जज डिवीजन, कानपुर नगर में वाद संख्या–1810/2013 बनाम श्रीमती अनीता तिवारी व ऊषा देवी (विक्रेती व क्रेती) व नगर आयुक्त, नगर निगम के विरुद्ध दाखिल किया जाता है, जिस पर उक्त वाद में पारित आदेश के विरुद्ध पुनः याचीगणों द्वारा सिविल रिवीजन संख्या–13374/2015 श्रीमान जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर में बनाम विक्रेती व क्रेती व नगर आयुक्त, कानपुर नगर के विरुद्ध दाखिल किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। जिस पर विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में अलग से पृथक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेष में मदरसा आधुनिकीकरण नियमावली बनाने विषयक

19–श्री अजय कुमार 'लल्लू'

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वकफ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेष में मदरसा विज्ञान षिक्षकों की नियमावली न होने के कारण प्रबन्धकों द्वारा उनको सेवा में रखने व निकालने में मनमानी किये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि

हां, तो क्या सरकार उक्त को रोकने के लिए समयबद्व तरीके से विज्ञान षिक्षकों के लिए सेवा नियमावली बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत मदरसों में शिक्षकों को प्रबन्ध–तंत्र द्वारा मानदेय पर रखा जाता है। नियम विरुद्ध नियुक्ति संज्ञान में आने पर प्रबन्ध–तंत्र के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की व्यवस्था है।

मदरसा आधुनिकीकरण योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। योजना का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स दिनांक 29–10–2008 के अनुरूप किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में कानून–व्यवस्था को सुधारने हेतु सरकार की कार्य योजना की जानकारी

20–श्री सतीष महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेष में बढ़ते अपराध एवं बिगड़ती कानून–व्यवस्था को सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्तमान में उ0 प्र0 की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है फिर भी प्रदेश सरकार द्वारा कानून–व्यवस्था की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रभावी कार्य योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :–

1–आपसी विवाद एवं रंजिश के मामले को समय से निपटाया जा रहा है, जिससे उन्हें बड़ी घटना में बदलने से रोका जाय।

2–साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्रवाइयां की जा रही हैं :–

(1) पुलिस का आम जनता के प्रति मित्र छवि उपस्थित करना।

(2) कम्यूनिटी पुलिसिंग के जरिये जनता की कठिनाइयों को दूर किया जाना।

(3) महिला उत्पीड़न/छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश हेतु महिला हेल्पलाइन 1090 चालू किया जाना।

(4) प्रदेश में महिलाओं व बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों व उत्पीड़न के मामलों की संवेदनशीलता एवं उनकी रोकथाम के लिये ''महिला सम्मान प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया है। महिलाओं व बच्चियों के साथ किसी भी प्रकार की हिन्सा एवं भेदभाव पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है।

(5) समाधान दिवस पर जनता की शिकायतों को गुण–दोष के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाना।

(6) समय–समय पर विभिन्न कार्यशालायें आयोजित कर पुलिसजनों को सद्व्यवहार प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाना।

(7) भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिये जनपदों में बनी हुई दंगा नियंत्रण योजना का पूर्वाभ्यास करते रहना।

3–साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

4–जातिगत एवं धार्मिक तनाव उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निष्पक्षता से कार्रवाई की जा रही है।

5–माफिया, गुण्डों, अपराधियों के विरुद्ध कड़ी और प्रभावी कार्रवाई तत्परता से की जा रही है।

6–महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न रोकने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

7–सार्वजनिक स्थलों पर शस्त्रों के खुले प्रदर्शन व हर्ष फायरिंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही हैं।

8–थानों पर सभी अभियोगों का पंजीकरण कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा सी0सी0टी0एन0एस0 के माध्यम से इस कार्य को और अधिक प्रभावी कर दिया गया है।

9–जनता की शिकायतों पर तत्काल सुनवायी कर उसके निस्तारण के लिये व्यवस्था की जा रही है।

10–आधुनिक कन्ट्रोल रूम स्थापित कर घटना पर त्वरित कार्रवाई के प्रथम चरण में क्रमशः जनपद लखनऊ/गाजियाबाद/कानपुर/इलाहाबाद में प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष प्रदेश के महत्वपूर्ण जनपदों में भी स्थापित किये जाने की कार्रवाई प्रचलित है।

11–कानून–व्यवस्था को और सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों में एक साथ विशेष अभियान चलाकर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है।

12–सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता से कानून का शासन स्थापित किया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 16–05–2012 एवं पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 के परिपत्र दिनांक 26–06–2013 में उल्लिखित निर्देशों का सभी जनपदीय पुलिस अधिकारियों से कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर नगर में पेपर मिल रोड इन्दिरा गांधी कालोनी एवं शारदा नगर में जलभराव समस्या विषयक

21—श्री राजीव गुम्बर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर में पेपर मिल रोड इन्दिरा गांधी कालोनी एवं शारदा नगर में पानी निकासी न होने से जलभराव रहता है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी के निकासी हेतु नाला निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सहारनपुर नगर में पेपर मिल के पास मलिन बस्ती इन्दिरा गांधी कालोनी का समस्त क्षेत्र लो लेइंग एरिया में बसा हुआ है। बस्ती का अधिकांश भाग नीचा होने के कारण सड़क पर पानी भर जाता है।

नगर निगम द्वारा समय—समय पर पम्पिंग सेट लगाकर पानी की उचित निकासी की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जिला के हुसैनगंज के अन्तर्गत बाबू बनारसीदास वार्ड के ट्यूबवेल से लगी गली पर किये गये अवैध अतिक्रमण से सम्बन्धित मा0 सत्य प्रकाश अग्रवाल, विधायक मेरठ के पत्र दिनांक 17—11—14 पर कार्रवाई की जानकारी

22—श्री कृष्ण कुमार ओझा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सत्य प्रकाश अग्रवाल, विधायक मेरठ कैन्ट का पत्र दिनांक 17—11—2014 जो जिला—लखनऊ के हुसैनगंज के अन्तर्गत बाबू बनारसीदास वार्ड में मेरा मन होटल के पीछे जौहरी गड़हिया में सैयद हसन अल्वी/हसन अली उर्फ मुन्ना आदि द्वारा घर के सामने लगे ट्यूबवेल से लगी गली के हिस्से पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवाते हुए दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां।

नगर निगम द्वारा अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे हटाये जाने की तिथि निर्धारित की गयी थी। निर्धारित तिथि को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पायी। पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध होने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् जिला—प्रतापगढ़ के विरुद्ध की जा रही अनियमितता से सम्बन्धित जांच की आख्या पर हुई कार्रवाई से सम्बन्धित

23—श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् जिला–प्रतापगढ़ के विरुद्ध की जा रही अनियमितता से सम्बन्धित जांच आख्या आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल द्वारा प्रेषित, पर प्रमुख सचिव, नगर विकास के पत्र संख्या–1660 नौ–6–2010–15 कैम्प/2007, दिनांक 30–06–2010 निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र के प्रस्तर 08 पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी तथा उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां, शासन के उक्त संदर्भित–पत्र दिनांक 30–06–2010 के क्रम में आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद के पत्र संख्या–3783/21–205–2010, दिनांक 11–09–2016 द्वारा जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त शासन के पत्र संख्या–2900(1)/नौ–6–2015–15 कैम्प/2007, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 द्वारा आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद से जांच आख्या में सिद्ध पाये गये आरोपों के सम्बन्ध में आख्या/प्रस्ताव मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 में पिछड़ा अनुदान निधि के अन्तर्गत 03 मार्गों के निर्माण का कार्यादेश दिनांक 23 मई, 2012 से सम्बन्धित भुगतान एवं अन्य कार्य के अनुपालन सम्बन्धी जिलाधिकारी के पारित आदेश को लागू किये जाने के सम्बन्ध में

24–श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009–2010 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत समान प्रकृति एवं योजना के 03 मार्ग अम्बेडकर चौराहे से पृथ्वीराज चौहान चौराहे तक, वाचनालय से चांद तारा मस्जिद एवं गाय घाट से अम्बेडकर चौराहा होते हुए जेल रोड तिराहे तक का स्वीकृत निर्माण कार्य वर्ष मई 2012 में कार्य करने हेतु कार्यादेश दिनांक 23 मई, 2012 निर्गत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त से सम्बन्धित भुगतान एवं अन्य कार्य जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश संख्या–246/एल0बी0सी0– निस्तारण– प्रत्यावेदन–2014, दिनांक 26 जुलाई, 2014 एवं 706/एल0बी0सी0– 2015 दिनांक 01 जून, 2015 का अनुपालन अधिषासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा कर लिया गया है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ की आख्या के अनुसार अनुबन्ध में उभय पक्षों के मध्य किसी विवाद के निपटारे हेतु आर्बीटेशन के माध्यम से विवाद के निपटारे का कोई

उपबन्ध नहीं है। अतएव मे0वी0एस0 गांधी एण्ड सन्स के पास सिविल कोर्ट से अनुतोष प्राप्त करने का ही विकल्प शेष है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बुलन्दशहर के सरॉय छबीला, ब्लाक–लखावटी के रामदास अग्रवाल उ0मा0 विद्यालय में कार्यरत सुखबीर की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रित पुत्र की नियुक्ति विषयक आवेदन पर कार्रवाई की जानकारी

25–श्री कृष्ण गोपाल पटेल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामदास अग्रवाल उ0मा0 विद्यालय, सरॉय छबीला, ब्लाक–लखावटी, जनपद–बुलन्दशहर में कार्यरत सुखवीर की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रित पुत्र की नियुक्ति विषयक आवेदनकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0पी0जी0 नं0 10484272 टी0जी0ई0, दिनांक 24–7–2014 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

निदेशालय के पत्र दिनांक 03–02–2016 द्वारा मृतक आश्रित की नियुक्ति के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर को निर्देश दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ज्योतिबाफूले नगर के थाना–डिडौली, चौकी के स्व0 का0 सुकरने पाल सिंह के आश्रितों को असाधारण पेंशन प्रदान करने सम्बन्धी

26–कृष्ण गोपाल पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ज्योतिबाफूले नगर के थाना–डिडौली, चौकी के स्व0 का0 सुकरने पाल सिंह, आरक्षी की दिनांक 9–10–2010 की जी0डी0 सं0–6 का सम्मन तामील आदि हेतु की रवानगी के अन्तर्गत सौपे गये कर्तव्य पालन करते हुए सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य प्रकरणों की भांति पुनर्विचार इनके आश्रितों को असाधारण पेंशन प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद अमरोहा ज्योतिबाफूले नगर में नियुक्त आरक्षी श्री सुकरने पाल सिंह दिनांक 9–10–2010 को अपनी निजी मोटर साइकिल से त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था व कागजात तामीला कराने हेतु थाना डिडौली की पुलिस चौकी जिवाई से रवाना हुए थे, जहां से वापस आते समय सस्ते में पीछे से आ रही प्राइवेट गाड़ी द्वारा टक्कर मार देने के कारण गम्भीर रूप से घायल होने पर उपचार के मध्य इनकी मृत्यु हो गयी। पुलिस अधीक्षक, अमरोहा द्वारा की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में दिवंगत कर्मी के

आश्रितों के पक्ष में असाधारण पेंशन का प्रस्ताव महालेखाकार के माध्यम से शासन में प्राप्त हुआ था। नियमावली में विहित व्यवस्था के अनुसार परीक्षण कर वित्त विभाग के परामर्श के उपरान्त प्रकरण में यह पाया गया कि स्व0 सुकरने पाल सिंह की मृत्यु परिस्थितिजन्य दुर्घटना है। उ0 प्र0 पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961/1975 के नियम–3 के अनुसार ऐसे पुलिस अधिकारी/कर्मचारी जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में या किसी अन्य कर्तव्यपालन के दौरान मृत्यु हो जाय अथवा मारे जायं, के आश्रितों को असाधारण पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है, साथ ही नियमावली के नियम–5 में यह भी प्राविधान है कि कोई भी अभिनिर्णय नियम–3 में उल्लिखित कारणों से भिन्न किसी कारण से हुयी मृत्यु के सम्बन्ध में नहीं दिया जायेगा। अतः प्रकरण उ0 प्र0 पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली से आच्छादित न होने के कारण मृतक के आश्रितों को असाधारण पेंशन की देयता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बड़े शहरों की यातायात व्यवस्था और अधिक सुव्यवस्थित करने की सरकार की योजना की जानकारी

27–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बड़े शहरों के मुख्य चौराहों पर जाम की समस्या के सुधार की कोई योजना शासन स्तर पर प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

यातायात व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित किये जाने हेतु प्रदेश के नगरों यथा कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ तथा गोरखपुर में ''एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली'' को लागू किये जाने की कार्रवाई प्रचलित है। इस हेतु उ0 प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के माध्यम से कन्सलटेन्ट का चयन कर लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत इन सभी नगरों में यातायात के आधुनिक संकेतों की स्थापना के साथ–साथ चौराहों की अभियांत्रिकी में सुधार, सड़कों पर लगाये जाने वाले चिन्हों में सुधार तथा सूचनात्मक संकेतों में वृहद् सुधार किया जायेगा।

2–जनपद लखनऊ में स्मार्ट सिटी सर्विलान्स योजना के अन्तर्गत 280 स्थानों पर कैमरों की व्यवस्था की गयी है, जिन्हें केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष से जोड़ा गया है। इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से यातायात नियमों का प्रवर्तन प्रभावी रूप से किया जायेगा। इस प्रकार की व्यवस्था प्रदेश के अन्य 11 शहरों यथा कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ तथा गोरखपुर में भी की जा रही है।

3–यातायात पुलिस द्वारा सोशल मीडिया (ट्विटर, व्हाटसएप, फेसबुक) के माध्यम से प्रभावी जनसंवाद स्थापित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यातायात संचालन योजना (ट्रैफिक रेग्यूलेशन), यातायात परामर्श (ट्रैफिक एडवाइजरी) तथा यातायात चेतावनी (ट्रैफिक एलर्ट) तत्काल विभिन्न माध्यमों से जनसामान्य तक पहुंचाये

जा रहे हैं। इसके साथ ही जनसामान्य से यातायात सम्बन्धी समस्याओं, सुझाव तथा शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने पर त्वरित गति से प्रभावी रूप से उनका निस्तारण किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पदों पर तैनात अधिकारियों के लिये उर्दू भाषा ज्ञान की अनिवार्यता विषयक

28—श्री सुदेश शर्मा—

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अधिकतर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को उर्दू भाषा का ज्ञान नहीं है, जबकि इस विभाग से संचालित होने वाली अधिकतर योजनाओं का उर्दू भाषा से ही सम्बन्ध होता है ? यदि हां, तो क्या उक्त पद हेतु तैनात होने वाले अधिकारियों के लिये उर्दू भाषा के ज्ञान की अनिवार्यता सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां। किन्तु विभाग में संचालित होने वाली अधिकतर योजनाएं उर्दू भाषा से सम्बन्धित नहीं है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पद लोक सेवा आयोग की परिधि में सम्मिलित प्रवर सेवा का पद है। इसमें किसी भाषा विशेष की अनिवार्यता किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के नगर निगमों में फुटपाथों पर अवैध कब्जों को हटाने की नीति की जानकारी विषयक

29—श्री दलवीर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों में फुटपाथों पर अवैध कब्जों को हटाने की कोई नीति बनायी गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार फुटपाथों को अवैध कब्जों से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां।

भारत सरकार की फेरी नीति, 2004 के क्रम में अधिसूचना संख्या—2842/नौ—9—2007, दिनांक 04 अगस्त, 2007 द्वारा उ0 प्र0 नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर कारबार (विनियमन एवं प्रबन्धन) नियमावली, 2007 प्रख्यापित की गयी है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या—4156—4157/2002 महाराष्ट्र एकता हाकर्स व अन्य बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्ट्रीट वेण्डर्स/हाकर्स के सम्बन्ध में दिनांक 09—09—13 को पारित आदेश के क्रम में मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की ओर से दिनांक 25—09—2013 को समस्त जिलाधिकारी एवं

समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0 प्र0 को मा0 उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिये गये हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014, दिनांक 01 मई, 2014 से प्रभावी है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश की नागर निकायों में टाउन वेन्डिंग कमेटी का गठन, वेन्डिंग जोन का चिन्हांकन, स्ट्रीट वेण्डर्स का सर्वे कराकर उन्हें रजिस्टर्ड किये जाने तथा स्ट्रीट वेण्डर्स का पहचान–पत्र निर्गत किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

उपरोक्तानुसार कार्रवाई की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम अलीगढ़ में रिक्शा स्टैण्ड/रिक्शा चालक शेड बनाने पर विचार विषयक

30–श्री दलवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम अलीगढ़ में रिक्शा चालकों की सुविधा हेतु रिक्शा स्टैण्ड/रिक्शा चालक शेड बनाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम, अलीगढ़ सीमान्तर्गत निम्न स्थलों पर रिक्शा स्टैण्ड क्रियाशील है :–

1–रिक्शा स्टैण्ड पुराना रोडवेज बस स्टैण्ड, शाह कमाल साइड (टीन शेडयुक्त)।

2–रिक्शा स्टैण्ड गांधी पार्क (टीन शेडयुक्त)।

3–रिक्शा स्टैण्ड सासनी गेट स्थित मूकबधिर स्कूल के पास (टीन शेडयुक्त)।

4–रिक्शा स्टैण्ड रेलवे स्टेशन सिविल लाइन्स साइड।

5–रिक्शा स्टैण्ड खेर रोड स्थित पशु चिकित्सालय के पास।

6–रिक्शा स्टैण्ड रामघाट रोड स्थित लेडी फातिमा स्कूल के सामने।

7–रिक्शा स्टैण्ड रसलगंज स्थित जिला चिकित्सालय के पास।

उपरोक्त चिन्हित स्थलों में से जिन रिक्शा स्टैण्डों पर टीनशेड नहीं है, वहां टीनशेड शीघ्र लगा दिया जायेगा।

लखनऊ के अलीगंज पल्टन छावनी सेक्टर–ए निवासी बृजराज सिंह द्वारा अपने मकान के ऊपर मोबाइल टावर लगाये जाने विषयक

31–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 विधायक डा0 अरूण कुमार का पत्र संख्या–ख–3 नं0 895795 दिनांक 01–07–14 के साथ पल्टन छावनी

सेक्टर–ए अलीगंज लखनऊ के निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती पत्र जो कि उक्त क्षेत्र के निवासी बृज राज सिंह द्वारा अपने मकान के ऊपर मोबाइल टावर लगाये जाने विषयक था, मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा उक्त पत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 11–07–2014 को जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

32–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

ख्2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद–बस्ती की ग्राम पंचायत गौहनियां में निर्मित पशु चिकित्सा केन्द्र का सुचारु संचालन विषयक

33–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005–06 में सल्टौआ, ब्लाक जनपद–बस्ती की ग्राम पंचायत गौहनियां में लगभग 36 लाख रुपये की लागत से पशु चिकित्सा भवन का निर्माण कराया गया लेकिन आज तक उक्त केन्द्र पर एक भी कर्मचारी की नियुक्ति विभाग द्वारा नहीं की गयी तथा देख–रेख के अभाव में उक्त भवन के खिड़की दरवाजे बाउन्ड्रीवाल क्षतिग्रस्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सा केन्द्र को सुचारू रूप से संचालन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति कर क्षतिग्रस्त खिड़की, दरवाजों तथा बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

ब्लाक सल्टौआ, जनपद बस्ती की ग्राम सभा गोहनिया में वर्ष 2007–08 में पशु चिकित्सालय चौकया के नाम से बनकर तैयार हुआ है।

उक्त पशु चिकित्सालय पर पशु चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की जा चुकी है तथा एक ड्रेसर को नियमित रूप से संस्था पर उपस्थित होकर कार्य सम्पादन हेतु निर्देशित किया गया है। पशु चिकित्सालय की क्षतिग्रस्त खिड़की, दरवाजों तथा बाउण्ड्रीवाल आदि की मरम्मत करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जल संस्थान के पम्प एवं ट्यूबवेल आपरेटरों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन देने विषयक

34–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जल संस्थान के पम्प एवं ट्यूबवेल आपरेटरों को न्यूनतम कितने वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? क्या सरकार लखनऊ जल संस्थान के पम्प एवं ट्यूबवेल आपरेटरों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

लखनऊ जल संस्थान में शासनादेश सं0–4551/9–1–13–372सा/2013, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 के अनुसार हाई स्कूल (विज्ञान विषय के साथ) इलेक्ट्रीशियन/नलकूप मैकेनिक ट्रेड से आई0टी0आई0 का दो वर्षीय प्रमाण–पत्र धारक पम्प आपरेटरों को वेतनमान रु0 5200–20200 ग्रेड पे–1900 तथा इस न्यूनतम अर्हता को पूर्ण न करने वाले पम्प आपरेटरों को इसी वेतनमान में ग्रेड पे–1800 का भुगतान किया जा रहा है।

लखनऊ जल संस्थान सम्प्रति जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ में वर्तमान में कोई भी पम्प आपरेटर न्यूनतम वेतन अधिनियम की श्रेणी में कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में बैटरी चालित ई–रिक्शा का लाइसेन्स लखनऊ नगर निगम से जारी करने की सरकार की योजना की जानकारी

35–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में बैटरी से चलने वाले ई–रिक्शा को रिक्शा मानते हुए इसका लाइसेंस लखनऊ नगर निगम से बनाये जाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो उक्त लाइसेंस लखनऊ नगर निगम से कब से बनना शुरू हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में दंगे रोकने की सरकार की कार्य योजना की जानकारी

36–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार के शासनकाल में प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द की कमी आयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द को खराब करने वाले तत्वों से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

नहीं।

हां।

प्रदेश की जनता को सुरक्षित परिवेश प्रदान करने के क्रम में सुदृढ़ साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखना सरकार की प्राथमिकताओं में है। अतः साम्प्रदायिक सौहार्द को खराब करने वाले तत्वों से निपटने के लिये प्रभावी योजनाएं बनायी गयी हैं, प्रदेश सरकार द्वारा दंगों को रोकने के लिये निम्नलिखित प्रमुख उपाय किये गये हैं :–

1–जनपदों में बनायी गयी दंगा नियंत्रण योजना में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्रवाई।

2–पुलिस का आम जनता के प्रति मित्र छवि उपस्थित करना।

3–कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिये जनता की कठिनाइयों को दूर किया जाना।

4–महिला उत्पीड़न/छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की बढ़ती प्रवृत्ति पर महिला हेल्पलाइन 1090 प्रारम्भ की गयी है।

5–थाना दिवसों पर जनता की शिकायतों को गुण–दोष के आधार पर प्राथमिकतापूर्वक निस्तारण की कार्रवाई।

6–साम्प्रदायिक हिन्सा को रोकने के लिये समय–समय पर शान्ति सुरक्षा समितियों की गोष्ठी कर साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु प्रयास किये जाते हैं।

7–संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में समुचित पुलिस गश्त की व्यवस्था है।

8–साम्प्रदायिक तत्वों एवं समस्या उत्पन्न करने वाले अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

9–दंगों में शामिल और दंगों को भड़काने वालों के खिलाफ कठोर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं।

10–प्रदेश में मनाये जाने वाले पर्वों/त्योहारों पर साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु 'एलर्ट' जारी करते हुए प्राप्त अभिसूचना के आधार पर जनपदवार समुचित कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

गोमती नदी की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण की परियोजना की जानकारी विषयक

37–श्री नदीम जावेद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा नदी में चल रही सफाई परियोजना की तर्ज पर गोमती नदी की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण की परियोजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद–जौनपुर के मध्य से गुजरने वाली गोमती नदी की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

लखनऊ में गोमती नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु नदी में गिरने वाले 26 नालों की टैपिंग, उनके दूषित जल को पम्प करने एवं शोधन हेतु सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण कार्य गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग द्वारा गोमती नदी के सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत लखनऊ में गोमती नदी की सफाई, डायफ्राम वाल का निर्माण कर चैनेलाइज किये जाने का कार्य प्रगति पर है जिसमें नदी के दोनों तटों पर वाकिंग ट्रैक, लैण्ड स्केपिंग तथा दोनों तटों पर हरित पट्टी विकसित कर सौन्दर्यीकरण का कार्य एवं पुलों/बैराज आदि का इल्युमिनेशन सम्बन्धी कार्य कराये जा रहे हैं।

गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995–2000 के मध्य जौनपुर नगर में लो–कास्ट सैनिटेशन, शवदाह गृह, एफोरेस्टेशन एवं नालों के रिमॉडलिंग से सम्बन्धित कार्य कराये गये हैं।

वर्तमान में जौनपुर नगर के 10 नालों का गन्दा जल (सीवेज) गोमती नदी में प्रवाहित हो रहा है। इन नालों को टैप करते हुए पूरे नगर के लिये सीवरेज व सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की योजना का विरचन भारत सरकार द्वारा संचालित अटल मिशन फार रिजोवनेश्न एण्ड अरबन ट्रान्सफोरमेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है।

जौनपुर में गोमती नदी की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण हेतु नगर पालिका परिषद्, जौनपुर द्वारा ''रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट कार्यक्रम'' के अन्तर्गत रु0 455.96 करोड़ की एक योजना का प्रस्ताव उ0 प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश से स्मार्ट सिटी योजना में चयनित 12 शहरों के नागरिकों के सुझाव आमंत्रित किये जाने विषयक

38–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के 12 शहरों का स्मार्ट सिटी योजना में चयन हुआ है ? यदि हां, तो क्या इन शहरों के लिए वेबसाइट, सिटीजन फोरम व फेसबुक के माध्यम से इन शहरों के नागरिकों के सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु कहा गया था ? यदि हां, तो क्या ये कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 12 शहरों का चयन प्रथम चरण में हुआ है।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिले/ब्लाक/ग्रामीण पेयजल में पायी जाने वाली रासायनिक अशुद्धियों से प्रभावित है उनकी संख्या और उनके समाधान हेतु योजनाओं की जानकारी विषयक

39–श्री मनीष असीजा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जिले/ब्लाक/ग्रामीण पेयजल में पायी जाने वाली रसायनिक अशुद्धियों यथा आर्सेनिक, नाइट्रेट, फ्लोराइड, टी0डी0एस0 से प्रभावित हैं ? क्या सरकार अवगत करायेगी कि पिछले तीन वर्षों में इस समस्या के समाधान हेतु किये गये उपाय एवं योजनाओं के पश्चात इन रासायनिक अशुद्धि प्रभावित जिले/ब्लाकों की संख्या में कमी आयी है अथवा वृद्धि हुई है ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

प्रदेश के 66 जनपदों के 508 विकास खण्डों की 8667 ग्रामीण बस्तियां आर्सेनिक, नाइट्रेट, फ्लोराइड, टी0डी0एस0 एवं आयरन जैसी रासायनिक अशुद्धियों से प्रभावित है। विगत 3 वर्षों में रासायनिक अशुद्धियों से प्रभावित क्षेत्रों में इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्पों, अतिरिक्त गहरे इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्पों, आर्सेनिक रिमूवल यूनिट, फ्लोराइड रिमूवल यूनिट एवं गहरे नलकूपों पर आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है।

प्रदेश में गुणवत्ता प्रभावित जनपदों/बस्तियों से सम्बन्धित उपरोक्त आंकड़े वर्ष 2004–05 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन में सम्पन्न जल गुणवत्ता सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित है।

प्रदेश में भू–जल में बढ़ते रासायनिक एवं जैविक प्रदूषण के दृष्टिगत विभाग के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन द्वारा प्रदेश की समस्त ग्रामीण बस्तियों में पेयजल गुणवत्ता का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है। उक्त सर्वेक्षण के पूर्ण होने पर उसके परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त रासायनिक अशुद्धियों से प्रभावित जिले/विकास खण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। यह सर्वेक्षण माह मार्च, 2017 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

४ विवरण संलग्न है।

जनपद–कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2007 से 2012 तक इन्दिरा आवास लाभार्थियों को योजना की द्वितीय किश्त न मिलने विषयक

40–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2007 से 2012 तक इन्दिरा आवास के लाभार्थियों को प्रथम किस्त तो मिली किन्तु अक्टूबर, 2015 तक द्वितीय किस्त नहीं मिली ? यदि हां,

† nsf[k;s uRFkh ^^d** vkxs i`"B&49&50 ij

तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त लाभार्थियों को द्वितीय किस्त दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक कुल 35149 इन्दिरा आवास आवंटित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष कुल 32498 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। वर्तमान में मात्र 2651 लाभार्थियों द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि का नियमानुसार उपभोग करके आवास निर्माण का कार्य छत स्तर तक पूर्ण नहीं कराने के कारण उन्हें द्वितीय किश्त की धनराशि जारी नहीं किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जी हां।

सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण कर जिन लाभार्थियों का आवास निर्माण कार्य छत स्तर तक पूर्ण पाया जायेगा उन्हें द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद को विभाजित करके ककोड़ नाम से नया विकास खण्ड बनाने विषयक

41–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद को विभाजित करके ककोड़ के नाम से नया विकास खण्ड बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र कम्प्यूटर सं0 पी0जी0 10593342, दिनांक 16–3–15 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

ब्लाक गठन का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–सहारनपुर में बेहट रोड पर कुष्ठ आश्रम से हनुमान नगर तक क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत कराये जाने विषयक

42–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सहारनपुर में बेहट रोड पर कुष्ठ आश्रम से हनुमान नगर तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के मरम्मत/निर्माण का आगणन नगर निगम द्वारा तैयार किया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–सहारनपुर में मानकमऊ राजवाहे की पटरी सड़क की मरम्मत विषयक

43–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सहारनपुर में मानकमऊ राजवाहे (बिजली घर की ओर की सड़क) की पटरी जोकि नन्दपुरी कालोनी, गणेश बिहार, प्रकाश लोक कालोनी, मीर नगर, लक्ष्मीनगर कालोनियों की ओर जाने वाला मार्ग है, क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त राजवाहे की पटरी का पक्का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त मार्ग राजवाहे की पटरी है, जो सिंचाई विभाग की सम्पत्ति है, जिस पर निर्माण कार्य कराये जाने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पुलिस कर्मियों की कमी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों की भर्ती करने विषयक

44–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुलिस थानों में पुलिस कर्मियों की अत्यधिक कमी के कारण जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस कर्मियों की भर्ती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में स्वीकृत नियतन के सापेक्ष पुलिस कर्मियों की कमी है तथा इस दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 का चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। फलस्वरूप आरक्षी, ना0पु0 के कुल 33,495 पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में कुल 12,469 अभ्यर्थियों को जे0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु जनपद आवंटित किया गया है जिनमें से चरित्र सत्यापन से उपयुक्त तथा जे0टी0सी0 प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके रिक्रूट आरक्षी दिनांक 28–12–2015 से आर0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2015 में आरक्षी, ना0पु0 के 34,000 आरक्षी, पी0ए0सी0 के 5716 एवं फायरमैन के 368 (कुल 40,084) आरक्षी समकक्ष पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की गयी है, जिसके क्रम में पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 द्वारा दिनांक

26–12–2015 को आरक्षी, ना0पु0 (पुरुष) के 23,200 एवं आरक्षी, ना0पु0 (महिला) के 5,800 कुल 29,000 पदों पर सीधी भर्ती का अधियाचन उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजा गया है जिनके स्तर से भर्ती की कार्रवाई प्रचलित है।

आरक्षी, ना0पु0 के 1455 पदों पर कुशल खिलाड़ी कोटे से भर्ती किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में पुलिस महानिदेशक द्वारा आरक्षी, ना0पु0 के 200 पदों पर कुशल खिलाड़ी कोटे के अन्तर्गत सीधी भर्ती का अधियाचन उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजा गया है।

उक्त के अतिरिक्त 319 उप निरीक्षकों (ना0पु0) को निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी तथा निरीक्षक, ना0पु0 के 410 पदों पर पदोन्नति हेतु 800 उप निरीक्षकों का सेवाभिलेख उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही उप निरीक्षक, ना0पु0 के 2064 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु दिनांक 18–9–2015 को उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है जिसमें भर्ती की कार्रवाई प्रचलित है।

उप निरीक्षक, ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर, पी0ए0सी0 सीधी भर्ती 2011 के चयनित अभ्यर्थियों में से 3099 उप निरीक्षक, ना0 पु0 के अभ्यर्थियों को दिनांक 02–11–2015 से प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर की आशियाना कालोनी में मकान नं0–एम0–523 सी के पास क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक

45–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ सिटी के कानपुर रोड योजना की आशियाना कालोनी में मकान नं0 एम–523 सी0 के पास क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19–8–15 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त कालोनी विकास प्राधिकरण, लखनऊ के लाइसेन्सी मेसर्स अंसल हाउसिंग प्रा0लि0 द्वारा विकसित की गयी है तथा उक्त कालोनी नगर निगम लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है। उक्त सड़क की मरम्मत का कार्य अंसल हाउसिंग प्रा0लि0 द्वारा किया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

नगर आयुक्त लखनऊ को संबोधित श्री रविदास मेहरोत्रा, स0वि0स0 के पत्र में इन्दिरा नगर में असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन अनियमित ढंग से गेट लगाने के बाद की गई कार्रवाई की जानकारी

46–श्री नदीम जावेद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर आयुक्त लखनऊ को संबोधित श्री रविदास मेहरोत्रा, स0वि0स0 का पत्र माह अक्टूबर, 2015 जो

ए–ब्लाक, इन्दिरा नगर में कुछ असामाजिक लोगों द्वारा जबरन अनियमित ढंग से गेट लगाने सम्बन्धी है,उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा श्री रविदास मेहरोत्रा के पत्र में इंगित ए–ब्लाक इन्दिरानगर, लखनऊ निकट कन्वेंशन सेण्टर, मीना मार्केट के पास जिस गेट को लगाये जाने का उल्लेख किया गया है, उक्त स्थल पर ऐसा कोई गेट नहीं लगा है।

उपरोक्तानुसार।

सहारनपुर में वर्ष 2014 में हुए दंगे में मारे गये हरीश कोचर के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की जानकारी

47–श्री राजीव गुम्बर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014 में सहारनपुर में हुये दंगे में मारे गये लोगों के पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो उक्त दंगे में मारे गये हरीश कोचर के परिवार को आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गयी है ? यदि हां, तो सरकार हरीश कोचर के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

दिनांक 26–07–2014 को जनपद सहारनपुर में घटित घटना में मृतक व्यक्तियों के वारिसान के पुनर्वास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्नगत घटना में मृतक श्री हरीश कोचर की पत्नी श्रीमती रमा कोचर को अनुमन्य आर्थिक सहायता रुपये दस लाख स्वीकृत/वितरित कर दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

महानगर अलीगढ़ के विभिन्न चौराहों एवं तिराहों पर ट्रैफिक सिग्नल एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने विषयक

श्री दलवीर सिंह

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर अलीगढ़ में यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु महानगर के सारसौल, नादापुल, मसूदाबाद, रसलगंज, दूबे का पड़ाव, एटा चुंगी, सेन्टर पाइंट, मदार गेट, अचलताल, देहलीगेट, सासनी गेट, क्वार्सी, दोदपुर चौराहा तथा कबर कुत्ता, किशनपुर, गांधी आई तिराहे आदि सहित सभी चौराहों पर ट्रैफिक लाइट एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद अलीगढ़ का चयन 'एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली' (इन्ट्रीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम) के अन्तर्गत हो चुका है। इसके लिये चयनित संस्था द्वारा सर्वे

का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जनपद में जहां भी ट्रैफिक सिग्नल, कैमरे आदि की आवश्यकता होगी, वहां ट्रैफिक सिग्नल एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने की कार्रवाई करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डार्क जोन घोषित विकास खण्डों में सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी विषयक

49—श्री सुदेश शर्मा—

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डार्क जोन घोषित विकास खण्डों में कृषकों के प्राइवेट ट्यूबवेल की बोरिंग भी प्रतिबंधित कर दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार डार्क जोन घोषित विकास खण्डों में सिंचाई की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह—

शासनादेश संख्या—5/1373/62—1—2014—04आर/2009, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 के अनुसार कुल 179 विकास खण्डों में से 111 विकास खण्ड अतिदोहन एवं 68 विकास खण्ड क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत हैं। शासनादेश दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 के प्रस्तर—3—(अ) में उल्लेख है कि शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार नवीन भू—जल संसाधन आंकलन, 2011 में वर्गीकृत किये गये 111 अतिदोहन एवं 68 क्रिटिकल खण्डों यानी कुल 179 विकास खण्ड जो प्रदेश के 44 जनपदों में अवस्थित हैं, में लघु सिंचाई एवं सिंचाई विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा निःशुल्क बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग, गहरी बोरिंग, राजकीय नलकूप, सामूहिक नलकूप योजना इत्यादि के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले सभी प्रकार के नलकूपों के निर्माण प्रतिबन्धित हैं। यह शासनादेश निर्गत तिथि से प्रभावी है। उक्त शासनादेश में कृषकों के प्राइवेट ट्यूबवेल की बोरिंग प्रतिबन्धित किये जाने का कोई भी प्राविधान नहीं है।

अतिदोहन/क्रिटिकल विकास खण्डों में भू—जल की स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चेकडैम का निर्माण एवं तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाता है, जो भू—जल रिचार्ज के साथ सिंचाई कार्यों के उपयोग में भी लाये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

50—श्री मनीष असीजा—

ख्1ले बुधवार के अता0प्र0सं0—195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में प्रशिक्षु अधिवक्ताओं को भत्ता प्रदान किये जाने की जानकारी विषयक

51—डा0 धर्मपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार बढ़ती हुई महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए विधि व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले प्रशिक्षु अधिवक्ताओं को प्रदान किये

जाने वाले भत्ते में बढ़ोत्तरी किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0 प्र0 अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अन्तर्गत विधि व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले प्रशिक्षु अधिवक्ताओं को कोई भी भत्ता उ0 प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। इसलिये भत्तों में बढ़ोत्तरी किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

52–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख्एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त,

प्रदेश में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी के अन्तर्गत निर्माणाधीन एवं अनुमोदनार्थ परियोजनाओं की जानकारी विषयक

53–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी के अंतर्गत प्रदेश में क्या कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसमें कितने जनपदों हेतु कार्य–योजना बनाकर अब तक भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत इलाहाबाद की 06, वाराणसी की 02 तथा बिठूर (कानपुर), कन्नौज, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर व नरौरा नगरों की एक–एक परियोजना कुल 14 परियोजनायें, स्वीकृत लागत रु0 2256.01 करोड़ निर्माणाधीन है।

उक्त के अतिरिक्त नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद, मथुरा, कानपुर, वाराणसी, बुलन्दशहर, मेरठ, लखनऊ, मिर्जापुर, सहारनपुर तथा उन्नाव कुल 10 जनपदों के विभिन्न नगरों की 22 परियोजनायें अनुमानित लागत रु0 4169.64 करोड़ भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

54–श्री सतीश महाना–

ख्1ले बुधवार के अता0प्र0सं0–191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

सहारनपुर में खालापार मौ0 मुशियान में उमेश माहेश्वरी के मकान से दामोदर प्रसाद माहेश्वरी के मकान तक क्षतिग्रस्त सड़क व नाली के निर्माण विषयक

55–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर में खालापार मौ0 मुशियान में उमेश माहेश्वरी के मकान से दामोदर प्रसाद माहेश्वरी के मकान तक सड़क

व नाली क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

कार्य का आगणन तैयार कर 14वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–सहारनपुर में ज्वालानगर गली नं0–1 से लिंक रोड तक होने वाले जलभराव की रोकथाम हेतु लिंक रोड पर नाले का निर्माण कराये जाने की मांग

56–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सहारनपुर में ज्वालानगर गली नं0–1 से गली नं0–5 तक तथा गली नं0–5 से लिंक रोड तक जलभराव होने के कारण नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लिंक रोड पर नाले का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम, सहारनपुर के अभियंत्रण विभाग द्वारा सन्दर्भित स्थल का निरीक्षण किया गया। जनपद सहारनपुर में ज्वालानगर गली नं0–1 से गली नं0–5 तक नालों की सफाई करा दी गई है। जेल रोड से निरंकारी भवन के सामने से होते हुए लिंक रोड तक नाला निर्माण कार्य हेतु रुपये 29.04 लाख का आगणन तैयार कर लिया गया है। कार्य हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था की जा रही है। धन उपलब्ध होने पर उक्त कार्य प्राथमिकता पर करा दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–सहारनपुर के माधो नगर के मोहल्लों नालियों का चौड़ीकरण व नालों का निर्माण एवं सफाई कराये जाने विषयक

57–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सहारनपुर के माधो नगर के मोहल्लों में जल भराव होने के कारण नागरिकों को इस स्थिति से निजात दिलाने हेतु क्या सरकार नालियों का चौड़ीकरण व नालों का निर्माण एवं सफाई का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

माधोनगर में नगर निगम सहारनपुर द्वारा नालों की सफाई करा दी गयी है। वर्तमान में नाले ठीक अवस्था में हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बुलन्दशहर के थाना ककोड़ तथा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चौला के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामों के सीमांकन प्रस्ताव पर कार्रवाई की जानकारी

58–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दर्ज कम्प्यूटर सं0–पी0जी0–10593328, दिनांक 14–03–15 जो जनपद–बुलन्दशहर के थाना ककोड़ तथा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चौला में पड़ने वाले गांवों के परिसीमन का प्रस्ताव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर में भेजे जाने के उपरान्त भी परिसीमन न होने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पुलिस मुख्यालय के पत्रांक : 3/क–66–2015, दिनांक 25–08–2015 द्वारा वांछित परिसीमन के प्राप्त प्रस्ताव पर विधिक परीक्षण के उपरान्त जनपद बुलन्दशहर के समस्त थाना क्षेत्रों के साथ–साथ थाना ककोड़ तथा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चौला के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामों के सीमांकन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या–1612/पु–6–15–300 (53)/2015, दिनांक 05–11–2015 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की नगरपालिका परिषद् सिकन्दराबाद की सीमा विस्तार करने की कार्रवाई विषयक

59–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बुलन्दशहर की नगरपालिका परिषद् सिकन्दराबाद की सीमा विस्तार किये जाने में हो रहे अत्यधिक विलम्ब विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5 710445, दिनांक 16–06–2015 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर पालिका परिषद् सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के सीमा विस्तार की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के प्रथम सत्र के पंचम मंगलवार के प्रश्न के क्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा परीक्षणाधीन प्रकरण में की गई कार्रवाई की मांग की जानकारी

60–श्री जय प्रकाश निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2015 के पंचम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0–02 के उत्तर के क्रम में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षणाधीन प्रकरण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

परीक्षणोपरान्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) से सुविचारित प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति में परिणामी ज्येष्ठता को समाप्त करने सम्बन्धी निर्णय विषयक

61–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति में परिणामी ज्येष्ठता को समाप्त करने सम्बन्धी दिये गये निर्णय में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति का सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं प्राइवेट नौकरियों में प्रतिनिधित्व पूरा करने हेतु सर्वे कराकर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त गणना करायी जा रही है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो गणना न कराने के क्या कारण हैं तथा उक्त गणना कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी लखनऊ में जाम/सड़क दुर्घटना से निजात दिलाये जाने हेतु उठाये गये कदम व की गई कार्रवाई की मांग की जानकारी

62–श्री राम मगन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी लखनऊ में जाम/सड़क दुर्घटना से निजात दिलाने हेतु प्रत्येक चौराहों/मोड़ पर तीन व चार पहिया वाहनों को 50 मीटर के अन्दर खड़ी करने हेतु क्या सरकार प्रतिबन्ध लगाने तथा प्रतिबन्ध का पालन न करने/करवाने के उत्तरदायी पर जुर्माना/कार्रवाई किये जाने हेतु निर्देशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा चौराहों/तिराहों पर अनाधिकृत रूप से वाहनों को खड़ा करके सवारियां उतारने/चढ़ाने के कारण यातायात अवरुद्ध होने पर वाहनों के प्रति नियमानुसार मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव के ब्लाक–पुरवा में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिमियानी में पेयजल की आपूर्ति की जानकारी

63–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरु भैय्या–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–उन्नाव के ब्लाक–पुरवा में स्थित नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिमियानी में एक भी इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प स्थापित न होने के कारण वहां पर मरीजों एवं क्षेत्रीय जनता को पेयजल हेतु अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिमियानी, में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव के ब्लाक पुरवा में स्थित नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चमियानी के परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जलापूर्ति व्यवस्था हेतु नलकूप सब–मर्सिबल पम्प, वितरण प्रणाली व अवर जलाशय का निर्माण कराया गया है।

जिला–रायबरेली के विकास खण्ड–महराजगंज के ग्राम रामगांव में पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा लोहिया आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक

64–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरु भैय्या–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–रायबरेली के विकास खण्ड–महराजगंज के ग्राम रामगांव में दिनांक 31–12–2013 को खण्ड विकास अधिकारी की जांच के आधार पर पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा लोहिया आवास उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब उपलब्ध कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

श्री सुरेन्द्र कुमार अवस्थी पुत्र श्री जग प्रसाद अवस्थी ग्राम व पोस्ट रामगांव का बी0पी0एल0 सूची में नाम न अंकित होने के कारण इन्दिरा आवास दिया जाना सम्भव नहीं है एवं वर्तमान में रामगांव लोहिया समग्र ग्राम में चयनित न होने के कारण प्रथमतः लोहिया आवास भी दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सहायता प्राप्त अरबी–फारसी मदरसों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत धनराशि की जानकारी सम्बन्धी

65–श्री नदीम जावेद–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेष के मदरसों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? क्या सरकार नये स्थापित मदरसों को भी अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश में सहायता प्राप्त अरबी–फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 04,25,39,94,000/– (रु0 चार अरब पच्चीस करोड़ उन्तालिस लाख चौरानवे हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

वर्ष 2003 तक आलिया स्तर तक के मान्यता प्राप्त नये स्थापित मदरसों में से 146 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 100 मदरसों को अनुदान सूची में सम्मिलित किया जा चुका है।

प्रदेश के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय लिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सहायता प्राप्त अरबी–फारसी मदरसों की संख्या एवं उन मदरसों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदानित राशि की जानकारी विषयक

66–श्री नदीम जावेद–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यक मदरसों की संख्या कितनी है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में उन्हें कितनी धनराशि अनुदान के रूप में दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश में सहायता प्राप्त अरबी–फारसी मदरसों की संख्या–560 है। मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 04,25,39,94,000/– (रु0 चार अरब पच्चीस करोड़ उन्तालिस लाख चौरानवे हजार मात्र) की धनराशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

झांसी शहर के ऐतिहासिक लक्ष्मीतालाब के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना की अवमुक्त धनराशि की जानकारी विषयक

67–श्री रवि शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी शहर के ऐतिहासिक लक्ष्मीतालाब के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण हेतु रुपया चौव्वन करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत हुई थी तथा प्रथम किश्त की धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है परन्तु अब तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाब का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्मीताल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण योजना हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–थ्ण्छवण्श्र.16011ध्3ध्2003.छत्ब्क्.प् क्जण् 07–11–2014 द्वारा रु0 54.13 करोड़ की लागत की परियोजना स्वीकृत की गयी है। उपरोक्त परियोजना की स्वीकृत लागत रु0 54.13 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा रु0 2.5 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्त परियोजना केन्द्र एवं राज्य परियोजना केन्द्र पर प्रतिशत पर वित्त पोषित है। भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त केन्द्रांश रु0 2.5 करोड़ के आधार पर राज्यांश की धनराशि रु0 1,074 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रु0 3.5714 करोड़ (रु0 तीन करोड़ सत्तावन लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश दिनांक 05–06–2015 द्वारा अवमुक्त की गयी है।

योजना के प्रस्तावित मुख्य कार्य 26 एम0एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट, सीवेज पम्पिंग स्टेशन का जीर्णोद्धार, राइजिंग मेन बिछाने, पम्पिंग प्लाण्ट एवं ट्रांसमिशन लाइन आदि की निविदायें स्वीकृत कर अनुबन्ध गठित किया जा चुका है। ठेकेदार द्वारा स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्राइंग तैयार कराने की कार्रवाई की जा रही है। योजना को सितम्बर, 2018 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार।

योजना के कार्यों को माह सितम्बर, 2018 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी नगर के पशु सेवा केन्द्र, गढ़िया फाटक के जीर्ण–शीर्ण भवन के जीर्णोद्धार विषयक

68–श्री रवि शर्मा–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर के वार्ड क्रमांक 13 खैरा में स्थित पशु चिकित्सालय का भवन जीर्ण–शीर्ण होने के कारण उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जन सुविधा के लिये उक्त राजकीय पशु चिकित्सालय गढ़िया फाटक (खैरा) का जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

झांसी नगर निगम के वार्ड संख्या–13 खैरा में पशु चिकित्सालय स्थापित नहीं है, बल्कि ग्राम समूह इकाई (पशु सेवा केन्द्र) गढ़िया फाटक स्थापित है जिसका भवन

जीर्ण–शीर्ण होने के कारण गढ़िया फाटक पर पदस्थ श्री संतराम वर्मा, पशुधन प्रसार अधिकारी को निकटवर्ती ग्राम समूह इकाई योजना पर कार्य करने के साथ–साथ ग्राम समूह इकाई गढ़िया फाटक क्षेत्र के पशुपालकों को भी विभागीय सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

जी हां।

वित्तीय व्यवस्था होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा जातिसूचक शब्दों को संज्ञेय अपराध घोषित करने विषयक

69–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कतिपय वर्षों से आये दिन प्रायः जातिगत आधार पर पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के घरों में आग लगाकर मारना, बलात्कार, लूट–छिनैती, हत्या करने आदि की बर्बर घटनायें बड़े पैमाने पर हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक लगाने के उद्देश्य से नाम के आगे–पीछे लगाये जाने वाले जातिसूचक शब्दों को संज्ञेय अपराध घोषित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रदेश में वर्ष 2013–14 एवं 2015 (दिनांक 01–01–15 से 31–11–15 तक) जातिगत आधार पर पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के घरों में आग लगाकर मारना, बलात्कार, लूट–छिनैती, हत्या करने आदि की घटित घटनाओं में पंजीकृत अभियोगों का विवरण निम्नवत् है :–

अपराध शीर्षक	वर्ष	पंजीकृत अभियोगों की संख्या
घरों में आग लगाकर मारना	2013	1
	2014	1
	2015	2
बलात्कार	2013	417
	2014	470
	2015	405
लूट	2013	332
	2014	356
	2015	189
छिनैती	2013	18
	2014	41

	2015	29
हत्या	2013	469
	2014	484
	2015	377

इस प्रकार बलात्कार, लूट, छिनैती एवं हत्या में वर्ष 2014 के सापेक्ष वर्ष 2015 में (दिनांक 01–01–15 से 30–11–15 तक) अपराधों में कमी आयी है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में पूर्व से ही किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को जाति के आधार पर अपमानित/उत्पीड़न किये जाने को संज्ञेय अपराध माना गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बने पानी के ओवर हेड टैंक जो नवम्बर, 2015 तक चालू नहीं हो पाये की जानकारी एवं शाहजहांपुर के कंकराकला ओवर हेड टैंक चालू किये जाने विषयक

70–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने पानी के ओवर हेड टैंक बने खड़े हैं जो नवम्बर, 2015 तक चालू नहीं हो पाये हैं ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि कंकरा पेयजल पुनर्गठन योजनान्तर्गत शाहजहांपुर के कंकराकला ओवर हेड टैंक बने लगभग 8 वर्ष हो गये परन्तु अब तक उक्त टैंक चालू नहीं किया गया ? क्या सरकार उक्त टैंक को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश में 78 नग पानी के ओवर हेड टैंक बने खड़े हैं जो नवम्बर, 2015 तक चालू नहीं हो पाये हैं।

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत कंकरा पुनर्गठन पेयजल योजना में ओवर हेड टैंक निर्मित कर वर्ष 2009 में नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर को ग्राह्य करने हेतु जल निगम की स्थानीय इकाई द्वारा हस्तान्तरण प्रपत्र प्रेषित किये गये थे, किन्तु नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर द्वारा उसको अभी तक ग्राह्य नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकायों के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के निर्माणोपरान्त उनके संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व स्थानीय निकायों का है।

नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर द्वारा उक्त पुनर्गठन पेयजल योजना में निर्मित ओवर हेड टैंक को अभी तक ग्राह्य नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वर्ष 2010–11 तक योजना का अनुरक्षण भी किया गया है एवं निर्मित ओवर हेड टैंक से जलापूर्ति की जाती रही है। वर्तमान में अनुरक्षण हेतु योजना पर कोई धन उपलब्ध न होने के कारण उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वर्तमान में योजना का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है। स्थानीय निकाय द्वारा योजना को ग्राह्य न किये जाने के कारण इस योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति नहीं हो रही है।

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत कंकरा पुर्नगठन पेयजल योजना में निर्मित ओवर हेड टैंक को ग्राह्य कर उसका संचालन एवं अनुरक्षण कराये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर एवं जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों एवं माननीय न्यायधीशों के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाई कराने विषयक सरकार की नीति की जानकारी

71—डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा माननीय न्यायधीशों के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाई कराने के लिये क्या सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियुक्त करने की शासन की नीति की जानकारी

72—डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्त करने हेतु शासन में कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

जी नहीं।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र में गलीरा मार्ग पर उत्तराखण्ड कालोनी की गली नं0—3 में विष्णु डेरी से ज्योति विहार के गेट तक क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत विषयक

73—श्री राजीव गुम्बर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र में गलीरा मार्ग पर उत्तराखण्ड कालोनी की गली नं0—3 में विष्णु डेरी से ज्योति विहार के गेट तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां।

प्रश्नगत कार्य का आगणन तैयार कर लिया गया है।

वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर नगर में पवन विहार की गली नं0–1 ,2, 3 के क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण विषयक

74–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर में मौ0 पवन विहार की गली नं0–1 ,2, 3 के मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मो0 पवन विहार में गली नं0–1 क्षतिग्रस्त है तथा गली नं0–2 एवं 3 में सी0सी0 रोड बनी हुई है, जिसकी स्थिति वर्तमान में ठीक है।

मो0 पवन विहार में क्षतिग्रस्त गली नं0–1 के निर्माण/मरम्मत हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, जिसका कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर नगर में गणेश नगर निकट एम0पी0डी0 स्कूल नन्दपुरी कालोनी के मोहकम सिंह के मकान से नरेश कर एवं सुरेश चन्द्र चौधरी के मकान तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराये जाने एवं आवास विकास कालोनी विवेक विहार की बन्द पड़ी सीवर लाइन ठीक कराये जाने विषयक

75–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर में गणेश नगर निकट एम0पी0डी0 स्कूल नन्दपुरी कालोनी के मोहकम सिंह के मकान से नरेश कर एवं मोहकम सिंह के आवास से सुरेश चन्द्र चौधरी के मकान तक क्षतिग्रस्त सड़क एवं आवास विकास कालोनी विवेक विहार की बन्द पड़ी सीवर लाइन का निर्माण क्या सरकार जनहित में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम द्वारा नन्दपुरी में श्री मोहकम सिंह के मकान से श्री सुरेश चन्द्र के मकान तक मिट्टी भराव तथा खड़न्जा बिछाने का आगणन तैयार किया गया है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर कार्य कराया जा सकेगा।

आवास विकास कालोनी, विवेक विहार में सीवर लाइन डालने का कार्य उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा अपनी योजनान्तर्गत कराया गया था। कतिपय स्थानों पर सीवर लाइन चोक होने पर नगर निगम द्वारा सीवर लाइन की सफाई करा दी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ के नगला तिकोना से ज्ञान सरोवर मानसरोवर तक क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण विषयक

76–श्री दलवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम अलीगढ़ क्षेत्र में नगला तिकोना से ज्ञान सरोवर मानसरोवर मार्ग तक का खड़न्जा क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का व्ययानुमान तैयार कर स्वीकृति हेतु संदर्भित किया गया है। स्वीकृति उपरान्त औपचारिकतायें पूर्ण कर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ के ज्ञान सरोवर कालोनी स्थित पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में

77–श्री दलवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम अलीगढ़ के ज्ञान सरोवर कालोनी स्थित पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1732, दि0 26–08–2015 पर आपके द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

संदर्भगत पत्र दिनांक 26–08–2015 के क्रम में नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा ज्ञान सरोवर स्थित पार्क के सौन्दर्यीकरण की निविदा दिनांक 18–11–2015 को आमंत्रित कर ली गयी है। शीघ्र ही औपचारिकतायें पूर्ण कर पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग में लागू अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति की जानकारी विषयक

78–श्री सुदेश शर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में तैनात लिपिक वर्ग की स्थानान्तरण नीति लागू है ? क्या यह सही है कि 5 वर्षों से अधिक समय से एक ही सीट पर जमे होने के कारण उनकी सांठ–गांठ शिक्षा माफियों से हो जाती है जिससे शिक्षा के स्तर पर कुप्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने हेतु विभाग में स्थानान्तरण नीति को सख्ती से लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2015–16 जो कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–2/2015/1/3/96–का–4–2015, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी की गयी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रभावी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर स्थित कुर्मांचल नगर के सेक्टर–डी की क्षतिग्रस्त सड़कें एवं नालियों के मरम्मत कराये जाने विषयक

79–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर स्थित कुर्मांचल नगर के सेक्टर–डी में सड़कें व नालियां क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों व नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त कालोनी अनाधिकृत कालोनी है, जिसका भू–विन्यास मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुमोदित नहीं है। ऐसी कालोनी में विकास कार्य का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में खारे पानी के क्षेत्र के रूप में चिन्हित क्षेत्रों की संख्या की जानकारी एवं इन क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराये जाने की योजनाओं की जानकारी विषयक

80–श्री नदीम जावेद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिले खारे पानी के क्षेत्र के रूप में चिन्हित किये गये हैं तथा इस समस्या के समाधान के लिये सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

प्रदेश के 29 जनपदों के 148 विकास खण्डों की 1499 ग्रामीण बस्तियां खारे पानी (टी0डी0एस0) से प्रभावित चिन्हित हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत खारे पानी तथा अन्य अशुद्धियों से प्रभावित बस्तियों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जा रही है।

खारे पानी से प्रभावित क्षेत्रों में इण्डिया मार्क–प् हैण्डपम्पों, नलकूप आधारित मिनी पेयजल योजनाओं (टी0टी0एस0पी0) अथवा गहरे नलकूपों पर आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में टी0ई0टी0 प्रशिक्षित समस्त छात्रों को समायोजित करने विषयक

81–श्री नदीम जावेद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टी0ई0टी0 प्रशिक्षित समस्त छात्रों को कब तक समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

शिक्षा का अधिकार अधिनियम उ0 प्र0 में लागू हो जाने के पश्चात् टी0ई0टी0 को शिक्षक पात्रता परीक्षा के रूप में माना गया है न कि शैक्षिक योग्यता के रूप में। ऐसी स्थिति में निर्धारित शैक्षिक योग्यता के साथ–साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार उपलब्ध रिक्तियों के प्रति चयन/नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। रिक्ति/चयन/नियुक्ति निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में कार्यरत सभी कर्मचारियों को शासन द्वारा अनुमन्य सुविधायें दिये जाने विषयक

82–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद को उच्चीकृत कर नगर निगम का दर्जा दिया गया है ? यदि हां, तो नगर पालिका परिषद् में कार्यरत सभी कर्मचारियों को शासन द्वारा अनुमन्य सुविधायें यथा मकान भत्ता, प्रतिकर भत्ता, वाहन भत्ता, की सुविधा नगर निगम कर्मचारियों की भांति मिलना शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर निगम, फिरोजाबाद में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन द्वारा अनुमन्य सुविधायें/भत्ते नियमानुसार दिये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गिरते भू–जल स्तर की समस्या के समाधान के लिये सरकार की नीति की जानकारी विषयक

83–श्री मनीष असीजा–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कितने ब्लाकों में भू–जल गिरने की शिकायत सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के निदान हेतु कोई योजना अथवा उपाय करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

फिरोजाबाद के पांच विकास खण्डों में भू–जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है। विकास खण्ड शिकोहाबाद में 20–30 सेमी तथा नारखी में 40–50 सेमी एवं फिरोजाबाद, खैरगढ़ तथा टूण्डला में 60 सेमी से अधिक रिकार्ड की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गिरते भू–जल स्तर की समस्या के प्रभावी निदान के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 18 फरवरी, 2013 द्वारा प्रदेश में भू–जल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भू–जल रिचार्ज हेतु 'समग्र नीति' निर्गत की गयी है।

समग्र नीति के अन्तर्गत अतिदोहन एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में भू–जल की स्थिति में सुधार लाये जाने के उद्देश्य से वर्षा जल संचयन एवं भू–जल रिचार्ज के कार्य कराये जाने पर बल दिया गया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदेश के अतिदोहन/क्रिटिकल विकास खण्डों में अपनी–अपनी विभागीय योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भू–गर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिसमें चेकडैम निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार/नये तालाबों का निर्माण, आन फार्म हार्वेस्टिंग आदि के कार्य सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में 1500 फीट गहराई के डीप बोर नलकूपों की स्थापना की योजना की जानकारी

84–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे नगर फिरोजाबाद में 400 फीट से नीचे का जल अत्यन्त खारा एवं उच्च टी0डी0एस0 युक्त होने के कारण नगर की पेयजल आपूर्ति हेतु स्थापित अधिकतर नलकूप निष्प्रयोज्य हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्णित परिस्थितियों में नगर में पेयजल के भीषण संकट को देखते हुये परीक्षण एवं प्रयोग के स्तर पर 1500 फीट गहराई के डीप बोर नलकूपों की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

फिरोजाबाद नगर की पेयजल समस्या के निदान हेतु नगर फिरोजाबाद की पुनर्गठन पेयजल योजना (सतही जल स्रोत गंगा कैनाल द्वारा) रु0 449.00 करोड़ की स्वीकृति की जा चुकी है। योजना के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है, जिसको वर्ष 2017 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

नगर निगम फिरोजाबाद के भवन के बाहर स्थित नगर निगम की दो मंजिला मार्केट के जर्जर भवन का निर्माण कराये जाने विषयक

85–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद के भवन के बाहर स्थित नगर निगम के दो मंजिला मार्केट का भवन जर्जर स्थिति में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर भवन का पुनः निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर निगम द्वारा उक्त मार्केट की मरम्मत कार्य हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। शीघ्र ही निविदा आमंत्रित कर मरम्मत का कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जर्जर/निष्प्रयोज्य घोषित हो चुके पुलिस आवासों के पुनर्निर्माण की कार्य योजना की जानकारी

86–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने पुलिस आवास हैं जो जर्जर/निष्प्रयोज्य घोषित हो जाने के उपरान्त भी उसमें पुलिस वालों के परिवार रह रहे हैं ? क्या सरकार आवासों को पुनर्निर्माण हेतु समयबद्ध कार्य योजना के तहत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पुराने आवासों की मरम्मत कराकर उन्हें रहने योग्य ठीक कराने की सतत् प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे जर्जर/निष्प्रयोज्य घोषित आवासों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। शासनादेश संख्या–4252/6–पु0–7–15–188/2015, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 द्वारा समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश जारी किये गये हैं कि निष्प्रयोज्य घोषित हो चुके भवनों में कोई भी पुलिस कर्मी आवासित न रहें।

जी हां। पुलिस कर्मियों हेतु आवासों के निर्माण चरणबद्ध रूप से कराये जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों के लिये आवासों की कमी को शीघ्र पूर्ण करने हेतु हुडको से ऋण लेकर प्रथम चरण में प्रदेश के जनपदों में 2000 आवास बनाने की योजना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पुलिस कांस्टेबिलों को मिलने वाले साइकिल/वाहन भत्ता की जानकारी विषयक

87–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस कांस्टेबिल को प्रति माह कितने रुपये साइकिल/वाहन भत्ता दिया जाता है ? क्या सरकार बढ़ी हुयी महंगाई को देखते हुये साइकिल/वाहन भत्ता बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0प्र0 वेतन समिति 1997 की संस्तुतियों के अनुसार शासनादेश संख्या : सा–4–229/ दस–2000–626–2000, दिनांक 10–03–2000 द्वारा साइकिल भत्ता प्रतिमाह रु0 50/– दिया जा रहा था। उ0प्र0 वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के अनुसार शासनादेश संख्या : जी–2–408/ दस–2012–626–2000, दिनांक 16–11–2012 द्वारा साइकिल भत्ता प्रतिमाह रु0 50/– से बढ़ाकर रु0 100/– प्रतिमाह पुनरीक्षित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 में नवम्बर, 2015 तक ए0टी0एम0 चोरी एवं ए0टी0एम0 से नाजायज तरीके से पैसे निकालने एवं उनसे सम्बन्धित दर्ज मुकदमों की जानकारी विषयक

88–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014 एवं 2015 में नवम्बर, 2015 तक प्रदेश में कितने ए0टी0एम0 चोरी हुये, ए0टी0एम0 से नाजायज तरीके से पैसा निकालने की कितने घटनाओं के सम्बन्ध में मुकदमे पंजीकृत हुये हैं इनमें कितनी घटनाओं का पैसा रिकवर हुआ तथा कितने लोग जेल भेजे गये ? क्या सरकार ए0टी0एम0 चोरी रोकने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 (दिनांक 01.01.2015 से 30.11.2015 तक) ए0टी0एम0 चोरी की घटनाओं में पंजीकृत अभियोगों एवं उसमें बरामद रुपये का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	ए0टी0एम0 चोरी की घटित घटनाएं	गिरफ्तार कर जेल भेजे गये अभियुक्तों की संख्या	बरामद किये गये कुल रुपयों की संख्या
2014	5	4	5,00,000
2015	10	15	27,44,500

प्रदेश में वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 (दिनांक 01.01.2015 से 30.11.2015 तक) ए0टी0एम0 से नाजायज तरीके से पैसा निकालने की घटनाओं में पंजीकृत अभियोगों एवं उसमें बरामद रुपये का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	ए0टी0एम0 से नाजायज तरीके से पैसा निकालने की घटित घटनाएं	गिरफ्तार कर जेल भेजे गये अभियुक्तों की संख्या	बरामद किये गये कुल रुपयों की संख्या
2014	312	50	2,22,120
2015	421	92	9,05,933

प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आने पर संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर सजा दिलाने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाती है। बैंक/ए0टी0एम0 की सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर स्थायी पिकेट व पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाती है। पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा बैंक की कार्य अवधि में बैंक के भीतर जाकर बैंकों में इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त पाये गये अपराधियों की गतिविधियों एवं क्रिया–कलापों पर सतर्क दृष्टि रखी जाती है एवं आवश्यकतानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कन्या विद्या धन योजना में छात्राओं के चयन के आधार की जानकारी सम्बन्धी

89—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कन्या विद्या धन योजना में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कन्याओं/छात्राओं को भी सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार गरीब वर्ग की मेधावी छात्राओं को आगे अध्ययन हेतु प्रोत्साहन करने के लिये बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को सम्मिलित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव—

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2015—16 में ''मेधावी छात्राओं के लिए संशोधित कन्या विद्या धन'' योजनान्तर्गत वर्ष 2015 में इण्टरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना में चयन का आधार छात्राओं के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी वरीयता (मेरिट) है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

सचिव नगर विकास को प्राप्त पत्र दिनांक 26—05—2015 पर कार्रवाई की जानकारी विषयक

90—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का सचिव नगर विकास को, सम्बोधित पत्र दिनांक 26—5—2015 जो इलाहाबाद के सरोजनी नायडू मार्ग में सरोजनी नायडू अपार्टमेंट के सामने सड़क की पटरी पर नगर निगम इलाहाबाद द्वारा अवैधानिक ढंग से निर्माण कराये जा रहे शौचालय के स्थान परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां।

सरोजनी नायडू मार्ग में सरोजनी नायडू अपार्टमेण्ट के सामने सड़क की पटरी पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शौचालय का निर्माण कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों को सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन राशि के बढ़ाये जाने विषयक

91—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों जिन्हें सरकार द्वारा दस हजार रुपये सम्मान पेंशन दी जा रही है ? यदि हां, तो महंगाई के दृष्टिगत उनकी पेंशन राशि बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)–

जी हां।

राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि बढ़ाये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पति–पत्नी दोनों के कार्यरत होने एवं एक आवास में रहने की स्थिति में दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किए जाने संबंधी शासनादेश का लाभ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी दिये जाने विषयक

92–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय सेवा में पति–पत्नी दोनों के कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने की स्थिति में दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासनादेश सं0–1/2015/जी0–1–01/दस–2015–226/2008 टी0सी0–11 दिनांक 11 फरवरी, 2015 के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी उक्त लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में मार्च, 2014 से जून, 2015 तक हुए दंगे एवं उनमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी विषयक एवं सरकार की दंगे रोकने की प्रभावी योजना की जानकारी

93–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2014 से जून, 2015 तक कुल कितने साम्प्रदायिक दंगे हुये तथा उक्त दंगों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी ? क्या सरकार दंगों की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में माह मार्च, 2014 से जून, 2015 तक की अवधि में मात्र 01 साम्प्रदायिक दंगे की घटना जनपद सहारनपुर में दिनांक 25/26–07–2014 को थाना कुतुबशेर में घटित हुयी थी। घटना में संलिप्त पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1–पंजीकृत अभियोगों की संख्या–237

2–नामजद अभियुक्तों की संख्या–138

3–प्रकाश में आये अभियुक्तों की संख्या–105

4–कुल अभियुक्तों की संख्या–243

5–गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या–100

6–हाजिर अदालत अभियुक्तों की संख्या–03

7–गलत पाये गये अभियुक्तों की संख्या–15

8–शेष अभियुक्तों की संख्या–125

9–आरोप–पत्र–21

10–अन्तिम रिपोर्ट–189

11–विवेचनाधीन अभियोगों की संख्या–27

प्रदेश में दंगों की रोकथाम हेतु प्रभावी योजनाएं बनायी गयी हैं, जो कार्यशील हैं। प्रदेश सरकार द्वारा दंगों को रोकने के लिए निम्नांकित उपाय किये गये हैं :–

1–जनपदों में बनायी गयी दंगा नियंत्रण योजना में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्रवाई।

2–पुलिस का आम जनता के प्रति मित्र छवि उपस्थित करना।

3–कम्यूनिटी पुलिसिंग के जरिये जनता की कठिनाइयों को दूर किया जाना।

4–महिला उत्पीड़न/छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की बढ़ती प्रवृत्ति पर महिला हेल्पलाइन–1090 चालू किया जाना।

5–थाना दिवसों पर जनता की शिकायतों को गुण–दोष के आधार पर प्राथमिकतापूर्वक कार्रवाई किया जाना।

6–समय–समय पर विभिन्न कार्यशालायें आयोजित कर पुलिस जनों को सद्व्यवहार प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाता है।

7–दंगा/साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए समय–समय पर शान्ति सुरक्षा समितियों की गोष्ठी कर साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु सफल प्रयास किये जाते हैं।

8–संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में समुचित पुलिस गश्त एवं पिकेट की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 16–05–2010 एवं 16–03–2013 का सभी जनपदीय पुलिस अधिकारियों से कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के परिपत्र दिनांक 20–03–2013 एवं 26–06–2013 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई करते हुए कानून का शासन स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के न्यायालय परिसर में नगर निगम फिरोजाबाद की सीमान्तर्गत आने वाले सरकारी भवनों पर बकाया हाउस टैक्स एवं वाटर टैक्स की धनराशि की जानकारी विषयक

94—श्री मनीष असीजा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद की सीमान्तर्गत आने वाले सरकारी भवनों पर कितना हाउस टैक्स एवं वाटर टैक्स बकाया है ? क्या सरकार उक्त बकाया धनराशि का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

नगर निगम, फिरोजाबाद की सीमा में स्थित सरकारी भवनों पर गृहकर/जलकर वर्ष 2015—16 तक रु0 95,04,039/— बकाया है।

बकाया धनराशि का विवरण संलग्न ४ है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के न्यायालय परिसर में अधिकारियों के चैम्बर्स के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक

95—श्री मनीष असीजा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद न्यायालय फिरोजाबाद परिसर में अधिवक्ताओं के 100 चैम्बर्स के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला सत्र एवं जनपद न्यायालय फिरोजाबाद परिसर में अधिवक्ताओं के 100 चैम्बर्स के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर चैम्बर्स का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

जनपद न्यायालय फिरोजाबाद परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन रु0 415.62 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसके सम्बन्ध में नियोजन विभाग द्वारा पीएफडी से मूल्यांकन करायी गयी जिसकी पुनरीक्षित लागत 388.79 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश संख्या—308/2015/2313/35—4—2015, दिनांक 04—11—2015 द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र में निर्मित पेयजल योजनाओं की जानकारी विषयक

96—डा0 धर्मपाल सिंह—

---

† nsf[k;s uRFkh ^^[k** vkxs i`"B&151&154 ij

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के ग्रामों में पाइप लाइन पेयजल योजना में बने शिरोपरि जलाशय बहुत बड़ी संख्या में बन्द पड़े हुये है जिससे गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन बन्द पड़ें शिरोपरि जलाशयों को ठीक कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 33 ग्रामीण पेयजल योजनायें निर्मित हैं, जिनमें से 11 पेयजल योजनाएं उ0प्र0 जल निगम द्वारा अनुरक्षित की जा रही हैं एवं 22 योजनाएं ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जा रही हैं। उ0प्र0 जल निगम द्वारा अनुरक्षित 11 पेयजल योजनाओं में से 06 योजनाओं में पेयजल की आपूर्ति अवर जलाशय के माध्यम से की जा रही है, शेष 05 योजनाएं विरचन/पुनर्गठन में हैं।

जी हां।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर आगामी वित्तीय वर्षों में उ0प्र0 जल निगम द्वारा अनुरक्षणाधीन बन्द उपरोक्त 05 पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की योजना की जानकारी सम्बन्धी

97–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में असेवित बस्तियों में वर्तमान में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है ? क्या मंत्री जी ग्रामों में बढ़ी हुई आबादी में माननीय विधायकों की संस्तुति पर इंडिया मार्का–2, नल लगवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्पों, नलकूपों पर आधारित मिनी पेयजल योजनाओं (टी0टी0एस0पी0) एवं गहरे नलकूपों अथवा सरफेस सोर्स आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 15.53 करोड़ थी तथा वर्तमान जनसंख्या 17.00 करोड़ (लगभग) है। इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्प हेतु निर्धारित मानक 150 की आबादी पर 01 इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्प के अनुसार कुल आवश्यक 11.50 लाख नग (लगभग) इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्पों के सापेक्ष प्रदेश में कुल 26.07 लाख इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं, जिसके अनुसार औसतन 65 व्यक्तियों हेतु 01 इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मानक के अनुसार सामान्यतः पर्याप्त इण्डिया मार्का–प हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान हेतु कुल 3739 पाइप पेयजल योजनाएं संचालित एवं अनुरक्षणाधीन हैं, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1703 पाइप पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन भी हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मानक के अनुसार पर्याप्त इण्डिया मार्का–प हैण्डपम्प अधिष्ठापित होने के दृष्टिगत प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत नये इण्डिया मार्का–प हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य नहीं कराया जा रहा है तथा वर्ष 2022 तक प्रदेश की 90 प्रतिशत आबादी को पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के केन्द्र/राज्य सरकार के विजन के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं के अनुमोदन एवं निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र इण्डिया मार्का–प हैण्डपम्प के मानक के अनुसार पेयजल की दृष्टि से संतृप्त होने के दृष्टिगत अब राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं के अनुमोदन एवं निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।

जनपद मुजफ्फरनगर में अगस्त, 2013 में हुए दंगे में अभियुक्तों का नार्को टेस्ट करवाने विषयक

98–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में अगस्त, 2013 में हुये दंगे में प्रशासन द्वारा सैकड़ों निर्दोष युवाओं एवं बुजुर्गों को झूठे छेड़खानी बलात्कार एवं हत्या के मुकदमों में फंसाये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे बुजुर्ग एवं युवाओं को जो स्वयं को निर्दोष साबित कराने के लिये नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं का नार्को टेस्ट करवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्ष 2013 में जनपद मुजफ्फरनगर में हुए दंगे में विवेचना/साक्ष्य के आधार पर ही विधिक कार्रवाई की गई है। अभियुक्तों के नार्को टेस्ट के सम्बन्ध में क्रि0ए0 नं0–1297/04 श्रीमती सेल्वी व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के फैसले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05–05–2010 को दिए गए अभिनिर्णय के अनुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियुक्त का नार्को टेस्ट किया जाना सम्भव है।

प्रदेश के महानगरों में नगर निगम द्वारा विभिन्न मदों में किये जाने वाले कार्य के शिलापट्टों पर नाम डालने की नीति की जानकारी विषयक

99–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में नगर निगम द्वारा विभिन्न मदों में जो कार्य किये जाते हैं उसके शिलापट्ट लगाये जाते हैं ? यदि हां, तो शिलापट्टों पर नाम डाले जाने की क्या नीति है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कतिपय निर्माण कार्यों में शिलापट्ट लगाये जाते हैं।

शिलापट्ट लगाये जाने का कोई नियम नहीं है। मा0 मुख्य मंत्री जी एवं मा0 विधायक की संस्तुति पर कराये गये कार्य स्थल पर नाम अंकित करते हुए शिलापट्ट लगाये जाते हैं। कतिपय नगर निगमों में कार्यकारिणी समिति/सदन की बैठक में पारित निर्णयानुसार महापौर, क्षेत्रीय पार्षद एवं वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शिलालेख में अंकित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त नवनिर्माण के कार्यों में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारदर्शिता बनाये रखने हेतु विशिष्टियों, योजना, धनराशि, अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर आदि का उल्लेख करते हुए डिस्प्ले–बोर्ड भी लगाये जाते हैं।

प्रदेश में स्वच्छ प्रदेश हरित प्रदेश योजना की जानकारी विषयक

100–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वच्छ प्रदेश हरित प्रदेश योजना लागू है ? यदि हां, तो इसके प्रमुख मार्ग दर्शी सिद्धान्त क्या है तथा क्या इलाहाबाद नगर में इस योजनान्तर्गत कोई कार्य विगत वर्ष तथा 31 अक्टूबर, 2015 तक कराया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को स्वच्छ एवं हरित बनाना है। इसके अन्तर्गत चिकित्सा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–9/2015/209/पांच–1–15–5(42)/14, दिनांक 12–02–2015 द्वारा लखनऊ, आगरा, कानपुर तथा मथुरा नगरों से सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर की योजना अभी स्वीकृत नहीं है। नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा अपने स्रोतों से नगर के विभिन्न पार्कों का सौन्दर्यीकरण, वृक्षारोपण व स्वच्छता सम्बन्धी विभिन्न कार्य कराये जा रहे हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला टेढ़ी बाजार रकाबगंज की क्षतिग्रस्त गलियों एवं नालियों के मरम्मत विषयक

101–श्री अली यूसूफ अली–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहल्ला ढेढ़ी बाजार रकाबगंज की नालियां क्षतिग्रस्त होने के कारण गलियों में हमेशा जलभराव की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त गलियों व नालियों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

स्थल पर कहीं–कहीं नालियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, परन्तु जल भराव की स्थिति नहीं है।

गलियों के किनारे स्थित नालियां सुदृढ़ स्थिति में हैं। तत्काल मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में निर्मित टी0टी0एस0पी0 टंकियों की संख्या की जानकारी एवं बन्द पड़ी टंकियां चालू कराये जाने विषयक

102–श्री राकेश बाबू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में जल निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये ब्लाकवार कुल कितनी टी0टी0एस0पी0 टंकियों का निर्माण कराया गया तथा उनमें कितनी टंकियां स्थायी रूप से बन्द है ? क्या सरकार स्थायी रूप से बन्द टंकियों को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद–फिरोजाबाद के विकास खण्ड–फिरोजाबाद में 85 नग, टूण्डला में 145 नग, नारखी में 139 नग, शिकोहाबाद में 77 नग, मदनपुर में 68 नग, हाथवन्त में 59 नग, अरांव में 13 नग, एका में 56 नग एवं जसराना में 47 नग अर्थात् कुल 689 नग टी0टी0एस0पी0 टंकियों का निर्माण कराया गया है, जिनमें से कुल 77 नग टी0टी0एस0पी0 टंकियां स्थाई रूप से बन्द हैं।

निर्मित टी0टी0एस0पी0 टंकियों का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। पेयजल के अन्य स्रोत के अनुपलब्धता की दशा में बन्द टी0टी0एस0पी0 को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चालू कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में बहने वाली गोमती नदी के पानी को पीने योग्य बनाने की कार्य योजना की जानकारी

103–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में बहने वाली गोमती नदी के पानी को पीने योग्य बनाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत गोमती नदी में गिरने वाले कुल 26 नालों के डायवर्जन एवं शोधन हेतु आवश्यक सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट के निर्माण कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त इनका रख–रखाव कराया जा रहा है।

शहर के विस्तार के कारण कुल 7 नवसृजित नालों के डायवर्जन एवं पुराने कार्यों के सुदृढ़ीकरण हेतु विस्तृत प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0 456.66 करोड़ एवं जी0एच0 कैनाल में 120 एम0एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु अनुमानित लागत रु0 334.24 करोड़ का प्रस्ताव नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में राजाजीपुरम् से कालीदास मार्ग तक हैदर कैनाल पर एलीवेटेड रोड बनाने की जानकारी

104–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में राजाजीपुरम् से कालीदास मार्ग तक हैदर कैनाल पर एलीवेटेड रोड बनाने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों में स्थित जल संस्थानों में अधिशासी अभियन्ताओं, अवर अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरे जाने विषयक

105–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में स्थित जल संस्थानों में अधिशासी अभियन्ताओं, अवर अभियन्ताओं की कमी के कारण महानगरों में रहने वाली शहरी आबादी को पानी की समुचित आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अभियन्ताओं की कमी को दूर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (जल) का पद शत–प्रतिशत पदोन्नति का पद है।

अधिशासी अभियन्ता (जल) के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कार्रवाई विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त अवर अभियन्ता (जल) के रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को स्थानीय निकाय निदेशालय के पत्र दिनांक 30–12–2015 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के बालागंज क्षेत्र के मोहल्ला सरदार नगर लाल मस्जिद के पास क्षतिग्रस्त सड़क एवं नाली के निर्माण विषयक

106–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के बालागंज क्षेत्र के मोहल्ला सरदार नगर लाल मस्जिद के पास सड़क एवं नाली क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली का निर्माण एवं सड़क का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के सब रजिस्ट्रार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं धन उगाही विषयक–पत्र पर अब तक की गयी कार्रवाई की जानकारी

107–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नवाब जान, विधायक का पत्र दिनांक 23 जून, 2015, श्री अजय कुमार 'लल्लू', विधायक का पत्र दिनांक 30 जून, 2015, श्री नसीब पठान खां, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2015 तथा श्री बंशी सिंह पहाड़िया, मा0 विधायक का पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2015 जो जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला में कार्यरत सब रजिस्टार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं धन उगाही किये जाने विषयक है उन्हें प्राप्त हुये है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

जी हां।

प्रकरण की जांच महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 द्वारा सहायक महानिरीक्षक निबन्धन बलरामपुर से करायी गयी। जांच में शिकायतें निराधार पायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लोहिया आवास आवंटित किए जाने की नीति की जानकारी विषयक

108–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोहिया आवास दिये जाने की नीति क्या है ? क्या लोहिया आवास उन्हीं ग्रामों में दिये जाने हैं जिन ग्रामों का चयन लोहिया ग्राम के रूप में हुआ है ? यदि नहीं, तो उसके अतिरिक्त अन्य ग्रामों में भी गरीब पात्र लोगों को लोहिया ग्राम की भांति उक्त लाभ दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

लोहिया ग्रामीण आवास योजना की मार्ग–निर्देशिका विषयक शासनादेश संख्या–107/ 38–4–2013–05(बजट)/2012, दिनांक 20–02–2013 के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति व गैर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के ऐसे ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु आवास विहीन परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु0 36,000/– तक है तथा 2002 में तैयार की गयी बी0पी0एल0 सूची में उनका नाम न होने के कारण वे इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये जाने की व्यवस्था थी जिसे शासनादेश संख्या–30/2015/1138/38–4–2015–05(बजट)/2012, दिनांक 14–09–2015 के द्वारा संशोधित कर वर्तमान में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :–

1–सर्वप्रथम बी0पी0एल0 सर्वे 2002 तथा बी0पी0एल0 सूची 2002 के आधार पर तैयार की गयी स्थायी प्रतीक्षा सूची से छूटे/वंचित रह गये ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा, जिनकी वार्षिक आय रु0 36,000/– से कम हो, आवास विहीन हों अथवा पूर्णतः कच्चे मकान में रहते हों।

2–उपरोक्त श्रेणी ''क'' के सारे परिवारों को लेने के उपरान्त ग्राम में इन्दिरा आवास योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में लाभार्थियों के चयन हेतु तैयार की गयी सूची में से वरीयता क्रम के आधार पर परिवारों को चयनित किया जायेगा।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना की मार्ग–निर्देशिका विषयक शासनादेश संख्या–107/ 38–4–2013–05(बजट)/2012, दिनांक 20–02–2013 के प्रस्तर–6 के अनुसार आवासों का आवंटन प्रथमतः ''डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना'' के अधीन चयनित ग्रामों में किये जाने का प्राविधान है तथा शासनादेश संख्या–30/2015/1138/38–4–2015–05(बजट)/2012, दिनांक 14–09–2015 में गैर लोहिया समग्र ग्रामों में भी लोहिया आवास आवंटन का प्राविधान है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर नगर के बीचो–बीच बहने वाली गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु सरकार की कार्य योजना की जानकारी

109–श्री नदीम जावेद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण शहर जौनपुर के बीचो–बीच बहने वाली गोमती नदी को प्रदूषण से मुक्त करने

का सरकार द्वारा कोई समुचित प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995–2000 के मध्य जौनपुर नगर में लो–कास्ट सैनिटेशन, शवदाहगृह, एफोरेस्टेशन एवं नालों के रिमॉडलिंग से संबंधित कार्य कराये गये हैं।

वर्तमान में जौनपुर नगर के 10 नालों का गंदा जल (सीवेज) गोमती नदी में प्रवाहित हो रहा है। इन नालों को टैप करते हुए पूरे नगर के लिये सीवरेज व सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की योजना का विरचन भारत सरकार द्वारा संचालित अटल मिशन फार रिजोवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्सफोरमेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार की योजना की जानकारी विषयक

110–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर में पेयजल की आपूर्ति समुचित रूप से नहीं हो रही है ? यदि हां, तो इसके निराकरण के लिये सरकार कोई दीर्घकालीन कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

लखनऊ महानगर की पेयजल व्यवस्था का रख–रखाव (जलकल विभाग) नगर निगम, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम, लखनऊ के अधिकांश क्षेत्र में पाइप पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।

लखनऊ नगर की पेयजल व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए जाने हेतु जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत दो पेयजल परियोजनाओं लागत क्रमशः रु0 454.66 करोड़ व रु0 186.886 करोड़ का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनके क्रमशः 97 व 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 में 18 नए नलकूपों का अधिष्ठापन व 24 नलकूपों की रि–बोरिंग के कार्य कराये गए हैं। अन्य पेयजल योजनाओं का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर में खोदे गए सम्पर्क मार्गों सरैया पुल से ग्राम गुरूसण्डी तथा पुलिस चौकी गुरूसण्डी से गुरूसण्डी ग्राम तक की मरम्मत कराये जाने विषयक

111–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर की जल निगम शाखा द्वारा सरैया पुल से ग्राम गुरूसण्डी तथा पुलिस चौकी गुरूसण्डी से मिर्जापुर

गुरूसण्डी गांव तक मुख्य सड़क को जोड़ने वाले दो सम्पर्क मार्गों को पाइप बिछाने हेतु खोद दिया गया था जिसे अभी तक नहीं बनवाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्गों (सरैया पुल से ग्राम गुरूसण्डी तथा पुलिस चौकी गुरूसण्डी से गुरूसण्डी गांव तक) को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद मीरजापुर की जल निगम शाखा द्वारा सरैया पुल से ग्राम गुरूसण्डी तथा पुलिस चौकी की गुरूसण्डी से मिर्जापुर गुरूसण्डी ग्राम तक मुख्य सड़क को जोड़ने वाले दो सम्पर्क मार्गों पर सड़कों के किनारे खुदाई कर जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछायी गयी थी। खोदी गयी सड़कों की मरम्मत करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दिनांक 01–01–2015 से 08–01–2015 तक प्राप्त धनराशि एवं उक्त धनराशि के खर्च किये जाने की जानकारी विषयक

112–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2015 से दिनांक 08 नवम्बर, 2015 तक पी0एम0जी0एस0वाई0 में कितना धन प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है तथा उक्त धनराशि से कितने मार्गों का कहां–कहां निर्माण होना प्रस्तावित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यह धन कब तक खर्च किये जाने का लक्ष्य है ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दिनांक 01–01–2015 से 08–01–2015 तक प्रदेश सरकार को भारत सरकार से कुल रु0 543.73 करोड़ प्राप्त हुए हैं। उसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा भी अपने संसाधनों से रु0 400 करोड़ उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त धनराशि जनपदों की मांग के अनुसार विभिन्न जनपदों को चालू कार्यों हेतु उन्हें उपलब्ध करायी गयी है। जनवरी, 2015 से अक्टूबर, 2015 की अवधि में 334 मार्ग पूर्ण हुए हैं। जनपदों को अवमुक्त की गयी धनराशि का कुछ अंश निर्माणाधीन कार्यों पर क्रमिक भुगतान पर भी व्यय हुआ है। पूर्ण हुये मार्गों की जनपदवार संख्या निम्नवत् है :–

आगरा–2, इलाहाबाद–8, अम्बेडकरनगर–3, औरैया–3, आजमगढ़–2, बदायूं–14, बहराइच–7, बलिया–11, बाराबंकी–14, बस्ती–9, बिजनौर–4, बुलन्दशहर–1, चित्रकूट–2, देवरिया–4, एटा–1, इटावा–5, फैजाबाद–3, फर्रुखाबाद–4, फतेहपुर–6, गोण्डा–5, गोरखपुर–7, हमीरपुर–2, हरदोई–4, हाथरस–4, जे0पी0 नगर–6, जालौन–2, जौनपुर–10, कन्नौज–2, कानपुर देहात–4, कानपुर नगर–16, लखीमपुर खीरी–4, ललितपुर–1, लखनऊ–3, महराजगंज–11, महोबा–3, मैनपुरी–2, मऊ–3, मेरठ–3,

मिर्जापुर–12, मुरादाबाद–5, मुजफ्फरनगर–7, पीलीभीत–1, प्रतापगढ़–7, रायबरेली–21, रामपुर–18, एस0आर0 नगर–4, शाहजहांपुर–8, सिद्धार्थनगर–4, सीतापुर–22, सोनभद्र–7, सुल्तानपुर–2, उन्नाव–7, वाराणसी–7, काशीराम नगर–4, अमेठी–3।

कुल योग–334

दिनांक 01 जनवरी, 2015 से दिनांक 08 नवम्बर, 2015 तक भारत सरकार से प्राप्त समस्त धनराशि का व्यय कर लिया गया है।

प्रदेश में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किए जाने सम्बन्धी सरकार की नीति की जानकारी

113–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजन किये जाने हेतु कोई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

लगभग 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है। अवशेष के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–21708–21709/2015 में पारित निर्णय के उपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किए जाने विषयक

114–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर काशी को स्मार्ट सिटी मिशन योजना में शामिल कराने के लिये प्रदेश सरकार से किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी ? क्या प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण और परिणाम क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाराणसी को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मिशन के दिशा–निर्देशों के प्रारूप–2 पर सूचना मांगी गयी थी।

जी हां।

पत्र संख्या–4637(1)/नौ–5–15–179सा/2015, दिनांक 30–07–2015 द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर संस्तुत शहरों के समस्त विवरण/संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। प्रेषित सूचना के आधार पर वाराणसी का चयन भारत सरकार

द्वारा स्मार्ट सिटी प्रपोजल तैयार करने के लिए कर लिया गया है। अन्तिम चयन की कार्रवाई भारत सरकार के स्तर पर होनी है, जो प्रतीक्षित है।

प्रदेश के विधायकों को मृत्योपरान्त उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किए जाने विषयक

115–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मृत्युपरान्त पुष्पचक्र चढ़ाकर और गार्ड आफ आनर देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है, की भांति प्रदेश सरकार विधायकों के मृत्युपरान्त उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किये जाने हेतु कोई शासनादेश निर्गत करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या–775(3)/तीन–2006–28(2)–2001, दिनांक 11–10–2006 में व्यवस्था दी गयी है कि मा0 विधायकों के मृत्योपरान्त यदि अन्तेष्टि संस्कार प्रदेश में होता है तो पुलिस सम्मान के साथ होगा। इस प्रकार व्यवस्था पूर्व से ही उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जल संस्थानों के कर्मचारियों को समय से वेतन देने विषयक

116–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वाराणसी सहित सभी जल संस्थानों का नगर निगम में विलय हो चुका है परन्तु जल संस्थान के कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जल संस्थान के कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा–100(क) के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–380/नौ–2–10–58मिस/07, दिनांक 04–02–2010 के द्वारा 05 कवाल जल संस्थानों क्रमशः कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा व लखनऊ को सम्बन्धित नगर निगम में विलय किया गया है तथा वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में उक्त कार्यालय–ज्ञाप में दिये गये निर्देशानुसार जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी निधि का गठन किया गया है। सम्बन्धित नगर निगम के जलकल विभाग कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा व लखनऊ द्वारा जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं से प्राप्त राजस्व का जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी निधि में जमा की जाती है एवं जमा की गयी उक्त धराशि का उपयोग जलकल विभाग द्वारा जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के प्रयोजन के साथ कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य देयकों का भुगतान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त पत्र पर कार्रवाई की जानकारी

117–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुशीनगर के अध्यापकों के बकाये वेतन का भुगतान करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज

पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/पीजी0–10684858/2015 प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–13752/2014 द्वारा दिये गये निर्देश के समादर में याचीगण का वेतन भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा में दुग्ध सहकारी समिति के गठन विषयक

118–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा में दुग्ध सहकारी समितियां नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में भी प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा में वर्तमान में 18 दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम में सफाई कार्मिकों के रिक्त पदों पर भर्ती विषयक

119–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में लगातार बढ़ती आबादी को देखते हुए लखनऊ नगर निगम द्वारा आबादी के अनुपात में सफाई कर्मचारियों की भर्ती सरकार करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

लखनऊ नगर निगम में सफाई कार्मिकों के रिक्त पदों पर भर्ती/नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद के अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदिवारी का निर्माण कराये जाने की मांग विषयक

120–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में अनेक अन्त्येष्टि स्थल ऐसे हैं जिनकी चहार दीवारी न होने के कारण कूड़ा/गन्दगी तथा आवारा पशुओं के आवगमन के चलते मृतकों की अन्त्येष्टि में बहुत परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्त्येष्टि स्थलों की चहार दीवारी बनाये जाने की नीति के अनुसार उक्त अन्त्येष्टि स्थलों की चहार दीवारी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जिलाधिकारी के माध्यम से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसके परीक्षणोपरान्त निकाय क्षेत्रों में स्थित अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु वांछित धनराशि निर्गत की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी चालित ई–रिक्शा वितरित करने की जानकारी विषयक

121–श्री मनीष असीजा–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रिक्शा चालकों को बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्शा प्रदान किये जाने की योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद की फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्र में कितने पात्र रिक्शा चालकों को रिक्शा वितरित कर दिये गये हैं एवं कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष पात्र रिक्शा चालकों को उक्त योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद फिरोजाबाद के फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्र में अद्यतन मोटर/बैटरी चालित ई–रिक्शा का वितरण नहीं किया गया है।

नगर निगम, फिरोजाबाद एवं जनपद के अन्य नगर निकायों में योजनान्तर्गत कुल 369 पात्र निजी स्वामित्व रिक्शा चालकों का चयन किया गया है, जिन्हें उक्त योजना के अन्तर्गत निःशुल्क ई–रिक्शा निकट भविष्य में वितरित किया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के मदरसों में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने विषयक

122—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मदरसों में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव करके उनमें गणित, विज्ञान, कम्प्यूटर आदि की शिक्षा अनिवार्य रूप से दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

प्रदेश के मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है उनमें गणित, विज्ञान व कम्प्यूटर भी सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्ष 2012 से 09 नवम्बर, 2015 तक कचहरी परिसर एवं पुलिस अभिरक्षा में हुई हत्याओं की संख्या एवं ऐसे अपराधों को रोकने हेतु सरकार की कार्य योजना की जानकारी विषयक

123—श्री सतीश महाना—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2012 से 09 नवम्बर, 2015 तक कचहरी परिसर एवं पुलिस अभिरक्षा में कितने लोगों की हत्या हुई है ? क्या सरकार ऐसे गम्भीर अपराधों की रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

प्रदेश में वर्ष 2012 से 09 नवम्बर, 2015 तक कचहरी परिसर में कुल 12 लोगों की हत्या हुई तथा पुलिस अभिरक्षा में कुल 10 लोगों की हत्या हुई है।

मा0 न्यायालय में सुरक्षा के दृष्टिगत न्यायालय परिसर में पी0ए0सी0 तैनात रहती है तथा कई जनपदों में पुलिस चोकी भी स्थापित है। बन्दियों को न्यायालय में पेश करने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 02 मार्च, 2015 द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेट/समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश्श को न्यायालय परिसर में प्रवेश के समय सघन चेकिंग किये जाने, न्यायालय परिसर में अस्त्र—शस्त्र सहित व्यक्तियों के प्रवेश न करने तथा न्यायालय परिसर में अभियुक्तों को आवश्यकतानुसार बुलेटप्रूफ जैकेट में पेशी पर लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अपराधों की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की कार्रवाई प्रचलित है। अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रथम चरण में क्रमशः जनपद लखनऊ/गाजियाबाद एवं इलाहाबाद में आधुनिक कन्ट्रोल रूम स्थापित कर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार की योजना की जानकारी सम्बन्धी

124—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या नगरीय रोजगार एसं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

राज्य सरकार के नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नवत् प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है :––

1–निःशुल्क आवास मुहैया कराए जाने की 'आसरा योजना'।

2–प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना।

3–नगरीय क्षेत्र में एस0सी0एस0पी0 मद के बजट अनुदान से अनुसूचित जाति बाहुल्य मलिन बस्तियों के विकास की योजना।

4–निजी स्वामित्व पंजीकृत पात्र रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी चालित ई–रिक्शा निःशुल्क प्रदान किए जाने की योजना।

राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित उपर्युक्त योजनाओं के साथ ही भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के अन्तर्गत विभिन्न 06 उपघटक योजनाओं के संचालन के माध्यम से शहरी गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय, रूधौली में चहारदीवारी, सड़क निर्माण एवं वाटर टैंक सफाई कराने विषयक

125–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में स्थापित जवाहर नवोदय विद्यालय रुधौली में कस्बे से विद्यालय तक आने वाला मार्ग एवं विद्यालय की चहारदीवारी अत्यन्त क्षतिग्रस्त है तथा वाटर टैंक की स्थापना तिथि से सफाई नहीं हुयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्र/छात्राओं की सुविधा को संज्ञान में लेकर शुद्ध जल की व्यवस्था हेतु वाटर टैंक की सफाई, चहार दीवारी तथा मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जवाहर नवोदय विद्यालय केन्द्र सरकार की योजनान्तर्गत संचालित किया जाता है। प्रश्नगत विद्यालय माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के पटेहरवा थाना के अन्तर्गत बनकटा बाजार में 29 अगस्त, 2015 को धर्मेश मद्धेशिया की मिली लाश व उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत अभियोग पर कार्यवाई की जानकारी विषयक

126–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के पटेहरवा थाना के अन्तर्गत बनकटा बाजार में 29 अगस्त, 2015 को धर्मेश की लाश मिलने के संदर्भ में हुई कार्रवाई का विवरण क्या है ? क्या उक्त मुकदमे के सम्बन्ध में ग्रामीण नागरिकों द्वारा किये गये आन्दोलन में भी कोई कार्रवाई की गई थी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

दिनांक 29–08–15 को श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र मद्धेशिया, निवासी बनकटा बाजार, थाना पटहेरवा, जनपद कुशीनगर द्वारा अपने पुत्र धर्मेश मद्धेशिया की अचानक मृत्यु हो जाने की सूचना दी गयी। उक्त सूना पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें धर्मेन्द्र मद्धेशिया की मृत्यु पूर्व में आई चोटों के कारण हुई अंकित थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना पटेहरवा पर मु0अ0सं0 1037/15 धारा 302 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

जी हां।

ग्रामीणों द्वारा किये गये आन्दोलन के सम्बन्ध में थाना पटेहरवा पर मु0अ0सं0 1007/15 धारा 147, 148, 341, 353, 336, 186, 34 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0 एक्ट का अभियोग 30 अभियुक्त नामजद व 15–20 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, उक्त अभियोग में 12 अभियुक्तों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया तथा 18 अभियुक्तों द्वारा मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था। उक्त अभियोग में विवेचनोपरान्त आरोप प्रमाणित होने पर समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जो कि मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नियुक्त होने वाले ग्रामीण चौकीदारों को मिलने वाले आर्थिक लाभ एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी विषयक

127–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो इनकी सेवा शर्तें तथा इनके कार्य से इन्हें प्राप्त होने वाला आर्थिक लाभ तथा अन्य सुविधाओं का विवरण क्या है ? क्या सरकार ने इनकी कोई सेवा नियमावली बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा 96 में निहित व्यवस्थानुसार ''गांव और सड़कों की पुलिस (चौकीदार) अधिनियम, 1873'' की धारा 03

से 06 के अधीन निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मानदेय पर की जाती है।

शासनादेश संख्या–1393पी/छः–पु0–6–12–01सी0एम0/2012, दिनांक 24–09–2012 द्वारा ग्रामीण चौकीदारों को रु0 1500/– प्रतिमाह मानदेय स्वीकृत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त उन्हें एक साइकिल, 04–सेल की टार्च एवं फोटोयुक्त परिचय पत्र भी दिया जा रहा है, इसके साथ ''उ0प्र0 पुलिस वर्दी विनियम 1986'' के पैरा–261 में निहित प्राविधान के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए चौकीदारों को लाल साफा, खाकी कीट, चौकीदार जीन जर्सी, धोती, बेल्ट फलास्प, चमड़े की पेटी एवं मुण्डा जूता दिया जा रहा है।

ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा 96 में निहित व्यवस्थानुसार ''गांव और सड़कों की पुलिस (चौकीदार) अधिनियम, 1873'' की धारा 03 से 06 के अधीन निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मानदेय पर की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के वार्ड 19 के अहिरवां क्षेत्र में श्री इन्द्रपाल के घर से श्री राकेश कुशवाहा के घर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत विषयक

128–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0 19 अहिरवां में श्री इन्द्रपाल के घर से श्री राकेश कुशवाहा के घर तक जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत सीवर लाइन डालने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो इनकी मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कानपुर नगर के वार्ड 19 के अहिरवां क्षेत्र में श्री इन्द्रपाल के घर से श्री राकेश कुशवाहा के घर तक जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछाये जाने का कार्य नहीं किया गया है। अतः सीवर लाइन डालने से मार्ग के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में कुल निर्मित ओवर हेड टैंको की संख्या एवं उनको चालू किए जाने की जानकारी विषयक

129–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अंतर्गत निर्मित ओवर हेड टैंकों में से कितने चालू हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो ओवर हेड टैंक चालू नहीं हैं, को कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कुल निर्माण 45 ओवर हेड टैंकों में से 13 ओवर हेड टैंकों की टेस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है।

13 ओवर हेड टैंक जून, 2016 तक तथा शेष 32 ओवर हेड टैंकों की टेस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य चरणबद्ध रूप से दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत निर्मित/प्रस्तावित क्लीयर वाटर रिजर्वायर की स्थिति की जानकारी विषयक

130–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित/निर्मित कितने सी0डब्लू0आर0 (क्लीयर वॉटर रिजर्वायर) चालू हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो सी0डब्लू0आर0 चालू नहीं हैं, उनको कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित 76 सी0डब्लू0आर0 में से 03 सी0डब्लू0आर0 चालू किये जा चुके हैं तथा 12 की टेस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है।

शेष 61 सी0डब्लू0आर0 की टेस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य चरणबद्ध रूप से दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण कर चालू किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2004 में चयनित विशिष्ट बी0टी0सी0 शिक्षकों के जी0पी0एफ0 कटौती सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन विषयक

131–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विशिष्ट बी0टी0सी0 शिक्षक वेल्फेयर एसोसिएशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित वाद सं0 57686/2015 के क्रम में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 08–10–2015 जिसमें वर्ष 2004 में चयनित तथा वर्ष 2006 में नियुक्त शिक्षकों के पुरानी पेंशन योजना के तहत

जी0पी0एफ0 कटौती का निर्देश है, का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

नवीन पेंशन योजना प्रदेश में लागू है जो कि 01 अप्रैल, 2005 से प्रभावी है, के अन्तर्गत जी0पी0एफ0 कटौती किये जाने का प्राविधान नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय में योजित वाद सं0 57686/2015 में प्रतिशपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिये गये हैं। सम्प्रति रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्तवत्।

प्रदेश में अल्पसंख्यक एवं अनु0 जाति बाहुल्य नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए वर्ष 2015–16 में खर्च धनराशि की जानकारी एवं बरेली मण्डल में इन योजनाओं पर खर्च हुए धनराशि की जानकारी सम्बन्धी

132–डा0 अरुण कुमार–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यक एवं अनु0 जाति बाहुल्य नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में कितना–कितना रु0 (अलग–अलग) वर्ष 2015–16 में खर्च हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बरेली मण्डल के विभिन्न जिलों में उक्त दोनों ही वर्गों में कितने–कितने धन से कहां–कहां, क्या–क्या कार्य कराये गये ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों एवं मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण योजनान्तर्गत बजट प्राविधान (अलग–अलग) अल्पसंख्यक योजना में धनराशि रु0 185.00 करोड़ एवं मलिन बस्ती योजना में धनराशि रु0 125.00 करोड़ (कुल धनराशि रु0 310.00 करोड़) वित्तीय वर्ष 2015–16 में किया गया है, जिसके सापेक्ष क्रमशः रु0 183.6741 करोड़ एवं रु0 123.85048 करोड़ अद्यतन व्यय हुए हैं।

जनपद बरेली में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्ती योजनान्तर्गत रु0 3.7211 करोड़ धनराशि स्वीकृत की गयी, जिससे नगर निगम, बरेली के मो0 एजाज नगर गांटिया, फरीदापुर चौधरी, हुसैनबाग (लीचीबाग), परतापुर चौधरी, रहपुरा चौधरी, सकलैनी नगर, सनौआ, जोगी नवादा, चक महमूद, कंजादासपुर, गोविन्दापुर की इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

जनपद बदायूं में मलिन बस्ती योजनान्तर्गत रु0 1.20705 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिससे नगर निकाय, उसहैत, उसावा, वजीरगंज एवं कुंवरगांव तथा कछला में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

जनपद शाहजहांपुर में मलिन बस्ती योजनान्तर्गत कुल रु0 4.07416 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की गयी है, जिससे नगर पंचायत, कटरा की अनुसूचित जाति बाहुल्य

क्षेत्र वार्ड सं0–01, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12 व 14 में कुल 46 गलियों में कार्य कराया जा रहा है।

जनपद पीलीभीत में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्ती योजनान्तर्गत रु0 0.8341 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष न0पा0प0, बीसलपुर तथा न0पं0, बिलसण्डा की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

लखनऊ नगर के ऐशबाग रोड ईदगाह के पास हबीब नगर मलिन बस्ती क्षेत्र में आग के कारण जल जाने के कारण बस्ती के अग्नि पीड़ितों को पुनः बसाने की सरकार की योजना विषयक

133–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में ऐशबाग रोड–ईदगाह के पास हबीब नगर मलिन बस्ती में दिनांक 12 नवम्बर, 2015 को भीषण आग से कितने घर पूरी तरह जल कर राख हो गये थे ? क्या सरकार द्वारा हबीब नगर मलिन बस्ती ऐशबाग के अग्नि पीड़ितों को पुनः बसाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

मोहल्ला हबीबनगर मलिन बस्ती ऐशबाग रोड, लखनऊ से दिनांक 12 नवम्बर, 2015 को अचानक अज्ञात कारण से लगी भीषण आग से 197 व्यक्तियों की झुग्गी झोपड़ी जलकर समाप्त हो गयी, जिन्हें दैवी आपदा मद से निर्धारित मानकों के अनुसार अहेतुक सहायता के रूप में प्रति परिवार रु0 38000/– की दर से कुल रु0 7,48,600/– की सहायता वितरित की गयी है।

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), लखनऊ द्वारा सम्प्रति कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

134–श्री मुहम्मद गाजी–

ख्ाले बुधवार के अता0प्र0सं0–192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

जनपद झांसी के झांसी नगर वार्ड क्रमांक–36 में बेसिक प्राइमरी पाठशाला ऋषिकुंज (बालक) की पुरानी जीर्ण–शीर्ण इमारत के पुनःनिर्माण विषयक

135–श्री रवि शर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के झांसी नगर वार्ड क्रमांक–36 में बेसिक प्राइमरी पाठशाला ऋषिकुंज (बालक) की पुरानी इमारत जीर्ण–शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जनपद झांसी के झांसी नगर वार्ड क्रमांक–36 में बेसिक प्राइमरी पाठशाला ऋषिकुंज (बालक) की पुरानी इमारत जीर्ण–शीर्ण होने के कारण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 03 अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण कर विद्यालय संचालित किया जा रहा है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शहर की हैदर कैनाल पर, एलिबेटेड रोड बनाने की सरकार की कार्य योजना की जानकारी सम्बन्धी

136–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर की हैदर कैनाल पर नागरिकों की सुविधा को देखते हुए एलिबेटेड रोड बनाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नाले को ढक कर डिवाइडरयुक्त मार्ग का निर्माण का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा तैयार किया गया है। परियोजना का कार्यान्वयन बी0ओ0टी0 आधार पर कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में स्थायी ट्रेचिंग ग्राउण्ड की व्यवस्था करने विषयक

137–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में कूड़ा/कचरा एवं गंदगी (ठोस अपशिष्ट) के निस्तारण हेतु वर्तमान में कोई स्थायी ट्रेचिंग ग्राउन्ड खत्ता घर है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नगर निगम फिरोजाबाद में एक स्थायी ट्रेचिंग ग्राउन्ड की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

शासनादेश संख्या–364/2015/6200/नौ–5–2015–178सा/2014टी0सी0, दिनांक 05 जनवरी, 2015 द्वारा फिरोजाबाद नगर से सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट की स्थापना के अन्तर्गत स्थायी ट्रैन्चिंग ग्राउन्ड के लिए भूमि अर्जन हेतु रु0 10,74,06,000/– की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना के कुल लागत की जानकारी विषयक

138–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य है ? क्या यह सही है कि उक्त योजना के विलम्ब से चलने के कारण नंदपुर इंटेकवैल हेतु तथा सैलई में डब्लू0टी0पी0 हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मूल्य पूर्ण आगणन की तुलना में बढ़ गया है ? यदि हां, तो उक्त योजना को बजट सीमा एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

फिरोजाबाद पेयजल पुर्नगठन योजना की लागत रु0 43281.56 लाख निर्धारित करते हुये शासनादेश दिनांक 21–01–2015 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुये रु0 25.00 करोड़ की धनराशि निर्गत की गई है। उपरोक्त योजना पर अब तक रु0 130.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। फिरोजाबाद पेयजल पुर्नगठन योजना माह मार्च, 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

जी नहीं। भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब हो जाने के कारण भूमि का सर्किल रेट बढ़ जाने से दरों में बढ़ोत्तरी हुई, किन्तु प्रस्ताव को पुनरीक्षित कर प्राक्कलन की सीमा के अन्दर ही भूमि क्रय करने की कार्रवाई की गई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों के मानदेय में वृद्धि करने की सम्बन्धी

139–श्री दलवीर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन पकाने वाले रसोईयों को भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पारिश्रमिक (मानदेय) कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपने अंशदान में इनके मानदेय में वृद्धि करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

वर्तमान में रसोईयों को रु0 1000/– मानदेय दिये जाने की व्यवस्था है।

रसोईयों के मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री के पत्र दिनांक 29–04–2013 द्वारा मा0 केन्द्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ददरौल के ग्राम कपेडकटका के पात्र बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को इन्दिरा आवास आवंटित करने विषयक

140–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ददरौल ब्लाक से वर्ष 2013–14 में समग्र ग्राम विकास के रूप में चयनित ग्राम कपेडकटका के आवास विहीन बी0पी0एल0 कार्ड धारक होने के बाद भी जिन्हें इन्दिरा आवास नहीं मिला ? श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी श्री आनन्द कुमार, श्री हनीफ पुत्र श्री दिलदार, श्री मुजम्मिल पुत्र माशूक, श्री मनोज पुत्र रईस, श्री राजू यादव पुत्र श्री वीरपाल एवं श्री बाबू व श्यामलाल पुत्रगण श्री रोहन कश्यप को इन्दिरा आवास नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको इन्दिरा आवास दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड ददरौल से वर्ष 2013–14 में समग्र ग्राम विकास के रूप में चयनित ग्राम कपेडकटका के आवास विहीन बी0पी0एल0 कार्ड धारक श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी श्री आनन्द कुमार, श्री हनीफ पुत्र श्री दिलदार, श्री मनोज पुत्र रईस व श्री मुजम्मिल पुत्र माशूक का पक्का मकान होने के कारण इन परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्गत मार्ग निर्देशिका के तहत पात्रता की श्रेणी में न आने के कारण इन्दिरा आवास का आवंटन नहीं किया गया। श्री राजू यादव की माता परिवार की मुखिया होने के कारण वर्ष 2012 की बी0पी0एल0 सर्वे सूची में उनका नाम आई0डी0 नं0 1487 पर अंकित है जिन्हें पात्रता के आधार पर इन्दिरा आवास आवंटित किया जा चुका है। इसी तरह श्री बाबू का नाम बी0पी0एल0 सर्वे 2002 की सूची में आई0डी0 क्रमांक 1468 पर नाम अंकित होने के कारण इन्हें इन्दिरा आवास आवंटित किया जा चुका है। श्री श्यामलाल का नाम बी0पी0एल0 सर्वे 2002 में दर्ज न होने के कारण इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्गत मार्ग निर्देश के तहत पात्रता की श्रेणी में न होने के कारण इन्हें इन्दिरा आवास आवंटित नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को गृहकर/सम्पत्ति कर में छूट प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी

141–डा0 अरुण कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में निवासित भूतपूर्व सैनिकों को हरियाणा, पंजाब व राजस्थान राज्यों की भांति नगर निगम भवन कर माफ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

भूतपूर्व सैनिकों को गृहकर/सम्पत्ति कर में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1308/नौ–9–99, दिनांक 13 मई, 1999 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या–474/ नौ–9–2001–24एम/89, दिनांक 02–02–01 में यह व्यवस्था की गयी है

कि देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैन्य कर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवन, जिसमें वे स्वयं निवास कर रही हों, गृहकर से मुक्त रहेगें। प्रदेश की नगर निकाय उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा नगर पालिका परिषद्/पंचायतें उ0प्र0 अधिनियम, 1916 में निहित व्यवस्थानुसार संचालित होती है। उक्त अधिनियमों में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के स्वामित्व के भवनों पर गृहकर/सम्पत्ति कर माफ किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है।

बस्ती के परियोजना निर्देशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, बस्ती को प्राप्त पत्र पर कार्रवाई की जानकारी

142—श्री संजय प्रताप जयसवाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के गरीब लाभार्थियों को आवास प्रदान कराये जाने हेतु परियोजना निर्देशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बस्ती की इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास आंवटन हेतु दिनांक 01—07—2014, पत्रांक सं0—क—5 एन—225761 तथा दिनांक 14—03—2015 पत्रांक सं0—ख—5—एन—643115 एवं दिनांक 11—08—2014 पत्रांक सं0—ख—5 एन—319895 दिया गया था ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द्र कुमार सिंह 'गोप'—

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा के उपरोक्त पत्रों में इन्दिरा आवास आवंटन हेतु उल्लिखित 10 व्यक्तियों की पात्रता की जांच इन्दिरा आवास योजना के मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत की गयी, जिसमें से 03 व्यक्ति पात्र पाये गये तथा 06 व्यक्ति अपात्र पाये गये, इसके अतिरिक्त 01 व्यक्ति के निवास के सम्बन्ध में जानकारी नहीं हो पायी। पात्र पाये ग ये 01 व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2014—15 में तथा 02 व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2015—16 में आवास दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड मान्धाता के दक्षिणी छोर पर स्थित बाजार कटरा गुलाब सिंह सराय में पेयजल मुहैया कराने विषयक

143—डा0 आर0 के0 वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड मान्धाता के दक्षिणी अंतिम छोर पर स्थित बाजार कटरागुलाब सिंह सराय भूपति का भूजल स्तर बहुत नीचे होने के कारण इंडिया मार्का हैंडपंप भी पानी नहीं दे पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सभा सराय भूपति अन्तर्गत कटरागुलाब सिंह बाजार में पेय जल टंकी स्थापित कराके शुद्ध पेयजल मुहैया करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड मान्धाता के दखिणी छोर पर स्थित बाजार कटरा गुलाब सिंह सराय भूपति ग्राम सराय भूपति की

वर्ष 2011 की जनसंख्या 3766 है। ग्राम में कुल 198 नग इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिनमें से 4 नग हैण्डपम्प रिबोर योग्य है व 2 नग रिपेयर योग्य हैं। ग्राम पेयजल सुविधा से संतृप्त है। भूतल में पानी का स्तर 42 फिट पर है। भूजल का स्तर नीचे जाने के कारण हैण्डपम्प द्वारा पानी नहीं देते सम्बन्धी कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

144–श्री मनीष असीजा–

ख्आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

जनपद बस्ती की नगर पालिका के संविदा कर्मियों के वेतन भुगतान विषयक

145–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की नगर पालिका के संविदा कर्मियों को तीन माह के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे संविदा कर्मियों के परिवार आर्थिक तंगी के शिकार है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पालिका बस्ती के उक्त संविदा कर्मियों का बकाया वेतन शीघ्र दिलाने की कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

नगर पालिका परिषद्, बस्ती में संविदा कर्मियों के वेतन का कोई भुगतान अवशेष नहीं है। संविदा कर्मियों के मासिक वेतन का भुगतान नियमित कर्मचारियों के साथ ही किया जाता है। सभी संविदा कर्मियों का खाता बैंक मे खुलता है तथा मासिक वेतन, नियमित रूप से सम्बन्धित कर्मियों के खाते में भुगतान किया जाता है। माह नवम्बर देय दिसम्बर के वेतन का भी भुगतान संविदा कर्मियों को उनके बैंक खाते में किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान में लागू केन्द्र सरकार की गरीबों को निःशुल्क आवास प्रदान करने की योजना की जानकारी

146–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्या राजीव आवास योजना को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसके स्थान पर गरीबों को आवास निःशुल्क प्रदान करने हेतु वर्तमान केन्द्र सरकार की कोई नीति प्रदेश में लागू हैं ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन आरम्भ किया गया है, जिसके विभिन्न घटकों के अन्तर्गत शहरी गरीबों को अत्यन्त किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराने एवं निजी आवास के निर्माण/विस्तार हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन को क्रियान्वित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ शहर में स्कूलों के खुलने व बन्द होने के समय ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण विषयक

147—डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में स्कूलों को खुलने और उनके बन्द होने के समय ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है ? यदि हां, तो इसके निराकरण के लिए सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

वर्तमान समय में स्कूल/कालेजों के खुलने व बन्द होने के समय में जाम सम्बन्धी कोई समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है।

स्कूलों के खुलने और उनके बन्द होने के समय ट्रैफिक जाम के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 29—06—2015 को जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में अधिकारियों एवं स्कूल/कालेज के प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों/अभिभावकों के साथ मोदी आहूत की गयी थी। उक्त आहूत गोष्ठी में सर्वानुमति से मुख्य कालेजों के खुलने एवं बन्द होने के समय में अन्तराल किया गया है, जिससे स्कूल/कालेज एक साथ एक ही समय पर नहीं खुलते और बन्द होते हैं। स्कूल/कालेज के वाहनों को उचित स्थानों पर पार्क कराया जाता है। इस कार्य हेतु यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाकर अनुपालन कराया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं को लेने आने वाले अभिभावकों के वाहनों को यातायात पुलिस द्वारा निर्धारित स्थान पर पार्क कराया जाता है। स्कूल के खुलने और बन्द होने के समय स्कूल के स्टाफ एवं स्थानीय पुलिस द्वारा इसमें सहयोग प्रदान किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के तहसील मोदीनगर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के न्यायालय की स्थापना करने विषयक

148—श्री सुदेश शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर में जनता को सुलभ न्याय दिलाने हेतु मोदी नगर तहसील मुख्यालय पर ही न्याय मुंशिफी अदालत खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

शासनादेश संख्या–25/2015–1462/सात–न्याय–2–2015–216जी/2007, दिनांक 24 नवम्बर, 2015 के माध्यम से जनपद गाजियाबाद के तहसील मोदीनगर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के क्वार्सी चौराहे के सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग सम्बन्धी

149–श्री दलवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के क्वार्सी चौराहे का सौन्दर्यीकरण कराये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

अलीगढ़ क्वार्सी चौराहा गर निगम के अधिपत्य में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के थाना चौक कोतवाली में वर्ष 2013 में 498ए आई0पी0सी0 के पंजीकृत हुए मुकदमें की जानकारी

150–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना चौक कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2013 में कितने मुकदमें 498ए आई0पी0सी0 के पंजीकृत हुए हैं इनमें से कितने मुकदमों में चार्जशीट लगी है तथा कितने मुकदमों में एफ0आई0आर0 लगी ? क्या सरकार बतायेगी कि अपराध सं0 927/13 धारा 498ए में अब तक मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई ?

श्री अखिलेश यादव–

थाना कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2013 में धारा–498ए आई0पी0सी0 के 21 मुकदमें पंजीकृत हुए थे जिनमें से 09 मुकदमों में आरोप–पत्र तथा 12 मुकदमों में मा0 न्यायालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र में आपस में सुलहनामा हो जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

मुकदमा अपराध संख्या–927/13 धारा–498ए/323/506/354 भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट को परिवार परामर्श केन्द्र में समझौता न होने के कारण अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप–पत्र संख्या–154 दिनांक 15–07–14 को प्रेषित किया गया।

मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त पत्र सं0–78/ने0वि0द0/2015 दिनांक 14–07–2015 पर कार्रवाई की जानकारी

151–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के थाना–झूसी एवं करनलगंज में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–134/2013, 760/2014, 320/2014 एवं 127/2013 अन्तर्गत झूठे मुकदमें दर्ज कराये जाने के संबंध में नेता विरोधी दल विधान सभा उ0प्र0 का पत्र सं0–78/ने0वि0द0/2015, दिनांक 14–07–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मु0अ0सं0–134/2013, थाना–झूंसी, इलाहाबाद–

सभी नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र सं0–132/2014, दिनांक 01–07–2015 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

मु0अ0सं0–760/2014, थाना–कर्नलगंज, इलाहाबाद–

विवेचनोपरान्त आरोप–पत्र सं0–12/2015, दिनांक 09–02–2015 तथा आरोप–पत्र सं0–12ए/2015, दिनांक 21–06–2015 को प्रेषित किया गया है। हे0कां0 विजय शंकर मिश्र के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति न मिलने के कारण विवेचना प्रचलित है।

मु0अ0सं0–320/2014, थाना–झूंसी, इलाहाबाद–

विवेचना प्रचलित है।

मु0अ0सं0–127/2013, थाना–झूंसी, इलाहाबाद–

सभी नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप–पत्र सं0–173/14, दिनांक 12–08–2014 को प्रेषित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

अपर पुलिस, महानिदेशक, कानून–व्यवस्था को प्राप्त पत्र सं0–181/ने0वि0द0/2015 दिनांक 29–07–15 पर कार्रवाई की जानकारी विषयक

152–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर पुलिस, महानिदेशक, कानून–व्यवस्था को सम्बोधित, मा0 नेता, विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या–181/ने0वि0द0/2015, दिनांक 29–07–2015 जो जिला–मऊ के थाना–सरायलखंसी में दर्ज मु0 अ0स0–572/2006, मु0अ0सं0–406/2014 आदि की विवेचना सी0बी0आई0 से कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। उल्लेखनीय है कि मु0अ0सं0–406/14 धारा–364 भा0द0वि0 तथा मु0अ0सं0–572/06 धारा–365 भा0द0वि0 एवं 3 (1)15 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की विवेचना सी0बी0आई0 से कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, गृह को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल का एक अन्य पत्र दिनांक 06–05–15 प्राप्त हुआ था। परीक्षणोपरान्त उक्त अभियोगों की विवेचना सी0बी0आई0 से कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ता द्वारा चेकडेमों के निर्माण हेतु आमंत्रित निविदाओं की कई गड़बड़ी की जांच किये जाने की मांग

153–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट के द्वारा चेकडैमो के निर्माण हेतु आमंत्रित निविदाओं में की गयी गड़बड़ी के जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 532, दिनांक 28–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में निर्माणाधीन चेकडैमों में हो रही अनियमितताओं की कार्रवाई की जानकारी

154–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में निर्माणाधीन चेकडैमों में हो रही अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 651, दिनांक 27–05–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

हां।

शिकायती–पत्र दिनांक 27–05–2015 की नियमानुसार मा0 विधायक जी से पुष्टि हो जाने के पश्चात् प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त झांसी को निर्देशित किया गया है। जांच कार्रवाई विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

155–श्री जय प्रकाश निषाद–

ख्ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद मिर्जापुर के मडिहान विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती किये जाने की मांग

156–श्री ललितेश पति त्रिपाठी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के मडिहान विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जिन प्राथमिक विद्यालयों में 100 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, उन विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की तैनाती करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा मडिहान के 100 से अधिक छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या–128 है, जिसमें मानक के अनुसार 430 अध्यापक कार्यरत हैं।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के योगेश्वर ऋषि कुल इण्टर कालेज लखनऊ के प्रबंधतंत्र द्वारा विद्यालय में बरती जा रही वित्तीय एवं प्रशासकीय अनियमितता पर अब तक की गई कार्रवाई की विवरण की जानकारी

157–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री योगेश्वर ऋषि कुल इण्टर कालेज लखनऊ के प्रबंधतंत्र द्वारा विद्यालय में बरती जा रही वित्तीय एवं प्रशासकीय अनियमितता के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा इलाहाबाद को प्रेषित पत्रांक सं0–(1) द्वितीय/2162/2014–15, दिनांक 14–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक की गयी कार्रवाई का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ महानगर के बाबू बनारसी दास वार्ड के वीरनगर एवं उदयगंज में गाय–भैसों के तबेलों से मोहल्लों में हो रही गन्दगी के कारण उनको हटाये जाने की मांग

158–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर के बाबू बनारसी दास वार्ड के वीरनगर एवं उदयगंज में गाय–भैसों के तबेलों के कारण मोहल्ले

में गंदगी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तबेलों को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 21–12–2016 को विशेष अभियान चलाकर प्रश्नगत क्षेत्र में संचालित समस्त दूध डेरियों को हटा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में एनेक्सी एवं योजना भवन के आगे हैव लैक रोड पर नगर निगम के सार्वजनिक पार्क प्रथम से अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

159–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में एनेक्सी एवं योजना भवन के आगे हैव लैक रोड पर नगर निगम के सार्वजनिक पंचशील पार्क प्रथम पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पार्क को खुलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

पार्क विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा निर्मित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा किये गये निर्माण के अतिरिक्त कोई निर्माण/अवैध कब्जा पार्क में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के खेता सराय नगर पंचायत में ई0ओ0 एवं जे0ई0 के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की मांग

160–श्री नदीम जावेद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के खेता सराय नगर पंचायत में ई0ओ0 एवं जे0ई0 के पद रिक्त होने के कारण विकास कार्य अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर पंचायत, खेता सराय में श्री रवीन्द्र नाथ, अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उक्त नगर पंचायत में अवर अभियन्ता का पद सृजित नहीं है। स्थानीय व्यवस्था के तहत श्री घनश्याम चित्रगुप्त, अवर अभियन्ता (सिविल), नगर पालिका परिषद्, मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर द्वारा अपने पद के कार्यों के साथ–साथ नगर पंचायत, खेता सराय, जौनपुर के विकास सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करने हेतु नामित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के नगर क्षेत्र में सुन्दरीकरण के नाम पर तोड़े गये बड़ी मस्जिद से किला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

161–श्री नदीम जावेद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के नगर क्षेत्र में सुन्दरीकरण के नाम पर बड़ी मस्जिद से किला सम्पर्क मार्ग तोड़कर छोड़ दिया गया है जिससे उक्त मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग के आंशिक भाग बड़ी मस्जिद तिराहे से लुम्बिनी दुद्धी मार्ग के कि0मी0 239 में जलकल कार्यालय के तिराहे तक चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

स्वीकृत कार्य को मार्च, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिवर्ष सरकारी कार्यालयों में दिये जाने वाले सार्वजनिक अवकाश को कम किये जाने की मांग

162–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक साल के 365 दिनों में से 157 दिन सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी समीक्षा करके गैर जरूरी/कम जरूरी अवकाशों में कमी करके कार्य दिवसों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

एक साल के 365 दिनों में से जिन सरकारी कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह लागू है, वहां कैलेण्डर वर्ष 2016 के लिये शनिवार तथा रविवार को छोड़कर 40 सार्वजनिक अवकाश अनुमन्य है। इसी प्रकार जिन सरकारी कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह लागू नहीं है उन कार्यालयों में प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार तथा रविवार को छोड़कर 40 सार्वजनिक अवकाश कैलेण्डर वर्ष 2016 हेतु अनुमन्य है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेसिक प्राइमरी स्कूलों में मिड–डे–मील के स्थान पर नगद धनराशि दिये जाने की व्यवस्था की मांग

163–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक प्राइमरी स्कूलों में मिड–डे–मील ना मिलने की स्थिति में उसके बदले नगद धनराशि दिये जाने का प्राविधान किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में अल्पसंख्यक समाज की पात्र श्रेणी के गरीब परिवारों की बेटियों को शादी हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की जानकारी

164–श्री मनीष असीजा–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में अल्पसंख्यक समाज की पात्र श्रेणी के गरीब परिवारों की बेटियों को वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में शादी हेतु सरकार द्वारा कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद फिरोजाबाद में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक अभिभावकों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में रु0 11.00 लाख के सापेक्ष 110 पात्र लाभार्थियों को तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 10.80 लाख के सापेक्ष 108 लाभार्थियों को लाभार्थियों किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे प्रेरकों के मासिक मानदेय में वृद्धि किये जाने की मांग

165–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साक्षर भारत मिशन 2012 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 1.5 लाख प्रेरक रु0 2000/– मासिक के मानदेय पर कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती महंगाई को दृष्टिगत रखते हुये उक्त प्रेरकों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

प्रदेश में साक्षर भारत योजनान्तर्गत आच्छादित जनपदों की 49,921 ग्राम पंचायतों में कुल 99,842 प्रेरकों के समक्ष 93,685 प्रेरक कार्यरत हैं, जिनका मासिक मानदेय रु0 2000/– निर्धारित है।

जी नहीं।

साक्षर भारत योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में संचालित है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा निर्धारित वित्तीय मानक लागू है, जिनमें प्रेरक का मानदेय रु0 2000/– प्रति माह निर्धारित है। अतः राज्य सरकार द्वारा इनके मानदेय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकती है।

इलाहाबाद जनपद नगर निगम द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बिछायी जा रही क्षतिग्रस्त सड़कों का पूर्ण पुनर्निर्माण सरकार द्वारा कराये जाने की मांग

166—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर निगम द्वारा वर्ष 2012—13, 2013—14, 2014—15 तथा 2015 में नवम्बर, 2015 तक नगर निगम की अवस्थापना निधि से किन—किन सड़कों का निर्माण/पुनर्निर्माण/इंटरलाकिंग निर्माण कितनी—कितनी लागत में कराया गया है तथा नगर निगमों द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बिछायी जा रही सीवर लाइनों के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का पूर्ण पुनर्निर्माण अपनी अवस्थापना निधि तेरहवें, चौदहवें वित्त तथा अन्य योजनाओं से कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

इलाहाबाद नगर निगम द्वारा प्रश्नगत अवधि में नगर निगम की अवस्थापना निधि से निर्मित/पुनर्निर्माण/इंटरलाकिंग निर्माण की सड़कों का विवरण ४ सूची पटल पर रख दिया गया है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बिछायी जा रही सीवर लाइनों के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों के पैच मरम्मत का कार्य कार्यदायी संस्था गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा किया जाता है। इन सड़कों का पूर्ण पुनर्निर्माण नगर निगम द्वारा कराया जाना धन की उपलब्धता के अधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

167—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

ख्ाले गुरुवार के अता0प्र0सं0—144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद अलीगढ़ में प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज निगम के परिसमापन में की गई कार्रवाई का विवरण की मांग

168—श्री दलवीर सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2015 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज निगम के परिसमापन नवम्बर, 2015 के सम्बन्ध में कृत कार्रवाई का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह—

जनपद अलीगढ़ में प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज निगम लि0 वर्तमान में परिसमाप्त नहीं है। उ0 प्र0 पशुधन उद्योग निगम लि0 के परिसमापन के क्रम में दिनांक 31—03—2015 तक के लेखा अद्यतन कर लिये गये हैं। अवशेष मुकदमें

† nsf[k;s uRFkh ^^x** vkxs i`"B&155&162 ij

को निस्तारित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। निगम की भूमि आदि परिसम्पत्तियों के निस्तारण हेतु निदेशक मण्डल द्वारा समस्त परिसम्पत्तियों की इनेवन्ट्री तैयार करने हेतु तकनीकी समिति का गठन किया गया है तथा मैसर्स हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज से बकाये की वसूली हेतु विधिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी के पिपरौली पूर्व निर्माणाधीन पाइप को पूर्ण कराये जाने की मांग

169—श्री राकेश बाबू—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी के पिपरौली ग्राम में 3 वर्ष पूर्व निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजना का कार्य अभी तक अधूरा होने के कारण पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की पेयजल समस्या को दूर करने हेतु उक्त पेयजल योजना को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'—

जी हां।

जी हां।

मई, 2016 तक योजना के जनसामान्य को पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खराब हैण्डपम्पों को रि—बोर कराये जाने हेतु की गई कार्रवाई की जानकारी

170—श्री बब्बन सिंह चौहान—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खराब पड़े 96 हैण्डपम्पों को रि—बोर करवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0—ख—5एन0 321797, दिनांक 29—05—15 जिलाधिकारी, जनपद—चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'—

जी हां।

सर्वेक्षणोपरान्त 09 नग हैण्डपम्प रि—बोर योग्य पाये गये। उक्त समस्त हैण्डपम्पों का रि—बोर कार्य करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाये जाने की कार्रवाई की जानकारी

171—श्री बब्बन सिंह चौहान—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मौजा–बेचुपुर (सुबाषनगर) न0पा0परिषद् मुगलसराय गाटा सं0–219, रकबा 5.22 एकड़ तालाब की भूमि को अवैध तरीके से खरीदने एवं बिक्री के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ग–5 एन0 140581 दिनांक 23–06–2015 तथा ख–5एन0 321681, दिनांक 01–08–2015 जिलाधिकारी, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराये जाने के उपरान्त यह स्थिति स्पष्ट हुई कि मौजा बेचूपुर परगना मवई तहसील व जिला चन्दौली में स्थित गाटा संख्या–219 रकबा 5.22 एकड़ 1290 फसली के बन्दोबस्त में तालाब खाते में दर्ज रहा है। वर्ष 1359 फसली से उक्त आराजी में से रकबा 4.44 एकड़ खातेदारों के नाम से दर्ज रहा है, जो वर्तमान में श्री अशोक कुमार आदि के नाम अंकित है एवं रकबा 0.79 एकड़ तालाब खाते में अभिलेख में 1359 फ0 से दर्ज है।

प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी, चन्दौली के समक्ष धारा–33/39 भा0रा0अधि0 के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, जिस पर न्यायालय उप जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा मु0 नं0–25 सन् 2008 सरकार बनाम अशोक कुमार वगैरह में दिनांक 24–05–2008 को तालाब की भूमि पर दर्ज खातेदारों का नाम खारिज कर पूर्ववत् तालाब खाते में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध विपक्षीगण श्री अशोक कुमार आदि द्वारा दिनांक 14–07–2008 को पुनर्स्थापन प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जो 29–11–2011 को स्वीकार होकर मूल नम्बर पर कायम है। प्रस्तुत वाद में न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) चन्दौली द्वारा पक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। मौके पर यथा स्थिति बनी हुई है तथा किसी प्रकार के खरीद बिक्री नहीं हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के जल निगम के परियोजना प्रबन्धक व अन्य के किये गये भ्रष्टाचार के पश्चात् की गई कार्रवाई की जानकारी

172–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के जल निगम (सिविल) के परियोजना प्रबन्धक श्री रामबिहारी आदि के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 683, दिनांक 04–07–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 04–07–2015 पर जिलाधिकारी, चित्रकूट एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम से आख्या प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट से जांच करायी गयी तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम द्वारा शिकायती–पत्र पर मुख्य अभियन्ता (झांसी क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम, झांसी से तथ्यान्वेषण जांच करायी गयी। मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट तथा मुख्य अभियन्ता (झांसी क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम, झांसी द्वारा की गयी तथ्यान्वेषण जांच से शिकायती की पुष्टि नहीं हुयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–चित्रकूट के अन्तर्गत नियुक्त सहायक लेखाकारों को जिला मु0 एवं विकास खण्ड स्तर पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता के रूप में लेखाकार का कार्य दिये जाने पर की गई कार्रवाई की जानकारी

173–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 675, दिनांक 22–06–2015, जो जनपद–चित्रकूट में मनरेगा के अन्तर्गत नियुक्त सहायक लेखाकारों को जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड स्तर पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता के रूप में लेखाकार कार्य दिये जाने के विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड–मऊ में आई0डी0 3177006054/डब्ल्यू0सी0 617 मनरेगा बन्द वेबसाइट को खुलवाकर उक्त आई0डी0 में अवशेष व्यय भुगतान जमा कराये जाने हेतु की गई कार्रवाई की जानकारी

174–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड–मऊ में आई0डी0 3177006054/डब्ल्यू0सी0 617 जो मनरेगा वेबसाइट पर बन्द है, को खुलवाकर उक्त आई0डी0 में अवशेष व्यय के भुगतान कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक 606, दिनांक 20–04–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड–मऊ में आई0डी0 3177006054/डब्ल्यू0सी0 617 के बन्द होने की सूचना एवं उसको खुलवाने हेतु अनुरोध मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट द्वारा भारत सरकार की मनरेगा वेबसाइट पर आई0डी0 का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि आई0डी0 से सम्बन्धित कार्य दिनांक 23–03–2010 को स्वीकृत हुआ था।

भारत सरकार के नियमानुसार आई0डी0 को खोलने की सुविधा कार्य पूर्ण होने की तिथि से अधिकतम 02 वित्तीय वर्ष तक होती है। भारत सरकार से उक्त आई0डी0 खुलवाने का अनुरोध दिनांक 09–02–15 को किया गया था। भारत सरकार द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त आई0डी0 खोला नहीं जा सकता है क्योंकि कार्य 05 वर्ष पुराना है। अतः वर्क आई0डी0 खुलवाना/ऑन गोइंग कार्रवाई किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बड़े महानगरों में देहात से आये गरीब मजदूरों, रिक्शा चालकों व फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के लिये रात्रि विश्राम गृह का निर्माण कराये जाने पर विचार की मांग

175–श्री दीपक पटेल–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बड़े महानगरों में देहात से गरीब लोग मजदूरी करने एवं रिक्शा चलाने के लिये आते हैं जो फुटपाथों पर या पेड़ के नीचे सोते अपनी रात बिताते समय दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें होने वाली दुर्घटनाओं से मुक्ति दिलाने के लिये रात्रि विश्राम गृह के निर्माण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं, परन्तु ऐसे कतिपय श्रमिकों के साथ आकस्मिक दुर्घटना होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

शहरी बेघरों की सुविधा के लिये प्रदेश के बड़े महानगरों (नगर निगमों) में 148 स्थायी शेल्टर होम विद्यमान हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के अन्तर्गत 53 शहरों में 72 शेल्टर होम स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 56 का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों द्वारा अस्थायी रैन बसेरा की व्यवस्था भी की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में लघु सिंचाई विभाग को उ0प्र0 सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये धन को आवंटन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से कार्य कराये जाने पर की गई कार्रवाई की जानकारी की मांग

176–श्री दीपक पटेल–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में लघु सिंचाई विभाग को वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में जिला योजना द्वारा उ0प्र0 सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कितने धन का आवंटन किया गया तथा आवंटित धन से कौन–कौन से कार्य कराये गये ? क्या सरकार कि बतायेगी स्वीकृत कार्यों का चयन आवंटन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मनमाने तरीके से कराये गये कार्य की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जनपद इलाहाबाद में लघु सिंचाई विभाग को वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिला योजना में उ0प्र0 सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा क्रमशः रु0 526.26 लाख एवं रु0 53.90 लाख धन का आवंटन किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 जिला योजना में उ0 प्र0 सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा क्रमशः रु0 701.71 लाख एवं रु0 991.15 लाख धन का आवंटन किया गया।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा जनपद इलाहाबाद में स्वीकृत कार्यों का चयन मनमाने तरीके से नहीं किया गया है। विभाग द्वारा जनपद इलाहाबाद में जिला योजना एवं केन्द्रांश से निःशुल्क बोरिंग योजना, मध्यम गहरी बोरिंग, गहरी बोरिंग एवं डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप तथा चेकडैम निर्माण योजना का कार्य कराया जाता है। निःशुल्क बोरिंग का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। गहरी बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग एवं डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूपों का चयन प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर किया जाता है। चेकडैम का निर्माण ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर स्थलीय उपयुक्तता के दृष्टिगत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला तकनीकी समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जाता है। मनमाने तरीके से कार्य किये जाने का प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

177–श्री त्रिभुवन राम–

ख्1ले सोमवार के अता0प्र0सं0–20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद मिर्जापुर में पत्रकारों पर जानलेवा हमला करने वाले तांत्रिक पगला बाबा उर्फ विभूति नरायण आदि लोगों पर की गई कार्रवाई की जानकारी

178–श्री बृजेश कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, गृह उ0प्र0 शासन को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा का पत्र संख्या–668/ने0वि0द0/2015, दिनांक 02–11–2015 जो जनपद मिर्जापुर में पत्रकारों पर जानलेवा हमला करने वाले तांत्रिक पगला बाबा उर्फ विभूति नरायण आदि लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

मा0 नेता विरोधी दल के पत्र की प्रति शासन के पत्र दिनांक 01–12–2015 द्वारा पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को भेजकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि श्री आकाश दुबे पुत्र स्व0 उदय शंकर दुबे निवासी रतनगंज, थाना–कटरा, कोतवाली, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 24–10–2015 को दिये गये प्रार्थना–पत्र पर थाना विन्ध्यांचल मिर्जापुर पर एन0सी0आर0 नं0–145/2015 धारा–323/504 भादवि, पगला बाबा उर्फ विभूति नारायण निवासी अघोरी आश्रम तुलसी का तलिया ग्राम–घमहापुर, विन्ध्यांचल, मिर्जापुर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। दिनांक 02–11–2015 को मु0 न्यायिक मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर के समक्ष 155 (2) द0प्र0सं0 (सी0आर0पी0सी0) के तहत विवेचना का आदेश प्राप्त कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान वादी द्वारा विपक्षी पगला बाबा से सुलह समझौता करने के कारण लिखित शपथ–पत्र प्रस्तुत किया कि वह इस मुकदमें में कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। अतः दोनों पक्षों में सुलह हो जाने के कारण साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 26–12–2015 को मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी है। प्रकरण में कोई कार्रवाई शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शिक्षा विभाग में प्रधान अध्यापक के पिता की मृत्यु हो जाने के उपरान्त मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दिये जाने सम्बन्धी की गई कार्रवाई की जानकारी

179–श्री बृजेश कुमार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल विधान सभा का पत्र संख्या–275/ने0वि0द0/2015, दिनांक 19–08–2015 जो कि विभाग में प्रधान अध्यापक के पिता की मृत्यु हो जाने के उपरान्त मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

शासनादेश दिनांक 4–9–2000 के अनुसार प्रकरण कालबाधित होने के कारण शिथिलीकरण का औचित्य न पाते हुए शासनादेश दिनांक 22–11–2006 द्वारा निरस्त कर निस्तारित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने की स्थिति में दोनों को मकान भत्ता किराया अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासनादेश पर की गई कार्रवाई की जानकारी

180–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने की स्थिति में दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1/2015/जी0–1–01/दस–2015–226/2008 टी0सी0–प्प दिनांक 11 फरवरी, 2015 वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां,

तो क्या शासनादेश के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों को उक्त लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जनपद के रवीन्द्रपल्ली कालोनी के अन्तर्गत आलोक पुरी में स्थित पार्क की चहारदीवारी का निर्माण व सुन्दरीकरण कराने की मांग

181–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के रवीन्द्रपल्ली कालोनी के अन्तर्गत आलोक पुरी में स्थित पार्क की चाहरदीवारी निर्मित नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क की चाहरदीवारी का निर्माण कराकर उसका सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

जी नहीं।

यह प्राइवेट कालोनी है, जिसका ले–आउट स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र रुधौली में पेयजल हेतु खराब पड़े हैण्डपम्पों को विभाग द्वारा ठीक कराने की मांग/समरसेबुल पम्प लगाने की मांग

182–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुधौली में पेयजल हेतु विभाग द्वारा लगाये गये अधिकांश इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं या दूषित जल उगल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिये समरसेबुल पम्प के जरिये वाटर सप्लाई कराने की कोई योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र रुधौली में कुल 7428 नग इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। हैण्डपम्पों के जल नमूनों की जांच समय–समय पर उ0 प्र0 जल निगम की जनपदीय प्रयोगशाला में करायी जाती है। जांचोपरान्त जिन बस्तियों के जल में अशुद्धियां पायी गयी उन बस्तियों हेतु पाइप पेयजल योजनाएं पूर्व से स्वीकृत है।

यू0पी0 बोर्ड 2014–15 का परीक्षा परिणाम समय से न भेजे जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों को अंक–पत्र न मिलने से उत्पन्न हुई समस्या के दोषियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई की मांग

183–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 बोर्ड की परीक्षा 2014–15 का परिणाम 17 मई, 2015 को घोषित किया गया परन्तु अंक पत्र समय से न भेजे जाने के कारण बहुत से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद भी उन्हें बिना मूल अंक–पत्र के प्रवेश नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके जिम्मेदारों के प्रति कार्रवाई करते हुए भविष्य के लिये समाधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

वर्ष 2015 की हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल दिनांक 17 मई, 2015 को घोषित होने के उपरान्त परीक्षाफल परिषद् एवं एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिये गये थे, जो निरन्तर वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रहे हैं। मूल अंक–पत्र के अभाव में प्रवेश न मिल पाने का बिन्दु परिषद् के संज्ञान में नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर महानगर में निर्माणाधीन रामगढ़ ताल सौन्दर्यीकरण परियोजना को पूर्ण कराने हेतु सरकार की नीतियों की जानकारी

184–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में निर्माणाधीन रामगढ़ ताल सौन्दर्यीकरण परियोजना में कौन–कौन कार्य पूर्ण हो चुका है और कितनी लागत के क्या–क्या कार्य अधूरे हैं ? क्या इस परियोजना को पूर्ण कराने हेतु सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

गोरखपुर महानगर में रामगढ़ ताल के सौन्दर्यीकरण की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत बोट क्लब से सर्किल हाउस के मध्य 1 कि0मी0 लम्बाई में सौन्दर्यीकरण के कार्य जैसे–टहलने के लिये ट्रैक, फव्वारा, ताल के किनारे रेलिंग लगाने का कार्य, लाइटिंग का कार्य, लैण्ड स्केपिंग एवं वृक्षारोपण सड़क निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। शासनादेश संख्या–आर0एफ0 192/नौ–9–2015–15 आर0एफ0/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा रु0 13.75 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृत के सापेक्ष 100 मीटर कार्य नमूने के तौर पर कराने हेतु रु0 2.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

अवमुक्त धनराशि रु0 2.00 करोड़ के सापेक्ष 120 मी0 लम्बाई में प्रस्तावित समस्त कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। शेष 880 मी0 लम्बाई के कार्य कराया जाना अवशेष है।

उक्त परियोजना के अतिरिक्त राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 196.75 करोड़ की परियोजना भी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है, जिसके कार्य भी प्रगति पर हैं। इसकी भौतिक प्रगति 88 प्रतिशत है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर स्थित रामगढ़ ताल झील के सौन्दर्यीकरण परियोजना में जलकुम्भी निकालने के कार्य में व्यय हुए धन व कार्य की जानकारी व कार्रवाई की जानकारी

185–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर स्थित रामगढ़ ताल झील के सौन्दर्यीकण परियोजना में जलकुम्भी निकालने के कार्य में कितना धन व्यय हुआ है क्या यह कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि झील में अभी भी जलकुम्भी भरी हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

गोरखपुर महानगर स्थित रामगढ़ताल झील के सौन्दर्यीकरण परियोजना में जलकुम्भी निकालने के कार्य में डि–वीडिंग मशीन के क्रय हेतु रु0 170.00 लाख एवं मशीन से जलकुम्भी निकालने के कार्य पर रु0 45.00 लाख कुल रु0 215.00 लाख का व्यय माह दिसम्बर, 2015 तक हुआ है।

उक्त कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

जी नहीं। ताल से जलकुम्भी निकालने का कार्य सम्बन्धी अनुबन्ध मे0 बाम्बे जे0सी0बी0 अर्थ मूवर्स, नवी मुम्बई के साथ किया गया है। अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि दिनांक 23–01–2017 है।

ताल से पूरी जलकुम्भी निकाले जाने के उपरान्त भी नई जलकुम्भी पैदा होती रहती है जो ताल के कतिपय भाग में छिट–पुट स्थलों पर परिलक्षित होती है। उगने वाली जलकुम्भी को निकाले जाने का प्रावधान अनुबन्ध में है। अनुबन्ध के अनुसार कार्रवाई मे0 बाम्बे जे0सी0बी0 अर्थ मूवर्स, नवी मुम्बई द्वारा की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर महानगर स्थित रामगढ़ताल झील के सौन्दर्यीकरण परियोजना में झील से निकाली गई मिट्टी का विवरण व बेचे जाने की जानकारी

186–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में स्थित रामगढ़ताल झील के सौन्दर्यीकरण परियोजना में झील से तल्लीझार मिट्टी निकालने का काम पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो झील से अब तक कितनी मिट्टी निकाली जा चुकी है और इस मिट्टी को कहां और किसे बेचा गया है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

गोरखपुर महानगर में स्थित रामगढ़ताल झील से अब तक कुल 11,43,553 घनमीटर मिट्टी निकाली जा चुकी है। निकाली गई मिट्टी को सर्किट हाउस के निकट गोरखपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर निर्माणाधीन चिड़ियाघर परिसर में ताल के पूर्वी हिस्से में नये बन्धे के किनारे खाली भूमि एवं बन्धे के चौड़ीकरण हेतु तथा ताल के दक्षिणी हिस्से में डाला गया है। निकाली गयी मिट्टी को किसी को बेचा नहीं गया है।

प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों के पुनरीक्षित मानदेय को बढ़ाये जाने की मांग

187—श्री उपेन्द्र तिवारी—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों का पुनरीक्षित मानदेय पूर्व के मानदेय से 30 प्रतिशत कम कर दिया गया है जबकि उन्हीं विद्यालयों के अन्य कर्मियों के पुनरीक्षित मानदेय में 30 प्रतिशत से 127 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ के मानदेय सहित अन्य मदों में दरों का पुनरीक्षण किया गया है, जिसमें एकमुश्त धनराशि स्वीकृत न करते हुए पदवार मानदेय/वेतन निर्धारित किया गया है। इस पुनरीक्षण के फलस्वरूप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय रु0 7200/— के स्थान पर रु0 5000/— कर दिया गया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के मानदेय वृद्धि/कमी का विवरण निम्नवत् है :—

क्र0सं0	पद	पूर्व का मानदेय (रु0 में)	पुनरीक्षित मानदेय (रु0 में)	प्रतिशत वृद्धि/कमी
1	वार्डेन	11000/—	25000/—	127
2	पूर्णकालिक शिक्षक	9200/—	20000/—	117
3	अंशकालिक शिक्षक	7200/—	5000/—	(—) 30
4	लेखाकार	6000/—	10000/—	66
5	मुख्य रसोइया	4600/—	6000/—	30
6	सहायक रसोइया	3200/—	4500/—	40
7	चौकीदार	3200/—	5000/—	56
8	चपरासी	3200/—	5000/—	56

भारत सरकार को वृद्धि का प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का संचालन भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार किया जाता है।

जनपद फिरोजाबाद में कतिपय विद्यालयों में पीने के स्वच्छ पानी हेतु हैण्डपम्प, शौचालय एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी

188—श्री मनीष असीजा—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कतिपय विद्यालयों में पीने के स्वच्छ पानी हेतु हैण्डपम्प, शौचालय एवं बाउण्ड्रीवाल विहीन विद्यालयों में उक्त की सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0–ख–5 नं0–090026, दिनांक 18–11–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

उक्त पत्र के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि :–

(क) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में स्वीकृत 517 हैण्डपम्प के सापेक्ष 121 हैण्डपम्प स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष में हैण्डपम्प स्थापना की कार्रवाई गतिमान है।

(ख) किराये के भवनों को छोड़कर समस्त परिषदीय विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

(ग) जनपद के 634 विद्यालय चहारदीवारी विहीन हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विगत वर्ष चहारदीवारी की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण इन विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण नहीं कराया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद नगर निगम में 5 वर्षों से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाली सामूहिक बीमा धनराशि का भुगतान किये जाने की मांग

189–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में विगत 5 वर्षों से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाली सामूहिक बीमा धनराशि बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार लम्बित सामूहिक बीमा धनराशि का भुगतान करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत सामूहिक बीमा की धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने के पश्चात् लम्बित सेवानिवृत्ति/मृतक कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाई गई क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत की मांग

190–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाई गई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की सभी सड़कें मानक व गुणवत्ता के अनुरूप न बनने के कारण अपने निर्धारित अवधि के पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मई, 2014 तक कुल 07 सड़कों का निर्माण/उच्चीकरण किया गया है। प्रत्येक मार्ग की गुणवत्ता का परीक्षण नेशनल/स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा चुका है तथा उनके द्वारा कार्यों को संतोषजनक ग्रेड दिया गया है।

191–श्री उपेन्द्र तिवारी–

ख्अस्पष्टता के आधार पर निरस्त,

बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त सहायक अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को लागू न्यू पेंशन स्कीम योजना के अन्तर्गत की जाने वाली कटौती के विवरण की जानकारी

192–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 के अधीन प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 01 अप्रैल, 2005 से अथवा उसके उपरान्त नियुक्त सहायक अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को प्रदेश में वर्ष 2005 से लागू न्यू पेंशन स्कीम योजना के शासनादेश के तहत उनके वेतन से पेंशन मद में निर्धारित धनराशि की कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

न्यू पेंशन योजना के अन्तर्गत कटौती हेतु आवश्यक कम्प्यूटर साफ्टवेयर एन0आई0सी0 द्वारा तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

193–श्री मनीष असीजा–

ख्आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र 25–कांठ के ब्लाक छजलैट में प्रस्तावित आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण प्रारम्भ किये जाने की जानकारी

194–श्री अनीसुर्रहमान–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र 25–कांठ के ब्लाक छजलैट में प्रस्तावित आई0टी0आई0 कालेज खोलने के लिये वर्ष 2013–14 में तहसील प्रशासन ने भूमि भी आरक्षित कर दी है ? यदि हां, तो उक्त आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र 25–कांठ के ब्लाक छजलैट में प्रस्तावित आई0टी0आई0 कालेज खोलने के लिये ग्राम–गो0पा0 उर्फ सन्दलीपुर में भूमि खतौनी खाता संख्या–00254 के खसरा संख्या–162 चिन्हित की गयी है। यह भूमि स्कूल गो0पा0 उर्फ सन्दलीपुर के नाम दर्ज है। अभी उक्त भूमि आई0टी0आई0 के लिये आरक्षित नहीं है। मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम में 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत जनपद मुरादाबाद के प्रत्येक विकास खण्ड हेतु रु0 10.00 करोड़ की विस्तृत कार्य योजना जनपद स्तर से शासन को उपलब्ध करायी गयी थी। मुख्य सचिव, उ0 प्र0 की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 09–07–2013 को हुई बैठक के अनुमोदनोपरान्त उक्त जनपद के रु0 111.00 करोड़ के प्रस्तावों की डी0पी0आर0 (विस्तृत कार्य योजना) जिनमें प्रश्नगत आई0टी0आई0 का प्रस्ताव भी सम्मिलित था, को स्वीकृति हेतु शासन के पत्र संख्या–3451/52–1–2013–01 (120)/12, दिनांक 31 जुलाई, 2013 के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

प्रश्नगत आई0टी0आई0 के लिये भारत सरकार से अभी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के राज्य सम्पत्ति कालोनी, एल0के0एस0 टाइप–2 अलीगंज की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने एवं बाउन्ड्री उठाने की कार्रवाई की जानकारी

195–श्री बृजेश कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति कालोनी, एल0के0एस0 टाइप–2 अलीगंज आवास संख्या–77 से 100 के सामने जमीन पर अवैध कब्जा करके झुग्गी–झोपड़ी के लोग अनाधिकृत रूप से स्थाई निर्माण कार्य करा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार झुग्गी–झोपड़ी के अवैध कब्जे को हटवाकर बाउण्ड्री कराकर सरकारी जमीन को सुरक्षित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल पर वर्तमान में स्थायी निर्माण होना नहीं पाया गया है। पूव्र से ही झुग्गी–झोपड़ी के लोग कच्ची दीवार, टीनशेड, खपरैल डालकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं।

प्रश्नगत कालोनी राज्य सम्पत्ति विभाग की है, जहां पर कार्रवाई का दायित्व राज्य सम्पत्ति विभाग का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर के कतिपय मोहल्लों की जर्जर सड़कों के मरम्मत किये जाने की मांग की जानकारी

196–श्री फेरन लाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर के मोहल्ला कैथाना से डामर वाली रोड, जो कोहना मोहल्ला होते हुए बादशाहपुर रोड में जाकर मिली हुई है, अत्यधिक क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त सड़क के निर्माण हेतु नगर पंचायत फूलपुर द्वारा निविदा करा दिया गया है, जिसका कार्यादेश दिनांक 18–01–2016 को निर्गत कर दिया गया है।

जनपद गाजियाबाद में दिल्ली यू0पी0 बार्डर से मोहन नगर चौराहा के बीच राजमार्ग पर ट्रकों की अवैध पार्किंग को रोकने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदम की जानकारी

197–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में दिल्ली यू0पी0 बार्डर (अप्सरा बार्डर) से मोहन नगर चौराहा के बीच राजमार्ग पर ट्रकों की अवैध पार्किंग होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने हेतु ठोस कदम उठाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। जनपद गाजियाबाद में दिल्ली यू0पी0 बार्डर (अप्सरा बार्डर) दिल्ली राज्य व उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा होने के कारण काफी संख्या में भारी वाहनों का आवागमन रहता है। जनपद में ट्रांसपोर्ट नगर न होने के कारण तथा दिल्ली उत्तर प्रदेश बार्डर से (अप्सरा बार्डर) के आस–पास अधिक संख्या में ट्रांसपोर्ट होने के कारण इस क्षेत्र में चालक भारी व्यावसायिक वाहन ट्रक इत्यादि सड़क के किनारे खड़े कर देते हैं।

यातयात पुलिस जनपद गाजियाबाद द्वारा मार्ग अवरुद्ध करने वाले ऐसे ट्रकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत एवं यातायात क्रेन के माध्यम से सतत् कार्रवाई

की जा रही है। इस मार्ग पर सड़क किनारे खड़े ट्रक की सूचना प्राप्त होने पर पी0सी0 लैपर्ड को तत्काल मौके पर भेजकर ट्रक को हटवाने की कार्रवाई की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद स्थित प्रखर समाजवादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आचार्य नरेन्द्र देव की कोठी को स्मारक बनाये जाने की मांग पर विचार

198–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रखर समाजवादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आचार्य नरेन्द्र देव के फैजाबाद स्थित कोठी को प्रदेश सरकार स्मारक बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो आचार्य नरेन्द्र देव जी की कोठी को कब तक स्मारक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के कतिपय गांवों की खराब सड़कों को नये सिरे से बनवाये जाने की मांग विषयक की गई कार्रवाई का विवरण

199–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर की 09, विशेश्वरगंज की 10, हुजूरपुर की 03, कैसरगंज की 02, जरवल की 03 विलुप्त प्राय खड़न्जा/कंकड़मय सम्पर्क मार्गों को नये सिरे से निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/12–13/क–5 नं0–004923/617, दिनांक 16–06–2012 जिलाधिकारी, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16–06–2012 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नवनिर्माण हेतु 27 मार्गों की सूची उपलब्ध करायी गयी जिसमें से क्रम संख्या–01, 02, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 व 27 (कुल 21 मार्ग) पर अंकित मार्गों का संरेखण कोरनेटवर्क से भिन्न होने के कारण पी0एम0जी0एस0वाई0 के दिशा–निर्देशों के अनुसार आच्छादन योग्य नहीं है। क्रमांक–03, 04 व 16 पर अंकित मार्गों से प्रभावित होने वाली बसावटें क्रमशः परसिया पण्डित, बड़का गांव तथा लोनियन पुरवा बेसिया पूर्व से ही सर्वऋतु मार्ग से जुड़ी हुयी है, उक्त बसावटों को जोड़ने के लिये पी0एम0जी0एस0वाई0 के दिशा–निर्देशों के अनुसार नवनिर्माण प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। क्रम संख्या–15 पर अंकित मार्ग का

उच्चीकरण पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में पूर्ण कराया जा चुका है। क्रम संख्या–07 व 09 पर अंकित मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनी कार्य योजना में निर्माण हेतु सम्मिलित कर लिये गये हैं।

प्रश्न नही उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक कमलेश यादव/दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी

200–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 7 सितम्बर, 2015 को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक कमलेश यादव के विरुद्ध विशेष मजिस्ट्रेट (भ्रष्टाचार निरोधक कानून) के तहत प्रचलित मुकदमें को वापस लेने के सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार द्वारा इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन के उक्त आदेश को निरस्त किया गया है।

जी नहीं क्योंकि मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 07 सितम्बर, 2015 के विरुद्ध मा0 उच्चतम नयायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्रवाई श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जब हाउस अव्यवस्थित था उस समय मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी की थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी उसका सूबूत दें या फिर सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए माफी मांगें कि उन्होंने गलत टिप्पणी की थी।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप इसे नियमों के अन्तर्गत लायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह टिप्पणी मान्यवर, विधान सभा की कार्रवाई में आयी है। उस समय हमारी आवाज शोर–शराबे में दब गई थी इसलिए हम चाहते हैं कि या तो संसदीय कार्य मंत्री जी सुबूत दें या माफी मांगें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 खन्ना साहब, अभी आप सदन आगे चलने दीजिए, आगे ऐसे बहुत से अवसर आयेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, आपके आसन पर आसीन होने के बाद जब कानून–व्यवस्था को लेकर विपक्ष अपना आक्रोश जाहिर कर रहा था उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी ने विपक्ष को ख ग ग ग , कहा, जो कार्रवाई में भी सम्भवतः आया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपको नहीं, इन्हें कहा था।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

अच्छा भाजपा को कहा था, चलिये आप लोगों की मिलीभगत है, कोई बात नहीं। मान्यवर, ऐसे हालात में यदि वह कार्रवाई में आया हो तो उसे कार्रवाई का अंग न बनाया जाए।

ख12.32 बजे, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 09–02–2016 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से 14 सूचनाएं स्वीकृत की गईं।

पहली सूचना श्री अमर पाल शर्मा की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद की ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में 100 शैय्या वाला अस्पताल खुलवाये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर के ब्लॉक भावलखेड़ा के अन्तर्गत ग्राम बारापुर में कृषि भूमि पर दो साल पहले हुए पट्टे पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना डॉ0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी कैण्ट विधान सभा के अनेक वार्डों रानीपुर, तुलसीपुर, विनायका, विरदोपुर (कमच्छा) जंगमबाड़ी में पाइप लाइन की जॉच कराकर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थ नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दूषित जल पीने के कारण 10 व्यक्तियों की कैंसर रोग से मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में है, सूचना दिन में मान्यवर, डॉक्टर का कहना है कि इससे लीवर और चमड़ी का कैंसर होता है इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसमें निर्देश दे दें कि कोई टीम जांच करने के लिए चली जाए।

श्री अध्यक्ष–

नियम–301 में निर्देश देने की जरूरत नहीं है।

पांचवीं सूचना श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय की जनपद इलाहाबाद के मेंजा तहसील मुख्यालय पर जमुना पार में किसानों का परीक्षण केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में है।

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

छठी सूचना श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा की (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं सदन में अनुपस्थित रहने पर)

सातवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दनकशा तथा अन्य ग्रामों को पक्के सड़क मार्गों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री सन्त राम कुशवाहा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधवगढ़ के अन्तर्गत ग्राम अण्डा विकासखण्ड कोंच में उर्वरक एवं बीज भण्डारण हेतु गोदाम एवं कार्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा'' की वाराणसी नगर में विधान सभा क्षेत्र औसानगंज तिराहे पर कम ब्यास का सीवर लाइन होने के कारण गन्दा जल एकत्रित होने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री सुभाष पासी की विधान सभा क्षेत्र सैदपुर गाजीपुर के अन्तर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में टूटी हुई बिल्डिंग एवं खिड़की ठीक कराने एवं छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा वृन्दावन स्थित गोकुल बैराज पर स्थापित जल शोधन संयत्र के समुचित संचालन हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना डॉ0 आर0के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ विकास खण्ड मान्धाता बाजार कटरा गुलाब सिंह में पाइप पेयजल परियोजना के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री ओम कुमार की (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं सदन में अनुपस्थित रहने पर)

चौदहवीं सूचना श्री अनीसुरर्हमान की कांठ विधान सभा के अन्तर्गत मुरादाबाद से चकफेरी कुम्हरिया होकर गढ़ी तक लोहिया बस के चलाये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री संजय कपूर–

मान्यवर, मेरी सूचना सी0एच0सी0 केन्द्र खुलने के सम्बन्ध में है वहां पर डेली मौतें हो रही हैं, मैंने नियम–301 में सूचना दी है इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरी सूचना को शामिल कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, श्री संजय कपूर की सूचना को स्वीकार किया जाता है।

श्री अमर पाल शर्मा–

मान्यवर, मेरी सूचना आपने स्वीकृत की थी। मेरा नाम पुकारे जाने के तुरन्त बाद मैं आ गया था मैं यहीं बाथरूम में था, इसलिए अनुरोध है कि मेरी सूचना को अस्वीकृत न किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं:–

1–डॉ0 धर्मपाल सिंह 2–श्री सतीश महाना 3–श्री अगयश रामसरन वर्मा 4–श्री मनीष असीजा 5–श्री रवीन्द्र जायसवाल 6–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी 7–श्री इन्दल कुमार 8–श्री काली चरन सुमन 9–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया 10–श्री संजय प्रताप जायसवाल 11–श्री मो0 जासमीर अंसारी 12–श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज 13–श्री उमेश पाण्डेय 14–श्री बंशी सिंह पहाड़िया 15–श्री जय प्रकाश निषाद 16–डॉ0 रमेश चन्द्र बिन्द।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद की ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में 100 शैय्या वाला अस्पताल खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर पाल शर्मा–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में जनहित में भीषण समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद में औद्योगिक नगरी होने के नाते बढ़ती हुई आबादी एवं बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुए 100 शैय्या वाले अस्पताल खुलवाये जाने की नितान्त आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान पूर्व में भी आकृष्ट किया गया था, किन्तु सकारात्मक परिणाम अभी तक परिलक्षित नहीं हो रहा है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए 100 शैय्या वाला अस्पताल खुलवाये जाने की सरकार से मांग करता हूं।,

शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के अन्तर्गत ग्राम बारापुर में कृषि भूमि पर दो साल पहले हुए पट्टे पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्मान्यवर, शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम बारापुर में कृषि भूमि के पट्टे दो साल पहले हुए थे लेकिन अभी तक भूमि की नाप कर कब्जा लेने की कार्रवाई नहीं हो सकी। राम औतार पुत्र रामेश्वर, राम अवतार पुत्र हीरालाल, राम कुमार पुत्र ताराचन्द, हरदेई पत्नी श्री बाबूराम ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया कि उनको जो पट्टे आवंटित किये गये थे उस पर अभी तक कब्जा नहीं मिल सका है।

जनहित में जिन भूमिहीनों को कृषि भूमि का पट्टा ग्राम बारापुर, शितलापुर तथा ग्राम बड़ावन (ब्लाक भावलखेड़ा) में किया गया है। उन लोगों को कब्जा मिलना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कृषि भूमि के पट्टे जो बारापुर, शितलापुर तथा बड़ावन में किये गये हैं उनको कब्जा दिलाये जाने की मांग करता हूं।,

वाराणसी कैण्ट विधान सभा के अनेक वार्डो रानीपुर, तुलसीपुर, विनायका, विरदोपुर (कमच्छा) जंगमबाड़ी में पाइप लाइन की जांच कराकर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

ख्महोदय, वाराणसी कैण्ट विधान सभा में अनेकों वार्ड में गन्दे पानी की आपूर्ति हो रही है। रानीपुर, तुलसीपुर, विनायका, विरदोपुर (कमच्छा) जंगमबड़ी के लोग बहुत परेशान हैं। कई बार यह परेशानी 301 के अन्तर्गत विधान सभा में भी दी गयी है। हर बार स्वच्छ जल आपूर्ति की योजनाएं ही उत्तर में आती हैं। यह योजना अभी तक फलीभूत नहीं हुई है और ऐसा कोई कार्य योजना कार्यान्वित होते दिखाई नहीं पड़ रही है जिससे निकट भविष्य में स्वच्छ जल आपूर्ति का भरोसा हो। जरूरत इस बात की है कि जिन क्षेत्रों में सीवर लाइन व पेयजल पाइप लाइन एक दूसरे के ऊपर है, विशेष कर सड़कों के क्रासिंग पर उन जगहों के पाइप की चेकिंग हो जाए जिससे उसमें आवश्यक सुधार हो जाए।

मैं जनहित में लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त पेयजल पाइप लाइन की जांच व आवश्यक कार्रवाई की मांग करती हूं।,

जनपद सिद्धार्थनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दूषित जल पीने के कारण 10 व्यक्तियों की कैंसर रोग से मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

ख्महोदय, उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के तट पर स्थित ग्राम बिथरिया पड़ता है। यहां पर विगत एक वर्ष के अन्दर 10 व्यक्तियों की मृत्यु कैंसर रोग से हो चुकी है। राप्ती नदी में बलरामपुर चीनी मिल का गन्दा पानी गिराये जाने के कारण नदी के किनारे बसे गांवों में लगे नल से जो पानी निकलता है उसमें आर्सेनिक की मात्रा पायी जा रही है, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिये इस गम्भीर प्रकरण का जांच कराया जाना व्यापक जनहित में आवश्यक है।

यह भी उल्लेखनीय है कि राप्ती नदी में बलरामपुर शुगर मिल, कुआनों नदी में बभनान शुगर मिल तथा आमी नदी में बजाज के अठदमा शुगर मिल एवं आसवानी यूनिट का गन्दा पानी आने के कारण जन सामान्य एवं जानवरों तथा जल में रहने वाले जीव–जन्तुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है जिससे गम्भीर संकट उत्पन्न होने के कारण लगातार मृत्यु के शरण में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे गम्भीर प्रकरण की जांच कराकर मिल मालिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाना न्याय संगत होगा।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए अविलम्ब सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।,

जनपद इलाहाबाद के मेजा तहसील मुख्यालय पर जमुना पार में किसानों का परीक्षण केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय उर्फ गामा पाण्डेय–

ख्मान्यवर, जनपद इलाहाबाद के मेजा तहसील मुख्यालय पर किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण व आधुनिक खेती की जानकारी प्रदान करने हेतु क्या सरकार कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जमुनापार में कोई भी किसानों का प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है।,

जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दनकशा तथा अन्य ग्रामों को पक्के सड़क मार्गों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

ख्मान्यवर, कृपया आपको अवगत कराना है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के विकास खण्ड सैया में ग्राम पंचायत दनकशा के ग्राम टीका का पुरा को अभी तक किसी भी सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया और विकास खण्ड खैरागढ़ के ग्राम–धमोकर को भी किसी भी सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया उक्त दोनों गांव की आबादी भी लगभग 500 की है, जबकि शासनादेश के अनुसार 250 आबादी वाले गांव को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना है, उक्त गांव में पक्का मार्ग न होने से क्षेत्रीय जनता एवं छात्र–छात्राओं को स्कूल जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में अविलम्ब उक्त ग्रामों को पक्के सड़क मार्गों से जोड़े जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधवगढ़ के अन्तर्गत ग्राम अण्डा, विकास खण्ड कोच में उर्वरक एवं बीज भण्डारण हेतु गोदाम एवं कार्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्तराम कुशवाहा–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में साधन सहकारी समिति लि0 अण्डा विकास खण्ड कोंच के ग्राम अण्डा उर्वरक एवं बीज भण्डारण हेतु गोदाम एवं कार्यालय नहीं है। जबकि समिति के पास निजी भूमि उपलब्ध है। यहां पर ग्राम अण्डा में उर्वरक एवं बीज भण्डारण गोदाम तथा कार्यालय न होने से किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा कई बार पत्राचार के माध्यम से लिखित एवं मौखिक रूप में शासन एवं प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न होने से क्षेत्रीय किसानों में सरकार के प्रति किसानों में रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व, अविलम्बनीय एवं तत्कालीन विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में ग्राम अण्डा विकास

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

खण्ड कोंच में उर्वरक एवं बीज भण्डारण हेतु गोदाम एवं कार्यालय स्थापित कराये जाने की मांग करता हूं।,

वाराणसी नगर में विधान सभा क्षेत्र औसानगंज तिराहे पर कम ब्यास की सीवर लाइन होने के कारण गन्दा जल एकत्रित होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

ख्महोदय, उक्त क्षेत्र घनी आबादी एवं स्कूल, कालेज एवं बाजार का क्षेत्र है परन्तु उक्त क्षेत्र में विभागीय कथन के अनुसार कम ब्याज का सीवर लाइन बिछी होने के कारण गन्दे पानी का निकास नहीं होता है, फलस्वरूप उक्त क्षेत्र में सीवर ओवर फ्लो होने के कारण हमेशा ही गन्दे जल के जमाव से वहां से लोगों को आना–जाना दूभर हो गया है और नारकीय जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। सूच्य है कि उक्त विषय को 17–08–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत उठाया था जिसके उत्तर का सन्दर्भ संख्या–4022/9.7.15 दिनांक 21–12–15 द्वारा मा0 नगर विकास मंत्री जी द्वारा सूचित कराया गया है कि नाटी इमली से औसानगंज होते हुए आगे तक की काफी पुरानी एवं अण्डरसाइज सीवर लाइन है। कम ब्यास सीवर लाइन होने के कारण प्रायः ओवर फ्लो होती रहती है। मंत्री जी द्वारा अपने पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त स्थल पर बड़े ब्यास की सीवर लाइन बिछाने हेतु निरीक्षण किया गया है लेकिन अत्यन्त खेद का विषय है कि उक्त नारकीय समस्या के समाधान हेतु निरीक्षणोपरान्त अधिक ब्यास का सीवर लाइन बिछाये जाने हेतु कोई भी अग्रेतर कार्रवाई आज तक नहीं की गयी जिससे उक्त समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। मेरी नाम है कि व्यापक जनहित में उक्त क्षेत्र में अधिक ब्यास का सीवर लाइन बिछाये जाने एवं तदुपरान्त सड़क के निर्माण हेतु सम्बन्धित विभाग को अविलम्ब निर्देशित किया जाय।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर शासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र सैदपुर गाजीपुर के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज में टूटी हुई बिल्डिंग एवं खिड़की ठीक कराने एवं छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी–

ख्मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र–374 सैदपुर जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत लगभग 14 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करोड़ों रुपये की लागत से राजकीय बालिका इण्टर कालेज बनाया गया था।

मान्यवर, लेकिन उस समय से अब तक सम्बन्धित अधिकारी उस पर ध्यान न देते हुए इस पवित्र जगह को कूड़े का ढेर बना दिये हैं।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

मान्यवर, इस कालेज में रजिस्टर में 130 छात्राएं दर्ज हैं, लेकिन जब मैं मौके पर स्कूल का मुआयना करने पहुंचा तो 30 से 35 छात्राएं मिलीं। तमाम खिड़कियां टूटी मिली व छात्राओं को शौच करने व न ही बैठने की कोई व्यवस्था है।

मान्यवर, इस लोक महत्व के गम्भीर विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्रवाई अथवा उस प्रांगण में शिक्षा सम्बन्धी नवनिर्माण कार्य कराये जाने व वक्तव्य दिये जाने हेतु सरकार से पुरजोर मांग करता हूं। जिससे जनता में वर्तमान सरकार का एक अच्छा संदेश और विधान सभा का विकास हो सके।,

जनपद मथुरा वृन्दावन स्थित गोकुल बैराज पर स्थापित जल शोधन संयंत्र के समुचित संचालन हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मथुरा–वृन्दावन में स्थित गोकुल बैराज पर स्थापित जल शोधन संयंत्र जिससे मथुरा तथा वृन्दावन शहर में पेयजल की सप्लाई होती है, जल निगम की अनदेखी के कारण बन्द होने के कगार पर है। पिछले आठ माह से उक्त बैराज पर जल शोधन संयंत्र का संचालन पैसे के अभाव में सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उक्त बैराज पर जल शोधन संयंत्र वर्ष 2002 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री द्वारा लोकार्पित किया गया था तथा शासन द्वारा उक्त संयंत्र के रख–रखाव की जिम्मेदारी बैराज टोल से मिलने वाली धनराशि से की गयी थी। उक्त संयंत्र से मथुरा शहर को 13 एम0एल0डी0 तथा वृन्दावन शहर को 4 एम0एल0डी0 पेयजल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी थी। उक्त बैराज पर जल शोधन संयंत्र साल भर पहले बैराज टोल से आई धनराशि से किसी तरह चल रहा था, वह भी इस सप्ताह खत्म होने की है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012–2013 में राज्य मार्गों से टोल टैक्स हटा दिया गया है। उक्त बैराज पर लगे जल शोधन यंत्र में प्रयुक्त होने वाले केमिकल खत्म होने के कारण जल निगम कर्मचारी पेयजल सप्लाई के लिये अपने हाथ खड़े कर दिये। इससे 2 वर्ष पहले उक्त जल शोधन संयंत्र से दूषित जलापूर्ति होने के कारण वृन्दावन नगर पालिका ने इससे सप्लाई लेना बन्द कर चुकी है। दिसम्बर, 2014 में धनराशि के अभाव में प्लाण्ट काफी दिन बन्द था जिसे जिला प्रशासन एवं जल निगम के संयुक्त खाते से जमा धनराशि के ब्याज से फौरी तौर पर संचालित किया गया किन्तु सरकार की अनदेखी के कारण उक्त संयंत्र बन्दी के कगार पर है। यदि उक्त जल शोधन संयंत्र से मथुरा शहर को आपूर्ति जल बन्द हुआ तो हजारों घरों में पानी नहीं पहुंचेगा तथा जनता को काफी परेशानी होगी। उक्त इकाई के परियोजना प्रबन्धक द्वारा नगर पालिका परिषद्, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी को भेजे गये पत्र में अवगत कराया गया है कि उक्त जल शोधन संयंत्र विगत 08 माह की उधारी पर चल रहा है। पैसे के अभाव में केमिकल आपूर्ति एवं रख–रखाव कर रही संस्थाओं का भुगतान काफी समय से लम्बित है। किन्तु जिला प्रशासन एवं शासन द्वारा इस प्रकरण

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की जा रही है। जनहित में प्रश्नगत प्रकरण पर शीघ्र शासन द्वारा कार्रवाई की जानी आवश्यक है तथा उक्त जल शोधन संयंत्र संचालित करने वाली संस्था को आवश्यक धन प्रदान किये जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मथुरा स्थित गोकुल बैराज पर स्थापित जल शोधन संयंत्र के समुचित संचालन हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर उन्हें प्रदान किये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद प्रतापगढ़ विकास खण्ड मान्धाता बाजार कटरा गुलाब सिंह में पाइप पेयजल परियोजना का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0 के0 वर्मा–

ख्मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता के दक्षिणी अन्तिम छोर पर बकुलाही नदी के तट पर स्थित कटरा गुलाब सिंह बाजार में भू–गर्भ जल स्तर अत्यधिक निम्न होने से घोर पेयजल संकट व्याप्त हो गया है। इस घनी बाजार की आबादी लगभग 3000 से अधिक है और पूर्व में प्रतिष्ठापित ज्यादातर इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प पानी देना छोड़ चुके हैं, जिसके कारण जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः मान्यवर, से सादर अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हए कटरा गुलाब सिंह बाजार ग्राम सभा सराय भूपति में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।,

कांठ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुरादाबाद से चकफेरी–कुम्हरिया होकर गढ़ी तक लोहिया बस के चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुर्रहमान–

ख्मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा 25–कांठ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, सरकार ने वर्ष 2013 में मेरे क्षेत्र में 25 के0एम0 लम्बे कांवड पथ का निर्माण कराया था। उक्त मार्ग पर मुरादाबाद से चकफेरी–कुम्हरिया होकर गढ़ी तक लोहिया बस का संचालन 2014 से हो रहा है। कावड़ पथ मुरादाबाद से रुस्तमपुर–शेरपुर होकर गढ़ी तक जाता है। पूरे क्षेत्र के ग्रामीण एक अतिरिक्त लोहिया बस मुरादाबाद से रुस्तमपुर–शेरपुर होकर गढ़ी तक और चलवाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग से मैं कई बार आर0एम0 मुरादाबाद को अवगत करा चुका हूं। परन्तु लोहिया बस का संचालन अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिस कारण जनता में रोष है।

अतः मैं उपरोक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद रामपुर की टाउन एरिया में सी0एच0सी0 खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस टाउन एरिया की आबादी लगभग 50 हजार है तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य है तथा बहुत पिछड़ी व गरीब है यहां पर समय से चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण अक्सर मृत्यु होती रहती है। यहां से जिला मुख्यालय की दूरी 20 कि0मी0 से अधिक है तथा तहसील मुख्यालय की दूरी 15 कि0मी0 है। जिसके कारण समय से मरीज का उपचार नहीं मिल पाता है। यह टाउन एरिया अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा इसके आस–पास के 50 गांव इससे जुड़े रहते हैं। यहां पर सी0एच0सी0 खोले जाने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है तथा विभाग द्वारा जगह का चयन व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके शासन को भेज दिया गया है। मगर अभी तक शासन द्वारा इस पर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे जनता में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं।,

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 09 फरवरी, 2016 को नियम–300 के अन्तर्गत 07 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिसमें एक भी पोषणीय नहीं है।

ख12.36 बजे, सदन की बैठक 90 दिन चलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, कैसे नियम–300 की सूचना पोषणीय नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने देख लिया है। आप बात करेंगे तो अन्त में वही बात होगी कि नहीं पोषणीय है। अब इतना समय चला गया, अभी हाउस बहुत लम्बा चलेगा, आगे देख लिया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, देख क्या लिया जायेगा, सुन तो लें ? विधान सभा की नियमावली इसलिए बनी है कि उस नियमावली का उल्लंघन किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

आपकी यही बात है कि 03 सत्र होने चाहिए, लेकिन उसमें यह कम्पलसरी नहीं है कि 03 सत्र या 02 सत्र हो। उसमें यह है कि साधारणतया वर्ष में 90 दिन का सत्र होना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

बताईये, क्या बतायेंगे ?

श्री नीरज 'कुशवाहा' मौर्य–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

कुशवाहा जी बैठिये, सवाल ही नहीं उठता है, नियमावली पढ़ो, संविधान पढ़ो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, नियमों में यह व्यवस्था है कि 03 अधिवेशन विधान सभा के होने चाहिए। एक, आय–व्ययक (बजट) अधिवेशन, दूसरा वर्षाकालीन अधिवेशन और तीसरा शीतकालीन अधिवेशन। मान्यवर, 2012 से, जब से यह सरकार आयी है तब से आप देख लें कि एक साल में विधान सभा कितने–कितने दिन चली ? 90 दिन विधान सभा चलनी चाहिए और हर दो महीने के बाद यथासम्भव 10 दिन का सत्र बुलाया जाना चाहिए। यथासम्भव दिया है लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि इस परम्परा का पालन किया जाए, नियमावली का पालन किया जाए, कभी तो ऐसा होना चाहिए। मैं इसीलिए इस बात को बार–बार कहता हूं, पिछली बार हम लोगों को यहां पर धरना देना पड़ा तब कहीं जाकर दो दिन का हाउस बढ़ा। अगर ज्यादा से ज्यादा हाउस चले तो सारे सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है और जब लोग अपनी बात कहते हैं तो कुछ न कुछ समाधान भी उसका हो जाता है। मान्यवर, हम आपसे इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहते हैं कि आप यह देख लें कि वर्ष 2012 में 28 दिन के उपवेशन हुए थे, इसी प्रकार 2013 में 30 दिन विधान सभा चली, वर्ष 2014 में 24 दिन और वर्ष 2015 में 27 दिन का उपवेशन हुआ। मान्यवर, 90 दिन के स्थान पर आज पूरे चार साल के उपवेशन कैलकुलेट किये जायं तो चार साल में कुल 109 दिन विधान सभा चली। मान्यवर, हमारे इस प्रश्न को उठाने का आशय सिर्फ यह है कि सत्तापक्ष की ओर से जब नियमावली का पालन नहीं हो रहा है तो उसका मैसेज भी खराब जाता है। विधान सभा का सत्र न चलने से बहुत से प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, बहुत सी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, लोग अपनी बात यहां पर कह नहीं पाते हैं। इसलिए मान्यवर, विधान सभा का सत्र चलना, तीनों सत्र का होना यह जनहित में आवश्यक है और नियमावली में जो व्यवस्था है उसका पालन यहॉ पर किया जाए। हम आपसे चाहते हैं कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, बहुत अच्छा प्रश्न है और इस पर आपने कई बार बात की है, कार्य–मंत्रणा में भी बात हुई है और जब अलग से नेताओं की बैठक होती है तब भी इस बात की बहुत कोशिश की जाती है कि सदन अच्छे से चले। एक तो यह तथ्यों के खिलाफ बात है कि आपके धरने की वजह से सदन को बढ़ाया गया था। किसी बुरे माहौल की बुनियाद पर कोई सरकार हो, वो कोई मांग नहीं मानती और मानना भी नहीं चाहिए और बहुत से कारण थे जिनकी वजह से आपने धरना दिया था और सबसे बड़ा कारण था कि अखबार में कल खबर क्या बनेगी ? सिर्फ न्यूज वैल्यू के लिए, और पूरा सदन व सारा प्रदेश गवाह है कि इस होड में कि किसकी पहले खबर छपे और टेलीविजन पर दिखायी जाए, सदन का माहौल कैसा किया जाता है, आज कोई ऐसी

वजह नहीं थी और अगर कोई ऐसी वजह थी तो मात्र दो घण्टे में उसका कोई हल नहीं निकल आया और कोई हल सदन की तरफ से पेश भी नहीं हुआ और न मान्यवर, आपकी तरफ से। बगैर किसी वजह के फिर सदन को चलाते रहना और शुरू में ऐसा माहौल बना देना जिससे कि सदन न चले। अगर आप रिकॉर्ड निकालकर देखेंगे तो व्यवधान के जबरदस्त हिस्सेदारों में विपक्ष के कुछ ऐसे दल जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है जिन्होंने सदन को चलने नहीं दिया और बहुत व्यवधान किया है। तो यह सरकार चाहती है कि सदन अच्छे से चले पूरे समय चले और ज्यादा चले लेकिन उसमें सहयोग विपक्ष का भी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का आज सुबह से जो आचरण था वह कोई बहुत अच्छा नहीं था इससे सभी का मन टूटता है। जो सदस्य यहां आते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने के लिये। प्रश्नकाल था, और प्रश्नकाल विपक्ष का होता है। पहला प्रश्न महाना जी का था। मैं महाना जी से बार–बार इस बात की दरख्वास्त भी कर रहा था कि पहला प्रश्न आपका है। बहुत अच्छे प्रश्न थे। कानून–व्यवस्था को लेकर आज आपका यह सारा दो घंटे का समय खराब हुआ और कानून–व्यवस्था पर ही आपके प्रश्न थे। इसका मतलब यह हुआ कि जो आप प्रश्न लगाते हैं या तो वह आप लगाते नहीं हैं कोई लगा गया, आपका सेकेट्री लगा गया किसी और ने लगा दिया और आपको प्रश्न की जानकारी नहीं है और प्रश्न पर सवाल करने की तैयारी नहीं है आपकी तो जो आपकी मांग थी उसी को लेकर एक घंटा बीस मिनट का समय था जिसे आपने व्यर्थ में गवां दिया। तो इस पर भी थोड़ा विचार करें। वही प्रश्न था आपका जिसके लिये आपने सदन नहीं चलने दिया और न आपने उसका उत्तर सुना, न आपने उस पर बहस होनी दी क्योंकि ऐसा है ही नहीं। आप क्योंकि सन्तुष्ट हैं इस बात से, कि उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था आपके उन राज्यों से जहॉ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनसे बहुत नीचे है। (मेजों की थपथपाहट) आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कानून–व्यवस्था नम्बर एक पर बर्बाद है, नम्बर दो पर बर्बाद है, नम्बर चार पर बर्बाद है और हम राष्ट्रीय आंकड़ों के ऐतबार से 27वें नम्बर पर आते हैं। आप खुद ही यह तय कर लें कि आप देश कैसा चला रहे हैं और प्रदेश का भविष्य कैसा चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने विधान सभा के सत्र ज्यादा, उपवेशन ज्यादा होने की बात कही उधर से उत्तर आने के बजाय आरोप शुरू हो गये। अब आरोप का जवाब देना मान्यवर, इसलिये जरूरी है कि एक भी आरोप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का सही नहीं है इसलिये कि इतने बड़े पैमाने पर चुनाव में धांधली और गुन्डागर्दी हुई इतिहास गवाह है मान्यवर, लोकतंत्र की हत्या हुई। लोकतंत्र की हत्या हुई मान्यवर, और कभी कभी बगावत फर्ज बन जाता है मान्यवर। आपकी तरफ से जब यह आश्वासन मिल गया कि इसको 5 बजे सुना जायेगा तो उसी के आधार पर हमने मान्यवर, आपकी बात का सम्मान करते हुए, पीठ का सम्मान करते हुए हमने यह फैसला किया कि हाउस चलेगा और मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि हाउस चले और ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, बहस हो लेकिन आखिरकार रोयें कहां जाकर ? कभी बगावत फर्ज बन जाता है

मान्यवर। इस चुनाव की धांधली को किसने देखा ? पूरा देश आज चिल्ला रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो गई। (शोर) लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही। गुन्डागर्दी, बाहुबल, धनबल, जोर जबरदस्ती, ज्यादती, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग यह सारा कुछ किया गया मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया। आपने बात कह ली। महाना जी आप भी बैठें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इसके ऊपर चिल्लायें कि हम गलत और यह सही।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, बड़ा आरोप लगा दिया। (माननीय महाना जी के बोलने पर) आपके नेता ने कहा है, अब आप नेता तो मानते नहीं इन्हें। यही तो झगड़ा है आपके यहां। आपके यहां नेता ही नहीं तय हो रहा है। तो फिर कह तो दिया नेता ने आपके। आपके नेता ने आपकी बात कह तो दी।

श्री सतीश महाना–

मेरा नाम जो लिया।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

वह बाद में हम और सोमजी तय कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

बोल लेने दीजिये संसदीय कार्य मंत्री जी को। आगे बढ़ा जाय।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, एक आरोप नेता भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है कि बड़ी धांधली हुई है चुनाव में। मान्यवर, होता ही है कि ज़ालिम बीबी हो और पति शरीफ हो, और जाड़े में पानी ठंडा हो तो कहता है समय से अगर कल से नहीं मिला गर्म पानी, उसने कहा तो। कहा तो, तो क्या, ठंडे से ही नहा लेंगे। तो यह ठंड़े से नहा रहे हैं आजकल। (हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हमारे पास तो बीबी है नहीं। यह अपना अनुभव बता रहे हैं मान्यवर।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, यह दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ तो ठंड़े से नहाए, बिहार का चुनाव हुआ तो ठंडे से नहाए। मान्यवर, राष्ट्रीय नीति के ऐतबार से स्मार्ट सिटीज का फैसला लिया केन्द्र सरकार ने, हमने फौरन यह कहा कि स्मार्ट विलेजेज भी होना चाहिए। बल्कि पहले स्मार्ट विलेजेज होना चाहिए बाद में स्मार्ट सिटीज का सोचिए। पलायन गांवों से हो रहा है। गांव में सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, स्कूल नहीं। गरीबी है, तो आप तो आप ग्रामों का उत्थान करें, ग्रामों का विकास करें तो शहर में पलायन रुक जाएगा और शहर खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे बात मानी, लेकिन बात पर कायम नहीं रहे जैसे गंगा

की सफाई का काम अभी तक नहीं हुआ शुरू ही नहीं हुआ तो होगा क्या, गंगा सूख रही है जब गंगा सूख जाएगी तो साफ खुद ही हो जाएगी। तो मान्यवर, यह दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ लेकिन देखिए, समझदार लोग इन्हीं के साथ हैं इन्होंने जब यह देखा कि दिल्ली में वोट नहीं मिला, बिहार में नहीं मिला और उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मिलना है यह प्रमाण है इस बात का कि एक भी स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश का इसलिए नहीं लिया गया कि इन्होंने जंग से पहले ही हथियार डाल दिए।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) (शोर)

इन्होंने अपनी शिकस्त मान ली मान्यवर, अब हारे हुए सिपाही से क्या जंग लड़ी जाएगी। पहले से ही हार मान ली कि उत्तर प्रदेश में क्या हश्र होने वाला है इसलिए उत्तर प्रदेश में, एक भी स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त हों, महाना जी बैठे बात हो गई अब आगे बढ़ें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

तो मान्यवर, जितने आरोप मा0 खन्ना जी ने लगाए हैं वह सही नहीं हैं हम तो चाहते हैं कि आप बैठें और व्यवस्थित सदन चलाएं। इससे ज्यादा दुख का विषय और क्या होगा कि आपके विपक्ष के सबसे बड़े साथी ने भा0ज0पा0 नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने, जिसके नेता प्रतिपक्ष हैं और जिनकी संख्या आपसे ज्यादा है उन्होंने इस विरोध में कि आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं पहली बार वाक आउट नहीं किया है इससे पहले भी वाक आउट किया है विपक्ष का बड़े साथी आपके चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सिर्फ खबर बनाने के लिए और जो प्रश्न थे कानून–व्यवस्था पर और उन पर जवाब आना था हम आइना दिखाते आपको, कैसी कानून–व्यवस्था है यहां और अन्य प्रदेशों में, कैसी है तो मालूम होता। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

अब आगे चलें।

श्री सतीश महाना–

हमारी बात आ जाने दीजिए। हमारा नाम लेकर कहा गया हैं। दो बातें हैं, किसी पड़ोसी के लड़का हुआ और हिंजड़े नाचने पहुंच जाएं।

श्री अध्यक्ष–

कानपुर में बहुत हैं क्या ? (हंसी)

श्री सतीश महाना–

पड़ोसी के यहां लड़का हुआ और यह नाचने पहुंच गए तो बड़े खुश हैं। मान्यवर, यह भी बिहार गए थे। वहां इनको एक प्रतिशत वोट मिला सभी की जमानत जब्त हो गयी। दिल्ली में इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, अनावश्यक खुश हो रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इतनी देर में हिजड़े मर्द भी हो गए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी के पक्ष में कभी थे ही नहीं, कभी भी वहां पर पाजिटिव रिपोर्ट भेजी ही नहीं, जिसके कारण यह हुआ, मान्यवर नगर विकास मंत्री स्मार्ट गांव की बात कहते कोई विरोध नहीं था यह कहते तो, स्मार्ट नगर ही जरूरत नहीं स्मार्ट गांव भी होने चाहिए मान्यवर, इनके कारण 24 शहर जो हुए उसमें इस सरकार के कारण यहां के नहीं हुए अध्यक्ष जी हमारा प्रश्न महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में था महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में आपने स्वीकार कर लिया।

श्री अध्यक्ष–

जब प्रश्न का उत्तर नहीं लिया गया तो उसको आप क्यों दोहरा रहे हैं।

श्री सतीश महाना–

इस लोकतंत्र को बंधक बनाया जा रहा है बंदूक और गोली के आधार पर चुने हुए प्रतिनिधि बंधक बनाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अभी आपको आगे बोलने का मौका मिलेगा आप बैठिए। महाना जी अब बैठ जाइए। पांच बजे के बाद आपको मौका मिलेगा।

श्री सतीश महाना–

पत्रकारों के ऊपर गोली चलाई जा रही है उसके बाद भी हमको नहीं सुना जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

पांच बजे के बाद आपको मौका मिलेगा तब अपनी बात कहिएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर,एक तथ्य सामने आ जाए। महाना जी आपके कक्ष में आ जाएं मैं अपने सचिव को बुला लूंगा। किन तारीखों में सबसे पहले अगर किसी प्रदेश ने अपने सारे पेपर सब्मिट किए हैं सारी योजना सब्मिट की है स्मार्ट सिटी के संबंध में, तो वह हमारा उत्तर प्रदेश है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

और मान्यवर, गंगा साफ करने के लिए हमारे जलनिगम ने सबसे पहला प्रपोजल भारत सरकार बनने के बाद सत्ता परिवर्तन होने के तीन महीने के अन्दर.....

श्री मोहम्मद आजम खां–

गंगा की सफाई दिल्ली से लेकर नेपाल तक किस तरह करेंगे हमने पूरा प्रपोजल दिया हुआ है। आपके भारत सरकार के सचिव हमारे पास आए और उन्होंने यह कहा कि हम पैसा रिलीज करने जा रहे हैं यह बात होगी तकरीबन पांच महीने पुरानी हमने पूछा कि कितना पैसा रिलीज करेंगे उन्होंने कहा कि जितना पैसा आपने मांगा है उसका पांच से दस प्रतिशत हमने कहा कि यह भी आप ही रख लीजिए यह है आपकी

योजनाओं का हाल आपने गंगा के नाम पर चुनाव जीता है आपकी जिम्मेदारी है गंगा के नाम पर पैसा देने की दो साल होने जा रहे हैं आपकी सरकार को गंगा के नाम पर एक पैसा नहीं आया है उत्तर प्रदेश में यह देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि कैसा ठगा है आपने देश को आपने उत्तर प्रदेश की तमाम योजनाएं जो चल रहीं थीं जिनसे गरीब को रोटी मिलती है जिनसे विभागों की तनख्वाह मिलती है जो ओवरहेड टैंक 60 प्रतिशत बना हुआ है आपने पैसा रोक दिया जो सीवर सिस्टम 80 प्रतिशत तैयार हो गया उसका आपने पैसा रोक लिया पांच महीने हो गए जल निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है क्योंकि आपने राजनैतिक दुर्भावना से हमारी एड रोक रखी है हमारा वह पैसा जो हमें मिलना चाहिए वह आपने रोक रखा है फिर आप स्मार्ट सिटीज की बात कहां कर सकते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के साथ सौतेलेपन की इंतहा कर दी है।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार दी। नेशनल हाई–वे का पांच हजार करोड़ कहां गया। 1304 करोड़ रुपया सूखा राहत के लिए दिया गया बुन्देलखण्ड आज जल रहा है बुन्देलखण्ड में एक पैसा नहीं बांटा गया जो केन्द्रीय सरकार ने पैकेज दिया वह भी नहीं बांटा गया।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी आपको बहुत मौका मिलेगा राज्यपाल के अभिभाषण पर उस समय अपनी बात रखिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। आपने नगर विकास का 20 प्रतिशत पैसा काटा आपने तमाम योजनाओं को शत प्रतिशत रोक दिया। खजाने का पैसा किसी राजनैतिक दल का नहीं होता है खजाने का पैसा प्रदेश की 130 करोड़ जनता का पैसा है। जनता आपसे इसका हिसाब लेगी।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

महाना जी अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर सारी बातें होंगी। मैंने अगली मद ले ली है।

ख12.54 बजे, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन 2010–2011 को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि

† Nkik ugha x;kA

लेखा–परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि02–1291/ग्यारह–9(150)– 15–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (139)–2015 दिनांक 11 सितम्बर, 2015[४४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि02–1291/ग्यारह–9(150)–15–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (139)–2015 दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि02–1423/ग्यारह–9(1)/ 2008 उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (142)–2015 दिनांक 14 अक्टूबर, 2015४४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि02–1423/ग्यारह–9(1)/2008 उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (142)–2015 दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि02–1421/ग्यारह–9(1)/ 2008 उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश (143)–2015 दिनांक 14 अक्टूबर, 2015४४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि02–1421/ग्यारह–9(1)/2008 उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश (143)–2015 दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा–4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि02–1498/ग्यारह–9(1)/ 2008 उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश (144)–2015 दिनांक 14 अक्टूबर, 2015४४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

---

†† Nkih ugha x;hA

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि02–1498/ग्यारह–9(1)/2008 उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश (144)–2015 दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा–4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि02–1708/ग्यारह–9(115)/ 14–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (146)–2015 दिनांक 8 दिसम्बर, 2015[४४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि02–1708/ग्यारह–9(115)/14 उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (146)–2015 दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2–1709/ग्यारह–9 (111)/15–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (147)–2015, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2–1709/ग्यारह–9(111)/15–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (147)–2015, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2–1821/ग्यारह–9 (104)/15–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (148)–2015, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2–1821/ग्यारह–9(104)/15–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (148)–2015, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2–1979/ग्यारह–9 (235)/12–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (150)–2015, दिनांक 01 जनवरी, 2016४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2–1979/ग्यारह–9(235)/12–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश

---

†† Nkih ugha x;hA

† Nkih ugha x;hA

(150)–2015, दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 32/2015/सी0पी0 221/84–2–2015–सी0पी0 29/96, दिनांक 06 नवम्बर, 2015[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 32/2015/सी0पी0 221/84–2–2015–सी0पी0 29/96, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 के द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2015 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा–31 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–11–2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[४४]

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–11–2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

ध्12.58 बजे, भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह घोषित करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 अगस्त, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 अगस्त, 2015 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 24 जनवरी, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–15 कुछ नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सड़वा चन्दिका की ग्राम सभा कोठा नेवड़िया में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री पारसनाथ वर्मा व श्री कालू राम वर्मा निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अध्यक्ष–

डा0 आर0 के0 वर्मा याचिका प्रस्तुत करें।

डा0 आर0 के0 वर्मा–

---

† Nkih ugha x;hA

†† Nkik ugha x;kA

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सड़वा चन्दिका की ग्राम सभा कोठा नेवड़िया में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री पारसनाथ वर्मा व श्री कालू राम वर्मा निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर की ग्राम सभा पहाड़पुर में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र कुमार यादव व श्री श्याम लाल वर्मा निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 आर0 के0 वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर की ग्राम सभा पहाड़पुर में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री राजेन्द्र कुमार यादव व श्री श्याम लाल वर्मा निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता की ग्राम सभा अहिना में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री कृष्ण कुमार पटेल व श्रीमती इन्द्रकली पटेल निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 आर0 के0 वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता की ग्राम सभा अहिना में पाइप पेयजल परियोजना प्रतिष्ठापित कराये जाने विषयक श्री कृष्ण कुमार पटेल व श्रीमती इन्द्रकली पटेल निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कुछ नहीं है।

ख1.00 बजे, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 8 फरवरी, 2016 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 11 फरवरी, 2016 के कार्यक्रम में निम्नलिखित संशोधन किये जाने की सिफारिशें की हैं :–

11 फरवरी, 2016

गुरुवार **1–12:20 बजे अपराह्न**

वित्तीय वर्ष 2015–16 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण।

2–वित्तीय वर्ष 2015–2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का

सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

दिनांक 09, फरवरी, 2016 से 11 मार्च, 2016 तक के शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

ख1.02 बजे, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016[४]

श्री अध्यक्ष–

मद सं0–19 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–20।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

ख01.05 बजे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तथा चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राधेश्याम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं

† fnukad 18&07&2011 ds vlk/kkj.k xtV ds fo/kk;h ifjf'k"V esa Nik gSA

प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख्ा.06 बजे, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तथा चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राधेश्याम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तथा चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राधेश्याम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय

अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ तथा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो–दो सदस्यों के निर्वाचन कराने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को नाम–निर्देशित करने के लिये प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ तथा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो–दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 09 फरवरी, 2016 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ तथा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो–दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम–निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की परिषद् में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ तथा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा से सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचत समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''यह सदन नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ तथा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो–दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 09 फरवरी, 2016 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ तथा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, दो–दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम–निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की परिषद् में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ तथा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ?''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ध्1.08 बजे, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

श्री गुलाम मौहम्मद साहब, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री गुलाम मौहम्मद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 29 जनवरी, 2016 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत–बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल जी ने दिया है वह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है बल्कि हमारी सरकार के संकल्पों का, गरीबों, कमजोरों, मजलूमों, शोषितों, मुसलमानों, किसानों, नौजवानों, समाज के हर वर्ग के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसकी प्रगति के लिए एक जीता–जागता दस्तावेज है। जो बा–आवाज–ए–बुलन्द कह रहा है कि यह सरकार गरीबों की हितेषी है गरीबों के लिए है। मजलूमों के लिए है और संविधान की रूह के मुताबिक है। जो हमारा संविधान चाहता है उसी तरह से कार्य करने वाली यह सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह भी कहना चाहूंगा कि

सरकार के जो इरादे हैं जो नीतियां हैं जो दस्तावेज पेश किया गया है उसके पीछे एक बहुत बड़ी शख्सियत का आशीर्वाद हमें है। एक ऐसी शख्सियत अगर हम गांधी जी का दर्शन, लोहिया जी का कमजोरों, मजलूमों के लिए प्यार और दर्द और चौधरी चरण सिंह जी का किसानों की समस्याओं को लेकर जो सोच थी, कोई मुसव्विर अगर तस्वीर बनाना चाहे तो उस तस्वीर में यह सारे रंग उभरकर आ जायेंगे और वह तस्वीर बनेगी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की। जिनमें यह सारी चीजें मौजूद हैं उन्हीं की सरपरस्ती में हमारे माननीय हरदिल अजीज मुख्य मंत्री जिनके नेतृत्व में यह सरकार चल रही है और यह दस्तावेज बना है। उनका संकल्प, उनका डिटरमिनेशन पूरी तरह से यह है कि लाभ गरीबों तक पहुंचे और इसी बात का लिहाज करते हुए यह सारी नीतियां बन रही हैं और इस प्रदेश में, इस देश की तरक्की के लिए बीज अंकुरित हो रहे हैं और यहीं से इस प्रदेश की उन्नति और विकास की क्रांति और देश की प्रगति की क्रांति मैं समझता हूं उभरेगी। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि वह लोग जो इस देश के संविधान की अस्मिता, उसकी आबरू से खेलना चाहते हैं, उसकी रूह को तड़पाना चाहते हैं, बरबाद करना चाहते हैं यह दूसरी पीढ़ी मोहतरम् मुलायम सिंह यादव साहब की, मा0 अखिलेश यादव साहब के रूप में हमारे नेता, हमारे मुख्य मंत्री के रूप में यहां हुकूमत संभाल रहे हैं और उनको शायद मायूसी हाथ लगे जो क्षणिक फायदा उठा लेते हैं, दूसरे मुद्दों को उभार करके, साम्प्रदायिकता के मुद्दों को उभार करके, जातिवाद के मुद्दों को उभार कर के, क्योंकि अब ऐसा नेतृत्व हमारे सामने आ गया है, जो अपने काम से, अपने अमल से इस देश को ले करके आगे बढ़ेगा, इस प्रदेश को ले करके आगे बढ़ेगा और सर्वहारा और मजलूमों की आवाज बन करके आगे का नेतृत्व संभालेगा। कल उनका इन्तजार कर रहा है और इस देश में इसी तरह के नेतृत्व की जरूरत है, ताकि इस देश की अनेकता में एकता जो हमारे संविधान की रूह है, वह बनी रहे और हम इसी तरह से अपने देश की मजबूती और उन्नति करते रहें, उसके लिए काम करते रहें। मा0 अध्यक्ष जी, इस दस्तावेज में यहां के जो किसान हैं, जो इस देश की रीढ़ है, उसके लिए बहुत काम किया गया है और जो भी कृषि से ताल्लुक रखने वाले सेक्टर्स हैं, उन सब पर बहुत गहराई से सोंच करके बजट को बनाया जा रहा है और इस वर्ष को किसान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना में जो कृषि नीति 2013 बनाई गई थी, उसमें 5.1 लक्ष्य था, विकास दर का लक्ष्य 5.1 था और इसी को नजर में रखते हुए खाद्यान्न उत्पादन 659.59 लाख मीट्रिक टन तिलहन का और अनाज का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है जो 55.50 लाख कुन्तल है। इसी तरह से उर्वरक, दूसरी सरकारों में हमेशा उर्वरक को लेकर के बहुत परेशानी खड़ी हो जाती थी, किसान परेशान होता था, लेकिन जब से यह समाजवादी सरकार वजूद में आई है, एक दिन भी किसान को यह शिकायत नहीं हुई कि हमें खाद, उर्वरक की सप्लाई नहीं हुई या हमें कोई परेशानी हुई। इसी तरह से चाहे रसायन जो कृषि रक्षा के लिए जरूरी

(इसी मध्य 1 बजकर 14 मिनट पर अधिष्ठाता श्री उदयराज पीठासीन हुए)

हैं, जो हैं, उसकी कोई कमी नहीं आने दी। इसी तरह से जो फसल बीमा किसानों का है, नुकसान हुआ, केन्द्र सरकार से जितनी धनराशि मांगी गई थी, पिछली बार जब नुकसान हुआ तो महीनों बाद आधी धनराशि भी नहीं दी गई और प्रदेश सरकार ने ही उसका इन्तजाम करके काम निकाला था। इसी तरह से जनेश्वर मिश्र योजना के तहत हमारे यहां 25 लाख रुपया 2012–13 में और उसके बाद 40 लाख रुपया हर गांव में उसकी नाली, खड़न्जे, सड़कों आदि के लिए दिया गया। यह विकास हमारे कृषि पर आधारित हुआ। हर गांव में एक विकास की गंगा बही। इसी तरह से कृषि से मुतालिक जो हमारे शोध संस्थान हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं वह किसानों को जानकारी दे रहे हैं। उन्नत बीज पैदा किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं ताकि बेहतर पैदावार हो जिससे किसान अच्छी तरह से समझ कर अपनी खेती को उन्नत कर सके। इसी तरह से सहकारिता में 3 प्रतिशत ब्याज पर ऋण की सुविधा और महिला समृद्धि के लिए भी 3 प्रतिशत ब्याज की सुविधा दी जा रही है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें मजबूरों की, कमजोरों की, जो लोग दौड़ में पीछे रह गए हैं उनके लिए काम न हो रहा हो। चूंकि मैं पश्चिम का ही रहने वाला हूं गन्ना विकास, हमारे सभी लोग इससे वाकिफ हैं कि जब हमारी सरकार वजूद में आई थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब मुख्य मंत्री के तौर पर शपथ ली थी तो उसके फौरन बाद गन्ने का भाव 40 रुपया बढ़ा दिया गया था लेकिन चीनी का भाव उस वक्त 36–37 रुपये किलो का था। केन्द्र सरकार की नीतियां, उस वक्त में रॉ–शुगर का इम्पोर्ट और आज भी वह इसी तरह हो रहा है। जो लोग किसानों पर सवाल उठाते हैं आज भी उस पर कोई रोक नहीं लगा पा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमने उस वक्त जो 40 रुपये का भाव बढ़ाया था उसका किसी तरह से पेमेण्ट करने की बात की और उसका 91 प्रतिशत हमने पेमेण्ट कराया। इसके लिए 2637 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार ने हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिल खोलकर मदद की। चूंकि चीनी का भाव नीचे था ऐसे हालात में हम गन्ने जैसी फसल को कहीं स्टोर करके भी नहीं रख सकते। मिलों को चलाना भी जरूरी था और गन्ना किसान को सहूलियत देना भी जरूरी था। इसलिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यही नहीं बल्कि इससे आगे जो हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं उनकी सरकार के दौरान जो चीनी मिलें कौड़ियों के दाम बेंच दी गयी थीं, उन चीनी मिलों को भी चलाने का काम किया है। मेरे अपने क्षेत्र की चीनी मिल 'मोहद्दीनपुर मिल' 10 करोड़ रुपया लगा करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको चलाया। आज वहां के किसान से पूछिए कि अप–टू–डेट उसका पेमेण्ट होता है, बेहतरीन मिल चल रही है। इसी तरह से सठियांव का भी आपका एक प्रपोजल है उस मिल को भी चला रहे हैं। यह सौ फीसदी किसानों की हितैषी सरकार और दूसरे लोग जो इसकी बात करते हैं किसान हित नहीं बल्कि किसानों की बात करने वाली कोई सरकार है, कोई पार्टी है, कोई दल है तो मोहतरम नेता जी का दल है, माननीय मुख्य मंत्री जी का दल है। मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि कोई सेक्टर हो आप सिंचाई को ले लीजिए सिंचाई में 1535 करोड़ खर्च करके 3 सौ हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का इरादा किया। इसी

तरह से गोमती हमारे लखनऊ की शान है। गोमती हमारे लिए बड़ी ऐतिहासिक गवाही देती है। साफ–सुथरी नदी को कितना गंदा कर दिया गया। लोगों ने गंगा की सफाई के लिए न जाने क्या–क्या कर रहे हैं लेकिन हम काम करना जानते हैं। गोमती नदी का चैनलाइजेशन और उसके सौंदर्यीकरण के लिए काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी वह काम पूरा भी हो जायेगा। मान्यवर, इसी तरह से हम हर फील्ड में तैयारी है, हर फील्ड में कोशिश कर रहे हैं खाद्यान्न में और मछली उत्पादन में भी। आज 4.94 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन करके हम आन्ध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के बाद तीसरे बड़े मछली उत्पादक हैं। हमारी सरकार की एक उपलब्धि यह भी है। इसी तरह से दुग्ध विकास के लिए, मान्यवर, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों पर जोत, कृषि भूमि कम होती जा रही है और लोगों के रोजगार का साधन घटता जा रहा है। बहुत सारी बड़ी आबादी जो भूमिहीन हैं, मजदूर हैं, दूसरे लोग हैं वे अपनी आजीविका पशुपालन करके कमाते हैं, अपनी जिन्दगी गुजारते हैं। ये समाजवादी सोच है जो समाज के कमजोर से कमजोर किसान तक पहुंच रही है और उन लोगों के लिए चाहे कामधेनु डेरी योजना हो, चाहे उसके प्लाण्ट्स लगाने हों, चाहे मदर डेरी और पराग डेरी को वहां खरीदार बना करके भेजा जा रहा हो ताकि उनको अपने दूध के उत्पादन के बेहतर दाम मिल सकें। उसके लिए बराबर कोशिश की जा रही है और इसी को मद्देनजर रखते हुए कन्नौज के तिरवा में 30,000 हजार लीटर का चिलिंग प्लाण्ट, 30,000 हजार लीटर दूध को चिलिंग करने वाला प्लाण्ट लगाया जा रहा है। आजमगढ़ के बूढ़नपुर में 1.000 हजार लीटर का डेरी प्लाण्ट लगाया जा रहा है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार गरीबों के दुःख दर्द को समझने वाली सरकार है। चाहे उनको घरौन्दे देने हों, उनको ग्राम्य विकास के तहत सिर छुपाने के लिए जगह देनी हो तो उसमें लोहिया ग्रामीण आवास योजना, इन्दिरा आवास योजना वगैरह–वगैरह, सब चल रही हैं। मान्यवर, इसी तरह से नगर विकास में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। नगर विकास में हमारा बहुत ही ऐतिहासिक नगर आगरा है। आगरा में, बुलन्दशहर का पलरा एक गांव है, एक जगह है वहां से लेकर आगरा तक एक 130 किलोमीटर लम्बी अपर गंगा कैनाल से लाइन बिछाई जा रही है जिससे वहां की जल की आपूर्ति हो और इसी तरह से नगरीय बेरोजगार व गरीबी उन्मूलन के लिए काम किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा काम मा0 नगर विकास मंत्री और मा0 मुख्य मंत्री जी के जरिए हो रहा है। ये लोहिया जी का भी दर्द था और इंसान को बैठाकर जब इंसान रिक्शा चलाता था तो उनको अच्छा नहीं लगता था। उसी बात को जहन में रख करके हमारी ये समाजवादी पार्टी की सरकार ई–रिक्शा गरीबों को फ्री में देना चाहती है और दे रही है। यह भी एक दर्द है जो लोहिया जी का ख्वाब था और लोहिया जी जिस दर्द को महसूस करते थे उसी दर्द को हमारा नेतृत्व महसूस करता है और इसके लिए काम किया जा रहा है। मान्यवर, शिक्षा के जगत में बड़ी क्रान्ति आई है। बेसिक शिक्षा में जहां टीचर्स नहीं थे आज वहां भर्ती करके रोजगार मिला है, वहां टीचर्स मुहैया कराए गए हैं। जो लोग दूर–दराज क्षेत्रों में अपना कार्य कर रहे थे उन लोगों का बहुत ही पारदर्शिता के साथ करीब के जिलों में या

अपने जिलों में ट्रांसफर किया गया और बहुत ही पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ यह सब काम हुआ। यह एक बड़ा काम हुआ है उनका जो मिड–डे–मील है वह भी बेहतर हुआ है उसमें दूध को भी सम्मिलित किया जा रहा है। उनके जो बरतन हैं वे भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा में स्कूल खोले जा रहे हैं, गवर्नमेण्ट इण्टर कॉलेजेज खोले जा रहे हैं, ग्रीन यू0पी0–क्लीन यू0पी0 योजना चला करके वहां हरियाली और सफाई का काम किया जा रहा है और इसी तरह से उच्च शिक्षा में 26 नये मॉडर्न महाविद्यालय खोले जा रहे हैं और प्राविधिक शिक्षा में 120 तकनीकी संस्थानों में पठन–पाठन चल रहा है और 19 संस्थायें अवस्थापना में हैं। डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम साहब के नाम पर जो हमने प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालय का नाम चेन्ज किया है, उसको एक्सिलेन्स सेन्टर के रूप में बढ़ाया जा रहा है। फीस का निर्धारण किया गया जो ज्यादा फीस लोगों से वसूल की जाती थी उसको निर्धारित कर दिया गया और उनके प्रवेश का नियमित कर दिया गया। विनियमन उसका हो गया है। कानपुर में हस्तकरघा हस्तशिल्पों के लिए कौशल विकास केन्द्र बनाया गया है। जनपद बस्ती, गोण्डा, मिर्जापुर में इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना प्रस्तावित है। इसी तरह से ई0 लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम्स् की स्थापना हो रही है। इनोवेशन और इन्क्यूवेशन सेन्टर खोले जा रहे हैं ताकि हमारे जो नये–नये प्रयोग हो रहे हैं, नवीन प्रयोग इस क्षेत्र में हो रहे हैं, उन पर काम हो सके। मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा में तो एक क्रांन्ति आई है। इसमें इस वक्त 1640 एम0बी0बी0एस0 की सीटें हैं, 734 पी0जी0 की हैं और 1144 स्पेशलाइजेशन वाली सीटें हैं। नोएडा में विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। यहां पर चकगंजरिया में कैंसर हास्पिटल खोला जा रहा है। इसी तरह से ग्राम्य आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई में 100 बेड का अलग से एक गाइने वार्ड खोला जा रहा है। इसी तरह से बांदा, बदायूं, जौनपुर, चन्दौली जनपदों में राजकीय मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि इसी तरह से इन सबमें जो हमारे पहले 5 कालेजेज हैं, इसमें लेविल–3 का ट्रामा सेन्टर खोलने का हमारी सरकार इरादा रखती है। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जितना काम किया है उससे एक क्रान्ति सी आ गई है और आगे भी इसी तरह का इरादा हमारी सरकार रखती है। मान्यवर, जो 500 की आबादी वाले गांव थे उनको आपस में जोड़ा जा रहा है लगभग 95 प्रतिशत कार्य हो चुका है। इसी तरह से 114 नदी सेतु बनाये जा रहे हैं। 7 रेलवे उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य चल रहा है और सड़कों का तो कोई ठिकाना नहीं, बहुत सड़कें बनाई जा रही हैं। जो राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम से जुड़े हुए 250 की आबादी वाले गांव हैं, उनको भी जोड़ा जा रहा है। मुख्यालयों को फोरलेन से जोड़ा जा रहा है। ये सारी साइकिल ट्रैक बनाई जा रही हैं, ये सारे काम हमारी सरकार माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में चल रही समाजवादी सरकार कर रही है। इसी तरह से गरीबों से ले करके और छोटे कामों से लेकर बड़े काम तक हो रहे हैं। आप अगर अवस्थापना की बात करें, उद्योगों की बात करें एक निवेश मित्र योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने चलाई है। इसके लिए जो उद्योगपति हैं, बाहर के हैं, यहां हमारे देश के हैं, उन सबकी सम्मिट बुलाई, उनसे

रिक्वेस्ट की कि हमारे प्रदेश में आइये, ये प्रदेश आपको हर तरह से सूट करेगा। हर तरह की फैसिल्टीज आपको दी जाएंगी और इसी का नतीजा है कल आपने टी0वी0 पर देखा होगा कि 51 हजार करोड़ का निवेश आपके यहां आ गया है। लोगों ने इरादा बनाया है और लोगों ने ऐलान कर दिया है कि हम 51 हजार करोड़ का निवेश यहां करेंगे और वह शहर में ही नहीं, बल्कि देहातों में भी, जो देहात हैं, हमारे दूर–दराज के इलाके, पूर्वांचल का इलाका है, और इलाके उन सबमें निवेश करने का उन्होंने इरादा बनाया है और तय किया है चूंकि उनको सहूलियत मिल रही है, कॉरीडोर इत्यादि यह सब बनाये जा रहे हैं। इसी तरह से ऊर्जा में एक क्रान्ति आई है। 2016 में यह तय किया गया है इस दस्तावेज के जरिए कि 2016 तक गांवों को 16 घंटे बिजली और शहरों को 22 से 24 घंटे बिजली हम देंगे। यह बहुत बड़ी बात है और मान्यवर इसके लिए 2019–20 तक हम लोग कटौती फ्री बिजली कर देंगे ऐसा हमारी सरकार का निश्चय है, संकल्प है कि 2020 तक हम हर सूरत में कटौती फ्री बिजली कर देंगे, कोई कटौती नही होगी। इसके लिए, यह बहुत बड़ा काम है 11 हजार मेगावाट का इस वक्त हम उपभोग कर रहे हैं, यह हमारी उपलब्धता है लेकिन हमें इसे 21 हजार मेगावाट बढ़ाना पड़ेगा जो हम बढ़ा रहे हैं और 2016 कोई दूर नहीं है हम इसको बढ़ा लेंगे और उस वादे को पूरा करेंगे। इसी तरह से जब हम इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं तो 22 हजार करोड़ रुपये देहात में लाइन बिछाना और ट्रान्सफारमर्स लगाने इन चीजो पर लगेंगे, हमारे बिजली घर को कायम करने में लगेंगे और 6 हजार करोड़ रुपये हमारे शहरी विकास में लगेंगे यानी शहरों में जो बिजली हम देंगे तो उसको पहुंचाने के लिए हमें इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसी तरह से आप देखते थे कि हफ्तों–हफ्तों ट्रान्सफार्मर अपने गांव में पड़े रहते थे लेकिन आज हमारी सरकार में उन ट्रान्सफार्मर्स को लाने के लिए सिर्फ 72 घण्टे का टाइम दिया जाता है कि 72 घण्टे में ट्रान्सफारमर्स ठीक होकर अपनी जगह चले जायें और उन किसानों, उन गरीबों को, नौजवान और मजदूरों को कोई तकलीफ न हो पाये। हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार इस पर काम कर रही है।

ख1.32 बजे, उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री एवं वर्तमान स0वि0स0 श्री कैलाश यादव के निधन की सूचना

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

एक साथी के खोने की सूचना देनी पड़ रही है। कैलाश यादव जी, पंचायती राज मंत्री हमारे बीच नहीं रहे। यह सूचना अभी दिल्ली के अस्पताल से मिली है। न जाने किस गली में जिन्दगी की शाम हो जाये। वे हमारे साथ एक सभा में थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, हमें रिसीव किया, रुख्सत किया। सोचा भी नहीं जा सकता था कि जिस शख्स के साथ हम थे, आज सदन में उनके न रहने की सूचना देनी पड़ेगी। मात्र सूचना के लिए ही मैंने आपको कष्ट दिया है।

वर्तमान विधान सभा सदस्य एवं पंचायती राज मंत्री श्री कैलाश यादव के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल मौजूद हैं। अभी शोक प्रस्ताव हो जाये और सदन आज उठ जाये। माननीय नेता सदन आप कुछ उनके बारे में कहें।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दुःख की बात है। कैलाश यादव जी हमारे साथ बहुत पुराने नेता रहे। अचानक उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ, बिल्कुल स्वस्थ थे, उनकी जानकारी में नहीं था कि ऐसा भी कुछ उनके साथ हो जायेगा। जो इलाज हो सकता है, वह पहले गाजीपुर में हुआ। उसके बाद हम लोगों ने इन्तजाम करके देश के सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल में भेजा, वहां के डाक्टर्स से बात हुई। अध्यक्ष महोदय, पूरा इलाज हुआ लेकिन मैं समझता हूं ऊपरवाले को यह स्वीकार नहीं था और आज वह हमारे बीच नहीं हैं। हमने एक बहुत बड़े नेता को खोया है। गरीब, किसान, मजदूर और लगातार गांव के रहने वाले लोगों के साथ संघर्ष किया। मंत्रि–मण्डल में हमारे साथ रहे उन्हें जो भी विभाग दिया, पूरी जिम्मेदारी से उन्होंने काम किया। पंचायत का चुनाव प्रदेश का बहुत बड़ा चुनाव था, मैं समझता हूं देश का इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा और जो पूरा पंचायती चुनाव होता है, उसको किया और उसका परिणाम है कि तारीफ हुई कि पंचायत का चुनाव ऐसा कभी नहीं हुआ जो पहली बार उत्तर प्रदेश में होकर गुजरा है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और पूरे माननीय सदस्य जितने भी यहां उपस्थित हैं, नेता प्रतिपक्ष उपस्थित है, बीजेपी के नेता उपस्थित हैं और तमाम बड़े नेता भी हैं जिनके साथ लगातार उन्होंने काम भी किया होगा, कई मौकों पर सदन में रहे हैं। कई महत्वपूर्ण समितियों में भी रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि सादगी के साथ, गांव के कई लोगों के साथ उनका जो मेल मिलाप था, जिस सादगी के साथ रहते थे यह उनकी बड़ी उपलब्धि थी। संघर्ष का पूरा जीवन रहा उनका। अभी आखिरी में ही जब एक–आध बार मुलाकात हुई तो उनकी इच्छा थी कि बेटा भी राजनीति में आ जाये। मैं समझता हूं कि हमारे दल के सभी लोग जानते होंगे कि उनका बेटा भी जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया, तो ऐसे बड़े नेता और खासकर जीवनभर जो समाजवादी रहे, नेता जी के साथ काम किया, पार्टी को मजबूत किया, गरीब किसानों की बात को बुलन्द किया उनके लिए संघर्ष किया, उस नेता के खोने से हमें दुःख है। मैं अपनी तरफ से पूरे सदन की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय नेता सदन, माननीय मंत्री जी, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस और माननीय नेता लोकदल तथा अन्य सभी दलीय नेताओं के साथ–साथ सदन के सभी माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री श्री कैलाश जी के निधन से स्वाभाविक रूप से पूरा सदन शोकाकुल है और मान्यवर, जैसा कि श्री कैलाश यादव जी पंचायती राज मंत्री थे और अभी अचानक एक हफ्ते पहले उनकी तबियत बिगड़ी और आज उनके निधन की सूचना अचानक संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा

सदन को दी गयी, स्वाभाविक रूप से पूरा सदन स्तब्ध हुआ। जैसा कि मान्यवर, 01 जुलाई, 1951 में श्री कैलाश जी एक गरीब खेतिहर किसान परिवार में पैदा हुए और तमाम आन्दोलनों के माध्यम से चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में किसान आन्दोलन फिर उसके बाद समाजवादी आन्दोलन और विशेष रूप से गांव गवई की पहचान के पर्याय श्री कैलाश जी जब कभी भी विधायक के रूप में मंत्री के रूप में जनसामान्य के बीच में जाते थे तो स्वाभाविक रूप से गांव के पहचान के रूप में उनकी तश्वीर जानी जाती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कई बार पंचायती राजमंत्री से मेरी पंचायती व्यवस्था के विषय में बात हुई, आपसी चर्चा के दौरान भी कभी–कभी चूंकि पूर्व में मैं पंचायती राज मंत्री था तो सुझाव भी लेते थे और कभी उनको सुझाव दिया भी गया तो उसको बहुत ही सकारात्मक ढंग से, सहज तरीके से लेते थे और यहां तक कि सही मायने में एक गरीब का दर्द जो होना चाहिए माननीय मंत्री जी के दिल दिमाग में हमेशा वह रहता था और दिखाई पड़ता था। अचानक आज उनकी मौत से हम सभी को सदमा पहुंचा है मान्यवर, इस दुःख की घड़ी को मैं अपनी और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी तथा अन्य सभी विपक्षी पार्टियो की ओर से मैं उन्हें शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और मान्यवर, अनुरोध करता हूं कि इस शोक संवेदना को उनके परिवारीजनों तक पहुंचाया जाये। मान्यवर, स्वाभाविक रूप से इस आकस्मिक निधन से सदन एवं उनका पूरा घर–परिवार सदमे में आया है। उनकी पूर्वान्चल के साथ–साथ पूरे प्रदेश में एक अच्छी पहचान और छाप थी। यद्यपि कि प्रदेश के मंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश में लोग इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं तथापि उनके परिवारीजनों को, उनके बच्चों को एक मजबूत स्तम्भ मिले, जिसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शोक संवेदना को उनके परिवारीजनों तक पहुंचाया जाये। मान्यवर, मैं गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। चूंकि यह इतनी दुःखद घटना है कि जिस समय सत्र चल रहा हो और हम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए चल पड़े हों और इसी बीच में यकायक यह सूचना प्राप्त होना, वाकई में एक बहुत ही दर्दनाक रही, दिल को दहलाने वाली रही। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि हमारी शोक संवेदना को उनके परिवारीजनों तक पहुंचा दिया जाये। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल ने सम्मानित श्री कैलाश यादव जी के संबंध में जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अचानक यह सूचना दी कि श्री कैलाश यादव जी का देहावसान हो गया और देहावसान की खबर सुनकर हम सब बहुत दुःखी हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, श्री कैलाश यादव जी का जन्म दिनांक 10 जुलाई, 1951 को ग्राम जैदपुरा, जिला गाजीपुर में हुआ था। उन्होंने ग्राम प्रधान पद से अपनी राजनीति शुरू की और इस विधान सभा के वह तीन बार सदस्य रहे। वह वर्ष 1996 में 13वीं विधान सभा के सदस्य रहे, वर्ष 2002 में 14वीं विधान सभा के सदस्य रहे और वर्ष 2012 में 16वीं विधान सभा के सदस्य रहे। वह

पहले भी वर्ष 2003 में माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के मंत्रि–मण्डल में राजस्व एवं औद्योगिक विकास विभाग के राज्य मंत्री रहे हैं। वह साधन सहकारी समिति, देवकली के अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री के रूप में हमारे बीच में थे। यदा–कदा उनसे हमारी नमस्ते हो जाती थी। हमारी उनसे बहुत अधिक घनिष्ठता तो नहीं थी, लेकिन वह एक सौम्य, शिष्ट एवं अपनी बात को मजबूती से कहने वाले एक नेता थे, जिनको आज हमने खो दिया। यह इस सदन की एक अपूर्णनीय क्षति है। मैं समझता हूं कि कल भी हमने दो माननीय सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और आज फिर से ऐसा मौका आया है कि हमने पूरे सदन में दुःख के साथ उनको श्रद्धांजलि दी है। मान्यवर, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्री कैलाश यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को सद्गति मिले। मान्यवर, मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचवा दें। धन्यवाद।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, स्व0 श्री कैलाश यादव जी के आकस्मिक निधन से पूरी विधान सभा शोकाकुल है। वह सौम्यता के प्रतीक एक आदर्श व्यक्ति थे और वह तीन बार विधायक रहे, वर्ष 1996 में, 2002 में और 2012 में। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मंत्रि–मण्डल में मंत्री रहे और वर्तमान में भी पंचायती राज मंत्री थे। उनसे यदाकदा हम लोगों को काम पड़ता था और वह बड़ी तन्मयता से काम करते थे, सहयोग की बात किया करते थे। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। उनके आकस्मिक निधन से हम सब लोग बहुत दुःखी हैं। मुझे लगता है कि एक नजर सी लग रही है हमारे दो वर्तमान विधायक चले गये और आज इनकी खबर सुनी तो हम सब विधान सभा के लोग बहुत ही इस मामले को लेकर चिन्तित हैं। ईश्वर सब कुछ ठीक रखे और सब लोग सुखी और सम्पन्न रहें, सब लोग स्वस्थ रहें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं और मेरा दल उनके इस दुःखद निधन पर अपनी शोक संवेदना प्रकट करता है और आपसे आग्रह करता है कि हम लोगों के इस संदेश को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता भाजपा, माननीय नेता कांग्रेस सभी ने शोक संवेदना को बहुत ही गंभीरता से लिया और मैं आज ऐसा महसूस कर रहा हूं कि हंसते–खेलते बहुत ही खुशनुमा माहौल में हमारा सदन जो काफी समय से चल रहा था, माथुर साहब भी कह रहे थे कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी की नजर लग गयी हो। अभी एक घन्टे पहले हमारे और संसदीय कार्य मंत्री के बीच वार्ता हो रही थी, क्या पता था कि ऐसा दुःखद समाचार आयेगा। हम सब लोग आज इस आकस्मिक घटना से बहुत ही द्रवित और दुखी हैं। उनका जीवन परिचय हमारे सब साथियों ने पढ़कर सुनाया है। वह निर्वाचन क्षेत्र–376, जंगीपुर जिला गाजीपुर से माननीय विधायक हुये। उनके पिता स्व0 लुटावन यादव, जन्म

तिथि–10 जुलाई, 1951, जन्म स्थान–ग्राम जैतपुरा, गाजीपुर, धर्म–हिन्दू, जाति–पिछड़ी जाति, शिक्षा–स्नातक, विवाह तिथि–9 अप्रैल, 1967, पत्नी का नाम–श्रीमती किसमती देवी जी, पूरा विस्तार से विवरण दिया है। इसे पढ़कर बड़ा दुःख हो रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरा बहुत थोड़े समय के लिये उनसे सम्पर्क हुआ। जिला पंचायत के संबंध में कई बड़े दुरूह और बड़े फंसे हुये केसों में मेरी उनसे बातचीत हुयी। अलीगढ़ का एक प्रंसग आया, मैंने उसे बड़ी शालीनता से उनके सामने रखा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी उनको निर्देश दिया था, उन्होंने इस पर इतना मजबूत और तुरन्त प्रभावी एक्शन किया मुझे तो उनकी बहुत याद आ रही है और मैंने ही नहीं, उनके इस एक्शन से पूरे जनपद अलीगढ़ में ऐसा समाचार गया कि वाकई पंचायत राज मंत्री ने कोई निर्णय लिया है। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से दुःखी हूं, मैं और मेरा दल अपनी शोक संवेदनायें आपके माध्यम से उनके परिवार तक भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी यह शोक संवदेनायें उनके दुःखी परिवारजनों तक पहुंचाने का आप कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

आज यह सदन शोकाकुल है क्योंकि हमारे बीच से हमारे वरिष्ठ साथी एवं मंत्रि–मण्डल के वरिष्ठ सदस्य श्री कैलाश जी का देहावसान हो गया है। अभी–अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह सूचना सदन को दी, हम सब लोग सुनकर स्तब्ध हैं। उनके बारे में हमारे नेता विरोधी दल ने, आपने और सबने कहा, उससे अलग भी उनका एक व्यक्तित्व था। मैं उन्हें बहुत दिनों से जानता था जब मैं पार्टी का सेक्रेट्री था तो मैं दौरों पर जाता था तो वहां वह पार्टी के हमारे बड़े पदाधिकारी थे और बड़ी सौम्यता से मिलते थे। कभी भी यह नहीं लगता था उनके यहां जाने पर कि मैं उनके परिवार का सदस्य नहीं हूं। उन्होंने कभी कोई भेद नहीं रखा। अभी जब यह चुनाव चल रहा था, बहुत सारी समस्यायें हम लोगों के सामने बार–बार आती थीं, हम उनसे जब भी इस बारे में बात करते थे तो वह तुरन्त मीटिंग करके उसका समाधान निकालने की कोशिश करते थे। यह उनका प्रयास ही रहा कि काफी अच्छे तरीके से पंचायत चुनाव निपट गया और यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में सही ढंग से कराकर वह आज हमारे बीच से चले गये, इसका बड़ा गहरा सदमा हमको और मैं समझता हूं कि माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों को लगा होगा। वह पहले 1985 से 1995 तक प्रधान भी रहे, अध्यक्ष, साधन सहकारी समिति भी रहे, सदस्य, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत भी रहे और आन्दोलनों की वजह से वह बहुत दिनों तक सेन्ट्रल जेल नैनी में रहे। श्री कैलाश यादव के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक–संतप्त परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक–संवेदनाएं मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(दो मिनट का मौन धारण किया गया)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें।

ख1.53 बजे, वर्तमान विधान सभा के सदस्य एवं पंचायती राज मंत्री श्री कैलाश यादव के अन्तिम संस्कार के कारण कल सदन की बैठक स्थगित करने एवं शेष मदें यथावत् लिये जाने का अनुरोध

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहूंगा कि कल बहुत से साथी उनके अन्तिम संस्कार में शरीक होना चाहेंगे ऐसे में सदन में मा0 सदस्यों की तादाद बहुत कम हो जायेगी। आपने कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है सभी नेतागण यहां हैं यदि आप सभी की राय हो तो कल उनके अन्तिम संस्कार में शरीक हो लें और सदन की छुट्टी कर लें। क्योंकि कल काफी लोग उनके अन्तिम संस्कार में शरीक होना चाहेंगे, हम भी चाहेंगे, आप भी चाहेंगे इसलिए मैं चाहूंगा कि कल सदन को स्थगित किया जाए और कल के कामकाज को आगे बढ़ा लिया जाए।

(सभी दलों के नेताओं ने मा0 संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की)

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

यदि सारा सदन सहमत है तो कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आज की जो सूचनाएं हैं उन्हें परसों ले लिया जाए, उन्हें अब दोबारा न देना पड़े।

श्री अध्यक्ष–

उन्हें आगे ले लिया जाएगा, दोबारा नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही जैसे आपकी सूचनाएं ली जाएंगी वैसे ही श्री गुलाम मोहम्मद जी का भाषण भी परसों जारी रहेगा।

(अब हम उठते हैं परसों 11.00 बजे मिलेंगे।)

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 54 मिनट पर गुरुवार, दिनांक 11 फरवरी, 2016 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 09 फरवरी, 2016

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी ''क''

(अतारांकित प्रश्न संख्या–39 का उत्तर पीछे पृष्ठ–47–48 पर)

क्र0	जनपद	कुल बस्तियां						
		फ्लोराइड	आयरन	खारापन	नाइट्रेट	मिश्रित	आर्सेनिक	कुल
1	आगरा	19	0	700	0	82	0	801
2	अलीगढ़	1	2	13	0	4	0	20
3	इलाहाबाद	49	49	0	0	13	0	111
4	अम्बेडकर नगर	14	2	0	0	0	0	16
5	औरैया	0	11	0	0	100	0	111
6	आजमगढ़	0	13	0	0	0	0	64
7	बागपत	0	0	0	0	16	0	16
8	बहराइच	0	216	0	0	0	523	739
9	बलिया	0	169	0	0	11	310	490
10	बलरामपुर	0	71	0	0	0	0	71
11	बांदा	9	1	0	0	13	0	23
12	बाराबंकी	0	50	10	0	5	0	65
13	बरेली	0	0	0	0	0	17	17
14	बस्ती	74	69	0	0	7	0	150
15	बिजनौर	10	114	0	0	7	0	131
16	बुलन्दशहर	5	10	2	0	39	0	56
17	चन्दौली	0	0	0	0	0	19	19
18	चित्रकूट	0	0	6	0	1	0	7
19	देवरिया	141	64	0	0	13	0	218
20	एटा	13	10	19	0	0	0	42
21	इटावा	3	17	11	0	42	0	73
22	फर्रुखाबाद	72	60	1	0	37	0	170
23	फतेहपुर	55	46	11	0	11	0	123
24	फिरोजाबाद	91	10	6	0	103	0	210
25	गौतमबुद्धनगर	21	7	0	0	8	0	36
26	गाजियाबाद	52	6	0	0	18	0	76
27	गाजीपुर	0	0	0	0	0	24	24
28	गोण्डा	99	38	3	0	1	101	242
29	गोरखपुर	49	198	0	0	28	60	335
30	हमीरपुर	14	3	0	1	0	0	18
31	हरदोई	1	26	5	0	0	0	32
32	जे0पी0 नगर	0	2	0	0	0	0	2
33	जालौन	0	0	12	0	1	0	13

34	जौनपुर	0	2	3	3	0	0	8
35	झांसी	19	9	3	0	70	0	101
36	कन्नौज	57	32	1	0	43	0	133
37	कानपुर देहात	5	2	5	0	6	0	18
38	कानपुर नगर	21	27	2	0	46	0	96
39	कौशाम्बी	6	9	17	0	0	0	32
40	लखीमपुर खीरी	72	74	0	0	246	165	557
41	कुशीनगर	0	202	0	0	4	0	206
42	ललितपुर	5	14	0	4	21	0	44
43	लखनऊ	4	0	0	0	0	0	4
44	महामायानगर	18	0	14	0	9	0	41
45	महराजगंज	8	11	1	0	0	0	20
46	महोबा	2	0	0	0	0	0	2
47	मैनपुरी	10	0	0	0	0	0	10
48	मथुरा	21	18	181	0	33	0	253
49	मऊ	151	54	0	0	0	0	205
50	मेरठ	11	61	1	0	10	0	83
51	मीरजापुर	53	92	0	0	5	0	150
52	मुरादाबाद	0	3	0	0	0	0	3
53	मुजफ्फर नगर	9	7	0	0	33	0	49
54	प्रतापगढ़	73	204	85	0	162	0	524
55	रायबरेली	125	30	287	1	10	0	453
56	रामपुर	0	15	0	0	0	0	15
57	संत रविदास नगर	0	2	0	0	0	0	2
58	संत कबीर नगर	0	16	0	0	0	0	22
59	सहारनपुर	0	0	1	0	0	0	1
60	शाहजहांपुर	140	0	0	0	0	0	140
61	श्रावस्ती	0	3	0	0	0	0	3
62	सिद्धार्थनगर	0	128	0	0	0	0	128
63	सोनभद्र	35	14	0	0	15	0	64
64	सुल्तानपुर	1	52	47	0	21	0	121
65	उन्नाव	531	0	27	0	0	0	558
66	वाराणसी	13	51	25	3	8	0	100
	कुल योग	**2233**	**2396**	**1499**	**12**	**1302**	**1225**	**8667**

नत्थी ''ख''

(अतारांकित प्रश्न संख्या–94 का उत्तर पीछे पृष्ठ–71 पर)

सरकारी विभाग एवं भवनों पर गृहकर/जलकर की सूची

वार्ड नं0–1

क्र.	वार्ड नं0	म0नं0/मोहल्ला	सरकारी विभाग का नाम	वार्षिक मूल्यांकन	बकाया गृहकर/जलकर (31 मार्च, 14 तक)	वर्तमान वर्ष 2015–16 का गृहकर/जलकर	कुल योग
1	1	216, आगरा गेट	श्री जनरल मैनेजर बस स्टैण्ड	167482	41870	41870	83740
2	1	4, जलेसर रोड	थाना उत्तर सरकारी सुप्रिंटेण्डेण्ट	900	4338	810	5148

सरकारी विभाग एवं भवनों पर गृहकर/जलकर की सूची

वार्ड नं0–1/1अ

क्र.	वार्ड नं0	म0नं0/मोहल्ला	सरकारी विभाग का नाम	वार्षिक मूल्यांकन	बकाया गृहकर/जलकर (31 मार्च, 14 तक)	वर्तमान वर्ष 2015–16 का गृहकर/जलकर	कुल योग
1	1/1अ	105/1अ, पुराना मथुरा नगर	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग	521925	जमा	130482	130482

सरकारी विभाग एवं भवनों पर गृहकर/जलकर की सूची

वार्ड नं0–1/1ब

क्र.	वार्ड नं0	म0नं0/मोहल्ला	सरकारी विभाग का नाम	वार्षिक मूल्यांकन	बकाया गृहकर/जलकर (31 मार्च, 14 तक)	वर्तमान वर्ष 2015–16 का गृहकर/जलकर	कुल योग
1	1/1ब	1/3, कस्तूरबा नगर	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस0एन0एम0 जिला हॉस्पिटल	1600800		3006329	3006329

			एवं क्षयरोगाश्रम, फीरो0।				

सरकारी विभाग एवं भवनों पर गृहकर/जलकर की सूची

वार्ड नं0–1/1स

क्र.	वार्ड नं0	म0नं0/मोहल्ला	सरकारी विभाग का नाम	वार्षिक मूल्यांकन	बकाया गृहकर/जलकर (31 मार्च, 14 तक)	वर्तमान वर्ष 2015–16 का गृहकर/जलकर	कुल योग
1	1/1स	160, नगला मिर्जा बड़ा	पुलिस कालोनी	4725		21957	21957
2	1/1स	1918, अम्बेडकर पार्क	अनुसूचित जाति छात्रावास	36630		18315	18315

सरकारी विभाग एवं भवनों पर गृहकर/जलकर की सूची

वार्ड नं0–5

क्र.	वार्ड नं0	म0नं0/मोहल्ला	सरकारी विभाग का नाम	वार्षिक मूल्यांकन	बकाया गृहकर/जलकर (31 मार्च, 14 तक)	वर्तमान वर्ष 2015–16 का गृहकर/जलकर	कुल योग
1	5	356, डाक बंगला	श्री सरकारी डाक बंगला	600000		300000	300000
2	5	190/8, डाक बंगला	थाना रसूलपुर	60000		30384	30384
3	5	68, कस्साबान	सरकारी पुलिस चौकी	525		7912	7912
4	5	33, आसफाबाद	अधिशासी अभियन्ता विद्युत कारपोरेशन	4755370		3566529	3566529

सरकारी विभाग एवं भवनों पर गृहकर/जलकर की सूची

वार्ड नं0–7

क्र.	वार्ड नं0	म0नं0/मोहल्ला	सरकारी विभाग का नाम	वार्षिक मूल्यांकन	बकाया गृहकर/जलकर (31 मार्च, 14 तक)	वर्तमान वर्ष 2015–16 का गृहकर/जलकर	कुल योग
1	7	88/5, राम	नगरीय स्वास्थ्य	24000		72000	72000

		नगर	केन्द्र				
2	7	96, राम नगर	उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग	120000		140428	200428

सरकारी विभाग एवं भवनों पर गृहकर/जलकर की सूची

वार्ड नं0–8

क्र.	वार्ड नं0	म0नं0/मोहल्ला	सरकारी विभाग का नाम	वार्षिक मूल्यांकन	बकाया गृहकर/जलकर (31 मार्च, 14 तक)	वर्तमान वर्ष 2015–16 का गृहकर/जलकर	कुल योग
1	8	38, गढेया पैंठ	तहसील फिरोजाबाद	9180		35657 ब्याज 2340 ब्याज 2340	40337
2	8	253, सदर बाजार दक्षिण	पुलिस चौकी पूरब सुप्रिंटेण्डेण्ट पुलिस	2160		9176	9176
3	8	30, बजरिया	सुप्रिंटेण्डेण्ट मो0 पुलिस स्टेशन	3600		15084 ब्याज 2888 ब्याज 2888 ब्याज 2888	23748

सरकारी विभाग एवं भवनों पर गृहकर/जलकर की सूची

वार्ड नं0–9

क्र.	वार्ड नं0	म0नं0/मोहल्ला	सरकारी विभाग का नाम	वार्षिक मूल्यांकन	बकाया गृहकर/जलकर (31 मार्च, 14 तक)	वर्तमान वर्ष 2015–16 का गृहकर/जलकर	कुल योग
1	9	294, स्टेशन रोड	निदेशक, उद्योग विभाग कानपुर	240000		205000	205000
2	9	297, स्टेशन रोड	जिला परिषद फिरोजाबाद	8640		50101	50101
3	9	42, लेबर कालोनी	दूरसंचार विभाग	360000		180000	180000
4	9	293, स्टेशन रोड	सहायक निदेशक, लघु उद्योग सेवा	1200		2520	2520

			संस्थान फिरोजाबाद				
5	9	81, स्टेशन रोड	बिजली कम्पनी राज्य विद्युत परिषद फिरोजाबाद	600000		1056185	1056185

सरकारी विभाग एवं भवनों पर गृहकर/जलकर की सूची

वार्ड नं0–10

क्र.	वार्ड नं0	म0नं0/मोहल्ला	सरकारी विभाग का नाम	वार्षिक मूल्यांकन	बकाया गृहकर/जलकर (31 मार्च, 14 तक)	वर्तमान वर्ष 2015–16 का गृहकर/जलकर	कुल योग
1	10	467, नई बस्ती	इन्डोर बिल्डिंग भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड फिरोजाबाद	525000		131250	131250

सरकारी विभाग एवं भवनों पर गृहकर/जलकर की सूची

वार्ड नं0–11

क्र.	वार्ड नं0	म0नं0/मोहल्ला	सरकारी विभाग का नाम	वार्षिक मूल्यांकन	बकाया गृहकर/जलकर (31 मार्च, 14 तक)	वर्तमान वर्ष 2015–16 का गृहकर/जलकर	कुल योग
1	11	1/1जी, सुहाग नगर	विद्युत संस्थान, 33/11 के0वी0 उपसंस्थान सुहाग नगर	228190		114096	114096
2	11	1/56, 7, 8, 9, 10, 11, सुहाग नगर	विद्युत संस्थान, 33/11 के0वी0 उपसंस्थान (विद्युत संस्थान के कर्मचारी का आवास)	43206		जमा	जमा
3	11	1/684/15, सुहाग नगर	भारतीय जीवन बीमा निगम लि0 कार्यालय	605860		109800	109800
4	11	3/271/ए, सुहाग नगर	भारतीय दूरसंचार निगम (आवासीय एवं कार्यालय)	439200		109800	109800
5	11	1/688/691, सुहाग नगर	कांच उद्योग विकास केन्द्र ए–1/1, औद्योगिक क्षेत्र	28800		72000	72000

			जलेसर रोड फिरोजाबाद				
6	11	3/271/ए, सुहाग नगर	पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस सुहाग नगर	180000		45000	45000
						कुल योग–	**95,04,039**

नत्थी ''ग''

(अतारांकित प्रश्न संख्या–39 का उत्तर पीछे पृष्ठ–102–103 पर)

नगर निगम, इलाहाबाद।

अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो का विवरण।

अवस्थापना विकास निधि से स्वीकृत कार्यो का विवरण।

वर्ष 2013–14 प्राविधानिक धनराशि 219.56लाख

क0सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	कार्य की भौतिक प्रगति	वित्तीय विवरण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	म्योहाल चौराहे से म्योहाल काम्पलैक्स गेट तक दक्षिणी पटरी पर नाली व इन्टरलाकिंग लगाने का कार्य	9.74	पूर्ण	8.33	
2	राणा प्रताप चौराहे से म्योहाल काम्पलैक्स तक उत्तरी पटरी पर नाली एवं इन्टरलाकिंग का कार्य	9.74	पूर्ण	9.74	
3	म्योहाल परिसर में नाली व पटरी पर इन्टरलाकिंग लगाने का कार्य	7.22	पूर्ण	7.24	
4	सरोजी नायडू मार्ग से नवाब युसूफ रोड होते हुए महात्मा गांधी मार्ग लोहिया मार्ग के दोनो तरफ पटरी का इण्टर लाकिंग का निर्माण कार्य।	20.5	पूर्ण	20.83	
5	अशोक नगर में रमाकान्त एडवोकेट के आवास को जाने वाली सडक का सुधार कार्य	15.83	पूर्ण	15.17	
6	(अ)म0 उच्च न्यायालय को जाने वाले मार्ग पर डायवर्जन/नो पार्किंग बोर्ड की व्यवस्था एवंरटैनली रोड पर निर्मला शिशुगृह के पास कैन्टीलीवर दिशा सूचक बोर्ड लगाने का कार्य	15.56	पूर्ण	16.11	
7	नगर निगम परिसर स्थित पुलिस चौकी के समीप ओपन प्लेटफार्म व पार्किंग का निर्माण कार्य।	14.00	निरस्त	0.00	
8	महात्मा गांधी मार्ग पर मेडिकल कालेज चौराहे से सी0एम0पी0 तक उत्तर साईड ग्रीन बैल्ट को विकसित करने का कार्य	11.00	पूर्ण	8.03	
9	मो0 टैगोर टाऊन में मकान नं0 147–6/58 से मकान नं0 132/52–10 नाली का निर्माण व सडक का पुनर्निर्माण।	9.70	पूर्ण	9.84	
10	कस्तूरबा गांधी मार्ग से स्टैनली रोड तक मिशन रोड़ का सुदृढीकरण का कार्य।	21.83	पूर्ण	22.26	
11	बैनीगंज में बावा मार्केट से भगवत चौराहा होते हुए राजपाल ट्यूबेल तक नली मरम्मत एवं सडक का पुनर्निर्माण।	21.00	पूर्ण	15.05	
12	शाहगंज में बर्फ वाली गली तथा सौदागर मस्जिद के आस–पास गली, नाली का पुनर्निर्माण कार्य।	20.00	पूर्ण	20.28	
13	वार्ड नं0 50 नैनी में दलित बस्ती दूबे के तालाब में गली का निर्माण कार्य।	7.03	पूर्ण	7.02	
14	उत्तरी लोकपुर नैनी में अरेल रोड श्री रमेश केसरवानी के आवास से श्री बी0वी0 पुक्ला के आवास तक गली एवं नाली का निर्माण कार्य।	5.51	पूर्ण	4.31	
15	नैनी में जेल रोड पर श्री राजकुमार के आवास से नव ज्योति सच्चा मन्दिर का गली एवं नाली का निर्माण कार्य	2.67	पूर्ण	2.66	
16	वार्ड नं0 68 मुटठीगंज साधोगंज मण्डी के गली का पुनर्निर्माण कार्य।	10.00	पूर्ण	9.43	
17	गौस नगर में कयान गेस्ट हाऊस से मक्का मस्जिद के पास नाली की मरम्मत का कार्य।	15.00	पूर्ण	12.51	
	कुल योग:–	219.56		188.81	

नगर निगम, इलाहाबाद।

अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो का विवरण।

दिनांक 03–01–2015को अवस्थापना विकास निधि से स्वीकृत कार्यो का विवरण।

वर्ष 2014–15 प्राविधानिक धनराशि .....लाख

क0सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	कार्य की भौतिक प्रगति	वित्तीय विवरण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	हाईकोर्ट अम्बेडकर चौराहा से नवाब युसुफ रोड तक दोनो साईड की पटरी पर इण्टरलाकिंग का कार्य।	53.11	पूर्ण	39.33	
2	अशोक नगर मे महादेवी वर्मा मार्ग एवं लिंक मार्ग पर सड़क/पटरी/नाली का कार्य।	30.00	पूर्ण	29.99	
3	प्रीतम नगर में जी0टी0 रोड़ से धूमनगंज थाने से कबीर तिराहा तक. सड़क पटरी नाली का कार्य	38.10	पूर्ण	39.87	
4	कबीर तिराहे से कबीर रोड़ पर भोला का पुरवा क्रासिंग तक सडक पटरी नाली का कार्य।	103.66	पूर्ण	115.58	
5	भोला का पुरवा तिराहे से बडा घराना तक सडक पटरी नाली का सुधार कार्य	22.78	पूर्ण	18.56	
6	प्रीतम नगर भोला का पुरवा चौराहे से पृथ्वी पाल चौक होते हुए पी0ए0सी0 गेट तक सड़क पटरी नाली का सुधार कार्य।	132.10	90% पूर्ण	78.46	
7	न्याय नगर कन्धईपुर हरि ओम श्रीवास्तव के मकान से कामेश्वर सिंह के मकान तक सड़क का सुधार कार्य।	14.36	पूर्ण	14.26	
8	मुख्य अभियन्ता विद्युत वितरण कार्य 73 टैगोर टाऊन को जाने वाले मार्ग के सुदढीकरण का कार्य।	3.50	पूर्ण	3.52	
9	बेली गॉव रोड़ का सुधार कार्य।	40.00	70% पूर्ण	23.84	
10	कर्नलगंज इण्टर कालेज के दक्षिणी पश्चिमी किनारे से पूरब टैगौर जी तक सड़क/नाली का सुधार कार्य	10.22	पूर्ण	9.21	
11	मम्फोर्डगंज में निगम चौराहे से पूरब भारत स्काउट एवं गाईड तक सड़क पटरी का कार्य।	26.93	पूर्ण	26.77	
12	मम्फोर्डगंज मे शिवाजी पार्क के उत्तरी पश्चिमी कोने के सामने श्री राकेश चन्द्रा के मकान से उत्तर आबकारी मार्ग सुधार कार्य।	11.28	70% पूर्ण	10.61	
13	मम्फोर्डगंज में श्री विश्व नाथ यादव के मकान से उत्तर श्री राकेश भार्गव के घर तक सड़क का पुर्ननिर्माण/नाली सुधार का कार्य।	16.75	पूर्ण		
14	मण्डलायुक्त कार्यालय की आन्तरिक सड़क और दो सेट बाथरूम निर्माण कार्य।	11.62	90% पूर्ण	9.68	
15	बहादुरगंज लोहिया पाण्डेय हाता के अन्दर मार्ग का सुधार कार्य।	20.00	80% पूर्ण	9.98	
16	वार्ड 51 कटघर काशीराज नगर की आन्तरिक सड़कों का सुधार कार्य।	40.51	80% पूर्ण	32.77	
17	राजापुर त्रिमुहानी से पश्चिम राजापुर हनुमान मन्दिर से ढलान वाली सड़क से मिलने वाली सड़क निर्माण कार्य।	28.22	80% पूर्ण .		

18	बेनीगंज में भागवत चौराहा से आर0पी0 मिश्रा के घर होते हुए 60 फिट रोड़ तक नाली निर्माण एवं सड़क का कार्य।	32.00	50% पूर्ण	8.43	
19	पुरानी जी0टी0 रोड़ दारागंज में कच्ची सड़क (फुलवरिया रोड़) का सुधार कार्य।	25.43	पूर्ण	25.42	
20	वार्ड 24 मधवापुर सब्जी मण्डी में सोनकर बस्ती के पास मकान नं0 366 भट्टाचार्य एवं मकान नं0 363/136 श्री आशुतोष मिश्रा के आवास तक गली /नाली का सुधार कार्य।	8.85	पूर्ण	9.03	
21	जार्ज टाऊन स्थित मालवीय रोड़ पर नेहरू ग्राम भारतीय विद्यालय कार्यालय के पीछे मकान नं0 125ई के पास	10.70	पूर्ण	10.70	
22	लाउदर रोड़ जार्ज टाऊन में भोला हास्पिटल के सामने श्री शंशाक रस्तोगी मकान नं0 38/2 लाउदर रोड़ के पूरब श्री शिवकुमार सिंह तथा श्री शेष नारायण दुबे मकान नं0 38/386 तक डामरीकरण का कार्य।	15.00	पूर्ण	14.93	
23	प्रिंस टेलर्स के सामने से होते हुए आर0सी0 वर्मा के मकान के पहले विजय चन्द्र श्रीवास्तव एडवोकेट के मकान के सामने की गली से होते हुए आर0बी0 श्रीवास्तव के मकान नं0 136के/2बी बेनीगंज के मकान तक	10.00	पूर्ण	6.82	
24	लूकरगंज में विजय पोसवानी पार्षद के आवास के पास से पुराना दुर्गा पुलिया स्थल होते हुए जयसवाल सीमेन्ट वर्कस मुख्य सड़क तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	22.00	दिनांक 3–10–2015 को पुनः निविदा माँगी गयी है स्वीकृत की कार्यवाही में है।		
25	ओल्ड लशकर लाईन घोष स्वीट हाऊस से मकान नं0 22बी/125 आर0 के0 सिंह मकान नं0 50 श्री मंजीत मकान नं0 19/131 श्री संजय सोनकर मकान नं0 159ए/119 होते हुए नवीन महिला सेवा सदन इण्टर कालेज तक गली उच्चीकरण कार्य।	25.68	70% पूर्ण	16.2	
	कुल योगः–	752.80		553.96	

नगर निगम, इलाहाबाद।

अवस्थापना विकास निधि पार्क के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो का विवरण।

दिनांक 03–01–2015को अवस्थापना विकास निधि पार्क से स्वीकृत कार्यो का विवरण।

वर्ष 2014–15 प्राविधानिक धनराशि .....लाख

क0सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	कार्य की भौतिक प्रगति	वित्तीय विवरण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	करैली नई पानी टंकी के पीछे स्थित पार्क का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	446600.00	पूर्ण	445860	
2	प्रीतम नगर में दुआ नर्सिंग होम के सामने स्थित पार्क का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1045700.00	50% पूर्ण ,		
3	अटाला स्थित इस्लाम पार्क का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	909000.00	पूर्ण		
4	गुलाबबाड़ी सुल्तानपुर भावा स्थित पार्क का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	592000.00	40% पूर्ण ,		
5	दरियाबाद रोटरी क्लब पार्क का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	937600.00	पूर्ण	935505	
6	मुण्डेरा ट्रान्सपोर्ट नगर में कपूर ट्रान्सपोर्ट के सामने स्थित पार्क का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1749000.00	70% पूर्ण ,		
7	गायत्री पार्क, अल्लापुर का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1147000.00	25% पूर्ण ,		
8	एम0जी0 रोड स्थित सी0एम0ओ0 आवास के पास स्थित पार्क का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	716000.00	75% पूर्ण ,		
9	रम्मन का पुरवा स्थित श्रद्धानन्द पार्क का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	658400.00	30% पूर्ण ,	288449.00	
10	काशीराज नगर स्थित पार्क का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	738000.00	75% पूर्ण ,		
11	मेहदौरी में मृत्युंजय नर्सिंग होम के सामने स्थित पार्क का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	450000.00	पूर्ण	443384.00	
12	गोविन्दपुर चिल्ला स्थित पार्क का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	773000.00	50% पूर्ण ,		
13	फाफामऊ पानी की टंकी के पास स्थित पार्क का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	897800.00	40% पूर्ण ,		
14	अतरसुईया स्थित दुर्गा पूजा पार्क का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	585600.00	पूर्ण ,	505180	
15	अल्लापुर स्थित शिव नगर पार्क का मरम्मत/सौन्दर्यीकरण का कार्य।	715500.00	पूण		
	कुल योगः–	12361200.00		2618378.00	

नगर निगम, इलाहाबाद।

अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो का विवरण।

दिनांक 17–03–2015 को अवस्थापना विकास निधि से स्वीकृत कार्यो का विवरण।

वर्ष 2015–16 प्राविधानिक धनराशि ..... लाख

fjr, lph

क्र0सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	कार्य की भौतिक प्रगति	वित्तीय विवरण(लाख में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	राजरूपुर में 60 फुट रोड से श्री नायक के घर होते हुए श्री सेठी के मकान तक मार्ग सुधार कार्य।	8.00	100% पूर्ण	7.17	
2	लूकरगंज में सुलभ काम्पलेक्स के पीछे वाली गली में श्री खन्ना के मकान तक सड़क नाली का सुधार कार्य।	10.00	80% पूर्ण	3.68	
3	मुहल्ला टी0पी0 नगर में गंगा बिहार तिराहे से रवि शंकर पाण्डेय के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	4.34	पूर्ण	4.31	
4	ट्रान्सपोर्ट नगर में सड़क सुधार (प्रथम भाग)	50.00			
5	मुहल्ला टी0पी0 में गंगा बिहार कालोनी में श्याम लाल पाण्डेय के मकान से रमाकान्त पाठक के मकान तक डामरीकरण एवं नाली का कार्य।	9.14	पूर्ण	9.13	
6	टी0पी0 कपूर ट्रान्सपोर्ट से धुरपती देवी धनपत सिंह विद्यालय होते आर0एन0 तिवारी तक सड़क का निर्माण कार्य।	38.75	पूर्ण		
7	अल्का बिहार कालोनी बम्रौली में मकान नं0 16 एफ/21 सुखदेव यादव के घर से के0के0 प्रजापति एवं मकान नं0 16बी/1ए/4ए से राम पाल सिंह के मकान तक मार्ग का सुधार कार्य।	18.55	100% पूर्ण	15.54	
8	करामत की चौकी रोड से हड्डी गोदाम रोड से अहमद की मार्केट तक सड़क सुधार कार्य।	16.84	90% पूर्ण		
9	साउथ मलाका(पानी की टंकी) के चारो तरफ मार्ग /पटरी /नाली एवं पार्क का सुधार कार्य।	25.00	98% पूर्ण		
10	लोकनाथ में लोकनाथ चौराहे से लेकर भारती भवन के दोनो तरफ पटरी एवं नाली का कार्य।	19.00	40% पूर्ण		
11	कल्याणी देवी मकान नं0 1112, 1116 होते हुए मिनी चौधरी गार्डेन के पीछे मार्ग का सुधार कार्य।	13.00	पूर्ण	12.77	
12	एलनगंज में बेल ब्रिगेडियर प्रेस कालोनी की सड़क का सुधार कार्य।	50.00	70% पूर्ण	16.83	
13	ओम गायत्री नगर में सगंम चौराहा से सादियाबाद स्थित जे0पी0 चौराहा तक सड़क पटरी एवं नाली निर्माण कार्य।	34.07	80% पूर्ण	22.07	
14	कृति स्कैनिग सेन्टर से कोआपरेटिव चौराहा हुए मदन मोहन मालवीय रोड तक आर0एन0 बनर्जी मार्ग का निर्माण कार्य।	25.00	पूर्ण	19.48	
15	कीटगंज खलाशी लाइन में मकान नं0 640/530 बी0एस0 चन्द्रा से ऐ0के0 जायसवाल मकान नं0 522ए एवं मकान नं0 538 के सामने सड़क/नाली एवं पटरी का कार्य।	21.65	पूर्ण	21.57	
16	मटियारा रोड साईड रोड पटरी एवं ड्रेन का सुधार कार्य।	20.00	100 पूर्ण	17.45	
17	अल्लापुर से खुशी स्वीट हाउस के पास सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	10.00	पूर्ण	7.78	
18	रामानन्द नगर मुहल्ला में 60 फिट रोड से मकान नं0 8031 श्री सुरेन्द्र कुमार पाल मकान नं0 764 शापिंग सेन्टर पटेल चौराहा अल्लापुर मद्रास होटल मटियारा रोड से भोला यादव डेरी होते हुए शहीद चन्द्र शेखर आजाद रोड तक सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	16.70			
19	अल्लापुर 80 फिट रोड के पास महादेव मार्केट के सामने लेबर चौराहा सब्जी मण्डी जायसवाल सिमेन्ट ऐजेन्सी के आस–पास रोड पटरी एवं नाली का निर्माण कार्य।	35.00	35% पूर्ण	12.93	
20	वार्ड 54 सलोरी में आदित्य सिंह लेन राकेश पान भण्डार एवं राधेश्याम जायसवाल लेन सुधार कार्य।	15.00	60%	5.79	

			पूर्ण		
21	वार्ड 6 सजापुर साहिल कालोनी अशोक नगर में मार्ग का सुधार कार्य।	20.00	पूर्ण	16.73	
22	अशोक नगर पत्रकार कालोनी में दीव प्रगसाद मिश्रा के आवास से श्री मुकुल जायसवाल के आवास होते हुए श्री भटनागर के आवास तक मार्ग का सुधार कार्य।	8.50	100% पूर्ण	7.04	
23	छः कूपर रोड सिविल लाईन से 11 एलिगन रोड श्री सुभाष मेहता के घर तक सड़क के कार्य।	13.95	पूर्ण	13.89	
24	स्वराज नगर में श्री सज्जन सिंह के मकान नं0 458/2ए से हजारी के मकान तक कल्वर्ट/सड़क निर्माण कार्य।	23.98	अनारम्भ		
25	न्यू मेहदौरी में श्री जी0पी0 शुक्ला मकान नं0 174 से श्री रवीन्द्र पाण्डेय के मकान होते हुए श्री भीमसिंह के घर तक गली नाली का सुधार कार्य।	18.50	100% पूर्ण	17.29	
	कुल योगः–	524.97		231.45	

नगर निगम, इलाहाबाद।

अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो का विवरण।

दिनांक 07–09–2015 को अवस्थापना विकास निधि से स्वीकृत कार्यो का विवरण।

वर्ष 2015–16 प्राविधानिक धनराशि ..... लाख

क्र0सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	कार्य की भौतिक प्रगति	वित्तीय विवरण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	जार्जटाउन में मकान नं0 44 ए लाउदर रोड(शकुन्तला आवास) से जस्टिस गिरधर मालवीय जी के पीछे की गली में सी वाई चिन्तामणि रोड तक सडक व नाली निर्माण।(पेवर द्वारा)	2681000.00	कार्यादेश जारी		
2	मम्फार्डगंज में शिवाजी पार्क के सामने म0न0 442 राजाराम जायसवाल व म0न0 454 व 50/55 द्वारिका जी के मन्दिर से होते हुए आबकारी कार्यालय तक सड़क सुधार कार्य।	3380160.00	कार्यादेश जारी		
3	न्यू मम्फोर्ड गंज में म0न0 203/162 विश्वनाथ के मकान से होते हुए चन्द्रशेखर पार्क के चारों ओर सड़क का सुधार कार्य।	2036400.00	कार्यादेश जारी		
4	चकिया में कौशाम्बी मोड़ से करबला तक सड़क सुधार कार्य।	2000000.00	कार्यादेश जारी		
5	जमीर नगर अबूबकर मस्जिद के पीछे कैम्पस के सामने गली नाली का निर्माण कार्य।	1846900.00	कार्यादेश जारी		
6	लोहटटी पुरानी जीटी रोड से लकडमण्डी होते हुए गूलर के पेड़ तक गली निर्माण।	1889700.00	कार्यादेश जारी		
7	स्टेनली रोड मकान नं0 207/27ए म्योराबाद श्री सुधीर कुमार के आवास से होते हुए चर्च के सामने पार्क तक सड़क/पटरी/नाली सुधार कार्य।	1616320.00	कार्यादेश जारी		
8	जार्जटाउन में लाउदर रोड से पंडित राम नरेश पांडे के मकान तक सडक नाली सुदढीकरण का कार्य।	882000.00	पूर्ण	724421.68	
9	बेली में मकान नं0 63ई/11सी से 104/63ए/जी तक बेली कालोनी गली में इण्टरलाकिंग एवं नाली सुधार कार्य।	936000.00	कार्यादेश जारी		
10	अशोक नगर में मा0 विधायक श्रीमती विजमा यादव के आवास से जस्टिस श्री अशोक भूषण जी के आवास तक सडक पटरी सुधार कार्य।	1194825.00	कार्यादेश जारी		
11	मोहल्ला तुलाराम बाग में ओम शान्ती कोचिंग से ज्ञानसिंह पटेल के घर तक तथा बजरंग बली गिरी के मकान से म0नं0 147 मेवालाल के घर तक गली एंव नाली का निर्माण कार्य।	642600.00	कार्यादेश जारी		
12	तुलाराम बाग में भारत पेटोल पम्प से होते हुए फोर्ड चौराहा श्री रामजी मिश्रा के मकान तक नाला एंव साईड पटरी का सुधार कार्य।	1161400.00	कार्यादेश जारी		
13	कमिश्नर कार्यालय के पीछे सर्वेन्ट क्वार्टर के पास गली का निर्माण।	514400.00	कार्यादेश जारी		
14	सर्वोदय नगर अल्लापुर में सुभाषचन्द बोस मार्ग पर माली चौराहे के पूरक म0नं0 387 राम धनी मिश्रा, ननकू यादव म0नं0 381, 359/28बी/67 जितेन्द्र सिंह जज साहब, श्री इन्द्रेश सिंह म0नं0 28बी/43 से संदीप पटेल व द्वारिका अपार्टमेण्ट तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1456000.00	कार्यादेश जारी		
15	शिवनगर मार्ग, अल्लापुर में दीपा गेस्ट हाउस के पास से पटेल चौराहा, 27ए/5, 28बी/83बी, 98डी श्री मदन यादव व अन्य तक सड़क व नाली सुधार कार्य।	1922000.00	कार्यादेश जारी		
16	तेलियरगंज में सुलभ काम्पलेक्स से आफीसर्स कालोनी तक पटरी नाली का सुधार कार्य।	1194000.00	कार्यादेश जारी		
	कुल योग:–	25353705.00		724421.68	

सं0–76 ए0जी0 / 09–08–15

श्री अनुग्रह नारायण सिंह

तृतीय सत्र, 2015 के 1ले मंगलवार के लिए अतारांकित प्रश्न।

1130 / 20 / 11 / 2015
विभाग–नगर विकास

प्रेषण संख्या–ब्स्क 613
प्रेषण
तिथि–30 / 11 / 2015

166–क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर निगम द्वारा वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, तथा 2015 में नवम्बर, 2015 तक नगर निगम की अवस्थापना निधि से किन–किन सड़कों का निर्माण / पुनर्निर्माण / इंटरलाकिंग निर्माण कितनी–कितनी लागत में कराया गया है तथा नगर निगमों द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बिछायी जा रही सीवर लाइनों के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का पूर्ण पुनर्निर्माण अपनी अवस्थापना निधि तेरहवें, चौदहवें वित्त तथा अन्य योजनाओं से अतिशीघ्र कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पी0एस0यू0पी0—एल0 65 विधान सभा (102)—29—06—2016—813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।